कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 52 अंक : 5 मार्च 2006 मूल्य : 7 रुपये

महिलाएं : नई दिशा की ओर

महिला अधिकार व सशक्तिकरण

महिला बीड़ी कारीगर : एक व्यापक विश्लेषण

वाटरशेड कार्यक्रम और कृषक महिलाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के प्रयास

बढ़ता जल–संकट

जल संरक्षण की अनूठी मिसाल

उपभोक्ता संरक्षण : नए कदम

महाराष्ट्र का "अपना घर" और सूरजकुंड मेला

विकास को समर्पित मासिक

योजना

वार्षिक बजट देश की आर्थिक दिशा इंगित करता है
बजट को जानने के लिये पढ़ें

मार्च 2006 का बजट 2006-07 विशेषांक

इसमें आप पाएंगे :

- केंद्रीय बजट 2006-07 के विभिन्न पहलुओं पर रेखाचित्रों, तस्वीरों से युक्त गहन विश्लेषणात्मक आलेख।
- रेल बजट 2006-07 की गहरी पड़ताल।
- आर्थिक समीक्षा 2005-06 का विश्लेषण।
- प्रमुख अर्थशास्त्री तथा विशेषज्ञ इन विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अपनी प्रति सुरक्षित कराना न भूलें।
- इस विशेषांक का मूल्य 10/- रुपये है।

पाठक कृपया अपना आदेश स्थानीय एजेंट को दें अथवा विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नयी दिल्ली-110066 (दूरभाष:26100207 फैक्स: 26175516) को संपर्क करें।

बिक्री तथा अन्य जानकारियों के लिये संपर्क करें:

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड-IV रामकृष्ण पुरम, नयी दिल्ली-110001 (दूरभाष: 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन * बिक्रीकेंद्र) * सूचना भवन, सीजीओ कॉम्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (दूरभाष: 23890205) * कॉमर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038 (दूरभाष: 22610081) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर, चेन्नई-600070 (दूरभाष: 24917673) * प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकला कॉम्लेक्स, एमजे रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034 (दूरभाष: 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2301823) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-8, अलीगंज, लखनऊ- 226024 (दूरभाष: 2325455) * अंबिका कॉम्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669) * नौजान रोड, उजान बाजार, गुवाहटी-781001 (दूरभाष: 2516792) * द्वारा/पीआईबी, मालवीय नगर, भोपाल-462003 (म.प्र.) (दूरभाष: 2556350) * द्वारा/पीआईबी, बी-7/बी, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302001 (राजस्थान) (दूरभाष: 2384483)

पत्रिका स्थानीय समाचारपत्र विक्रेताओं से भी प्राप्त की जा सकती है

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 52 ● अंक : 5 ● पृष्ठ : 48

फाल्गुन–चैत्र 1927

मार्च 2006

संपादक
स्नेह राय

सहायक संपादक
कमला वर्मा

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन. सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण
संजीव सिंह

सज्जा
रजनी दवे

मूल्य एक प्रति : सात रुपये
वार्षिक शुल्क : 70 रुपये
द्विवार्षिक : 135 रुपये
त्रिवार्षिक : 190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

❖ महिलाएं : नई दिशा की ओर	प्रांजल धर	4
❖ महिला अधिकार संरक्षण	हरेन्द्र राज गौतम	8
❖ महिला सशक्तिकरण : कुछ अनसुलझे पहलू	दिनेश कुमार और बजरंग भूषण	10
❖ महिला अधिकार व सशक्तिकरण	करण बहादुर सिंह	13
❖ वाटरशेड कार्यक्रम और कृषक महिलाएं	हेना नकवी	15
❖ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर	देवेन्द्र उपाध्याय	17
❖ उपेक्षित जीवन और घटती नारी आबादी	इन्दु पाठक	19
❖ महिला बीड़ी कारीगर : एक व्यापक विश्लेषण	रवि प्रकाश यादव और नंदन कुमार	21
❖ महिला अधिकार आन्दोलन में महिला अधिकारों की स्थिति	लाला राम जाट	24
❖ ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के प्रयास	उमेश चन्द्र अग्रवाल	26
❖ भूमि तथा जलोपलब्धता समस्याएं एवं समाधान	राजीव कुमार सिन्हा	31
❖ बढ़ता जल–संकट	अनिता मोदी	33
❖ राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन	एस.आर.कन्नोजे	35
❖ जल संरक्षण की अनूठी मिसाल	जगदीश मालवीय	36
❖ उपभोक्ता अपना अधिकार जानें	विभा शुक्ला	37
❖ उपभोक्ता संरक्षण : नए कदम	शांता बालाकृष्णन	38
❖ उपभोक्ता मामले खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण	–	39
❖ आयकर के नये आयाम	के. सी. वर्मा	41
❖ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित महिला शिल्पी	राजीव मेहरोत्रा	43
❖ महाराष्ट्र का "अपना घर" और सूरजकुंड मेला	जिल्ले रहमान	45
❖ चोखी धानी : राजस्थानी संस्कृति का खूबसूरत संसार	साजिया आफरीन	47
❖ भूमि सुधार : दरकार और व्यवहार	कादम्बरी	48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत–सम्मत

'कुरुक्षेत्र' का जनवरी 2006 का अंक बेहतरीन लगा। वीणा कुमारी एवं आर.के.पी. सिंह के आलेख में आजादी के 58 साल भी ग्रामीण विकास–अपेक्षित न हो पाने का उल्लेख किया गया है। जो चिंतन के साथ ही ग्रामीण विकास की ओर ध्यान आकर्षित करता है। वहीं ग्रामीण उत्थान में मीडिया का योगदान सुभाष सेतिया का जनसंचार माध्यमों को ध्यानाकर्षित हुआ, आलेख है। निःसंदेह दूरदर्शन को छोड़ शेष सभी चैनलों के लिए बनाए जा रहे, कार्यक्रम 28 प्रतिशत शहरी जनसंख्या के लिए ही हैं जिनमें 72 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को उपेक्षित किया जा रहा है। औषधीय पौधों पर केन्द्रित आलेख भी खेती की ओर ध्यान केन्द्रित करने में सफल रहे हैं।

डा. सुनील कुमार शर्मा झाबुआ

'कुरुक्षेत्र' पत्रिका प्रेरणादायक है क्योंकि जब आज के इस आधुनिकीकरण युग में लोग गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं। ऐसे में यह पत्रिका ग्रामीणजनों को जागरूक करके गांव से शहर की ओर पलायन से रोक रही है। ग्रामीणों के जीवन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी 'कुरुक्षेत्र' में मिलती है। वास्तव में यह प्रेरणादायक पत्रिका है।

मुकेश तिवारी, ग्वालियर

'कुरुक्षेत्र' का जनवरी 2006 का बेजोड़ अंक पढ़ा। लेख 'भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमण्डलीकरण का दौर और ग्रामीण विकास' काफी अर्थपूर्ण और प्रभावशाली लगा। आज ग्लोब का शायद ही कोई हिस्सा हो जहां भूमण्डलीकरण की बयार ने परिवर्तन न किया हो। यह परिवर्तन कैसे हुआ है और कितना हुआ है, यह एक रोचक प्रश्न है। जितने जोर शोर से सर्वांगीण आर्थिक विकास का ढोल पीटा गया था उतना विकास अभी तक भूमण्डलीकरण कर नहीं सका है। एक बहुत बड़ा वर्ग काल–स्थान संकुचन की इस अवधारणा को भ्रममात्र मानता है। गरीब देशों की समस्यायें कम नहीं हुई हैं और गरीब और अमीर, विकासशील और विकसित देशों के बीच की खाइयां काफी बढ़ी भी हैं। इससे हमारे गांव लाभान्वित भी हुए हैं लेकिन उनकी प्रगति पर थोड़े–बहुत नकारात्मक असर भी पड़े हैं। कृषि के विकास की बातें की गई हैं और खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता या खाद्य सुरक्षा की चर्चाएं भी हुई हैं लेकिन जिस तरह से विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को आए दिन विकासशील देशों पर थोप दिया जाता है उससे विदेशी बाजार तो दूर, प्रायः स्वदेशी बाजार भी सिमटने की ओर बढ़ता प्रतीत होता है।

'ग्रामीण विकास की समस्यायें एवं उनका समाधान' नामक लेख भारत के गांवों की स्थिति का यथार्थ विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ग्रामीणों के पास धन की काफी कमी होती है जिसकी वजह से हमारे देश के गांवों के किसान उचित समय पर बीज या खाद वगैरह नहीं खरीद पाते हैं और फसलों की समुचित देखभाल भी नहीं कर पाते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए परिवार नियोजन जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों का ग्रामीणों द्वारा अपनाया जाना भी अपेक्षित है। जनता की सहभागिता और गांवों की प्रगति में ही हमारा बुनियादी विकास निहित है। यही हमारी चौतरफा उन्नति का सुदृढ़ आधार भी है।

प्रांजल धर, नई दिल्ली

'कुरुक्षेत्र' का जनवरी 2006 अंक पढ़ा। अंक में जिस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परंपरागत साधनों के उपयोग से विकास को संभव बनाने पर बल दिया गया है। यह वास्तव में अपने आप में ही बहुत सारी समस्यायें हल करने में सक्षम है। आज बढ़ता नगरीकरण और शहरों में जनसंख्या भार से उत्पन्न परेशानी है, तो वीरान गांवों में कृषि के प्रति बढ़ती रुचि के साथ पहचान का संकट भी। ऐसे में सरकार एन.जी.ओ. और समाज के सामूहिक प्रयास से ही समस्या का हल संभव है।

साथ ही 'नारियल पर बिखरा सौंदर्य', 'ई–प्रशासन से भ्रष्टाचार पर लगाम', 'एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई के लिए लाया जायेगा' आदि पढ़कर अच्छा लगा। भाषा का स्तर और सूचना दोनों पाठक को केंद्र में रखकर प्रयुक्त की गई है।

अरविंद कुमार शुक्ल, भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली

मैं 'कुरुक्षेत्र' का नियमित पाठक हूं। जनवरी 2006 का अंक पढ़ा। ग्रामीण समाज में भूमंडलीकरण का दौर काफी बढ़ रहा है। रोज नई तकनीक का ईजाद हो रहा है। प्रधानमंत्री भी भारत में दूसरी हरित क्रांति की नींव रख चुके हैं। देश में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए अमृत क्रांति की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। हमारे देश में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा देखने को मिलता है, इसलिए नदियों को आपस में जोड़कर नये भारत निर्माण के बारे में सोचा जा रहा है। तेल की बढ़ती मांग को देखते हुए कृष्ण क्रांति पर विचार हो रहा है। यानि विजन 2020 जो कलाम साहब का नारा है उसे पूरा कर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप तृतीयक क्षेत्र में जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ लघु और कुटीर उद्योग पर विचार हो रहा है, ताकि आम जनता ऋणग्रस्तता से बच हो सके। भारत में जो 26 प्रतिशत जनता गरीब है उसे भूमंडलीकरण के द्वारा अनेक तरह के कार्यक्रम लाकर गरीबी को दूर किया जा रहा है। अशिक्षा, बेरोजगारी, रूग्णता जो ग्रामीण परिवेश में पनप रही है, उसे किसी तरह धीरे–धीरे खत्म किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर में भी सुधार कर ग्रामीण समाज में सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। सचमुच भारत के लिए 2006 विश्व अर्थव्यवस्था में काफी महत्व रखता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनने में कोई रोक नहीं सकता।

सतीश कुमार सिंह, दिल्ली

मैंने 'कुरुक्षेत्र' के नववर्ष का प्रथम अंक पढ़ा। यह बेहद उत्साहवर्धक तथा संकलनीय लगा। सर्वप्रथम, मैं समस्त कुरुक्षेत्र परिवार तथा लेख– "विकास के कर्णधारःयुवा" के लेखक सौरभ पाण्डेयजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने स्वामी विवेकानन्द के 143 वीं जयन्ती पर उक्त लेख को हम सब पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया।

इस अंक में खेती के नए–नए पद्धतियों तथा आयामों को पढ़ कर बेहद खुशी हुई। पर दुःख इसलिए भी होता है कि ये नई पद्धतियां ग्रामीण विकास कार्यालयों के फाइलों में ही कैद रह जाती हैं, किसानों तक नहीं पहुंच पाती।

"नारियल पर बिखरा सौंदर्य" पढ़ कर भी बेहद अच्छा लगा। पर्यटन विभाग को 'पश्चिमी' हवा से बचते हुए यह सोचना चाहिए कि भारत और भारतीयों की हस्तकला अतुलनीय है अतः इस पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

पंकज आशुतोष, वाराणसी

'कुरुक्षेत्र' का नियमित पाठक हूं। इस पत्रिका का जनवरी 06 अंक पढ़ा। 'ग्रामीण उत्थान में मीडिया का योगदान' पर सुभाष सेतिया का लेख बहुत अच्छा लगा। हमारे देश में पत्रकारिता और मीडिया का पिछले कुछ वर्षों में बड़ी तेजी से विस्तार हुआ है लेकिन जहां हमारे देश की दो तिहाई आबादी निवास करती है उन ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया आज भी सक्रिय नहीं है। बहुत कम ही समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हैं जो ग्रामीण समस्याओं का प्रकाशित करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से विज्ञापन नहीं मिल पाता है तथा ग्रामीण पाठक भी बहुत कम हैं। ग्रामीण विकास के लिए जनहित में मीडिया का सहयोग आवश्यक है।

अमरजीत कुशवाहा 'पत्रकार', गौरीजगदीश, सेवरही, कुशीनगर

भूल–सुधार

कुरुक्षेत्र फरवरी 2006 के अंक में पृष्ठ संख्या 27 पर प्रकाशित लेख 'सूचना क्रांति को धार देती प्रौद्योगिकी' के लेखक का नाम गलत छप गया कृपया चन्द्रशेखर यादव की जगह चन्देशवर यादव पढ़ें।

ग्रामीण महिलाओं की बदलती स्थिति

भारतीय समाज क्रांतिकारी परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजर रहा है। पश्चिमी शिक्षा, कानूनी व्यवस्था, राजनैतिक आदर्श, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन ला रहे हैं। भारत में बढ़ता हुआ औद्योगिकरण लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन ला रहा है और महिला जगत को भी प्रभावित कर रहा है। आज के बदलते हुए भारत में ग्रामीण नारियों की सामाजिक स्थिति विरोधाभासी दशाओं से गुजरती नजर आती है। एक तरफ लोग इनको नीची दृष्टि से देखते हैं, वहीं दूसरी ओर देवी भी मानते हैं।

भारतीय ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। महिलाओं का शोषण पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। भारतीय ग्रामीण महिलाएं अल्प आयु में या निश्चित अवधि के पूर्व ही बाल श्रमिक के रूप में आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही साथ कम आयु में ही वैवाहिक और पारिवारिक उत्तरदायित्व के कारण उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में बाधा आती है। मुख्य रूप से अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां तथा असंगठित क्षेत्र की महिलाओं में उनके निम्न स्तर के रोजगार और उनकी निम्न सामाजिक स्थिति के बीच सह–संबंध पाया जाता है। कृषि कार्यों के लिए बड़े भू–स्वामियों द्वारा महिला श्रमिकों का शोषण किया जाता है। आर्थिक वर्ग के महिला और पुरुष दोनों अशिक्षा और अज्ञानता के कारण आजीवन ऋण ग्रस्तता के शिकार बने रहते हैं क्योंकि पालन–पोषण तथा अन्य गृहस्थी के कार्यों को पूरा करना ही इनकी नियति बन गयी है।

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में राजनैतिक अधिकारों के प्रति जो अज्ञानता पायी जाती है इसका कारण सामाजिक संरचना और सामाजिक आदर्श हैं जो आज भी बाधा डालने के कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनों के बारे में जानकारी बहुत कम है। ऐसी बहुत–सी महिलाएं मिलेंगी, जिन्होंने शायद ही कभी किसी कानून का नाम सुना हो।

पुस्तक, शोध लेख, समाचारपत्र, पत्रिकाएं आदि विभिन्न सर्वेक्षणों और अनुसंधानों से पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने वैधानिक अधिकारों की जानकारी मुख्य रूप से अनौपचारिक साधनों–जैसे पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और पड़ोसियों से ही प्राप्त होती है। संपत्ति, विधवा विवाह, दहेज निरोधक, गर्भ समापन जैसे कानूनी अधिकारों के प्रति ग्रामीण महिलाएं पूर्णतः अनजान होती हैं।

भारतीय ग्रामीण समाज विभिन्न खण्डों में विभाजित है और यह विभाजन, जाति, धर्म क्षेत्रीयता तथा सम्प्रदाय पर आधारित है, जिसकी वजह से भारतीय स्त्री एक सामाजिक वर्ग के रूप में विकसित नहीं हो सकती। यहां पर लोग विभिन्न सम्प्रदायों में विभाजित हैं और इन सम्प्रदायों ने स्त्री की श्रेष्ठता को नहीं स्वीकारा है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। भारतीय स्त्रियों को घर के भीतर ही लगभग 18 घंटे काम करना पड़ता है और उन्हें विश्राम करने तक का भी समय नहीं मिल पाता। रोजगार में लगी स्त्री के लिए भी यह माना जाता है कि वह आज्ञाकारी पत्नी हो, आदर्श माता हो और अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए पुरुष प्रधान मुखिया से ही रुपयों की मांग करने वाली हो।

ग्रामीण स्त्रियों पर परंपरागत व्यवस्था का प्रभाव बना हुआ है। परंपराएं उनके विचारों को प्रभावित करती हैं। मजदूर महिलाएं, निम्न सामाजिक व आर्थिक वर्गों की महिलाएं आज भी पुरुषों पर निर्भर हैं अर्थात उनकी स्थिति और भूमिकाओं में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आया है।

भारतीय नारियों का इतिहास उतार और चढ़ाव का इतिहास रहा है। भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति में स्त्रियों ने कुछ विशेष कालों में अहम भूमिकाएं निभायी है और ऐसे भी युग आए हैं, जिसमें इनको आर्थिक यातनाएं भी सहनी पड़ी और इनका शोषण हुआ है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति एवं भूमिका बहुत कुछ समाज के स्वरूप और विशेषताओं पर निर्भर करती है। उनसे समाज की परंपराएं कैसी हैं, वह समाज आधुनिक है अथवा परंपरागत यह सब सामाजिक परिस्थितियों के रूप को प्रभावित करती है साथ ही साथ समाज का आकार और सरंचना भी स्त्रियों के सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है समाज में होने वाले विकास जैसे–नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, यातायात के साधन इत्यादि भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

स्त्रियों का पुत्रियों के रूप में धीरे–धीरे महत्व बढ़ रहा है। उनको सामाजिक सम्मान पुरुषों की भांति मिल रहा है। अब पुत्रियां परिवार में अधिक स्वतंत्रता महसूस कर रही हैं। पुत्रियों के भविष्य के लिए परिवार अब अधिक जागरूक है।

वह ग्रामीण परिवार जो आधुनिक है, उसमें पत्नियों का मान–सम्मान अधिक होता है और घर के मामलों में उनकी राय प्रभावशाली होती है। एक गृहणी के रूप में पत्नियां अपने परिवारों में कुटुम्ब संबंधी निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।

शिक्षित माताएं अपने बच्चों के पालन–पोषण में आधुनिक तरीके अपनाती हैं। वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए अधिक सक्रिय हैं।

ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मताधिकार ने स्त्री–पुरुष की स्थिति को समान कर दिया है।

ग्रामीण अंचलों में स्त्रियों में अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति कानूनी ज्ञान का अभाव है। वह बहुत कम जानती हैं कि उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति तथा व्यक्तिगत हित के लिए कौन–कौन से कानून सरकार ने बनाये हैं। ग्रामीण स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन आया है और समाज के प्रतिमानों, मूल्यों के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल रहा है।

गांव पर जितना ही अधिक नगरीकरण और बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ता है उतना ही अधिक स्त्रियों में सामाजिक, धर्मनिरपेक्षता, राजनैतिक जागृति देखने को मिलती है। जो स्त्रियां अधिक शिक्षित हैं वे व्यक्तिगत रूप से अधिक आधुनिक हैं। उच्च जाति की स्त्रियां निम्न जाति की स्त्रियों की अपेक्षा अधिक आधुनिक हैं। जितनी ही अधिक आधुनिकता स्त्रियों में होगी उतनी ही अधिक सामाजिक गतिशीलता उनमें मिलेगी। नगर के निकट गांव की स्त्रियों में राजनैतिक जागृति अधिक देखने को मिलती है। दूर गांव में थोड़ी कम है। ग्राम पंचायत के बारे में महिलाएं अब अधिक जागरूक हो गयी है।

महिलाओं को घर से बाहर कार्य करने की अनुमति नगर निकट गांव में बहुत अधिक हैं और दूर गांवों में कम। गांवों में उन महिलाओं की सामाजिक स्थिति ऊंची मानी जाती हैं, जो कार्यरत हैं। ऐसी महिलाएं जो घर के कार्यों तक सीमित हैं, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है।

परिवर्तनशील ग्रामीण संरचना नारी जगत को भी प्रभावित कर रहा है तथा उनकी परंपरागत स्थिति एवं भूमिकाओं में परिवर्तन आया है। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त का भारतीय नारियों के बारे में यह कथन कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी... अब ग्रामीण स्त्रियों पर भी पूरी तरह लागू नहीं होता। आज की नारी के पास बहुत कुछ है। उसका अपना अस्तित्व है। आज की स्त्री स्वयं अपनी आत्मनिर्भरता के बारे में सोचने लगी है।

वर्तमान में ग्रामीण जीवन की स्त्रियों के विचारों, विश्वासों, मान्यताओं तथा सांस्कृतिक राजनैतिक, आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। आज की ग्रामीण नारी यह समझने लगी है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने से उन्हें प्राप्त करने के लिए बौद्धिक जागरूकता के साथ आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। अब वह सोचती है कि अपनी छोटी–छोटी जरूरतों के लिए जीवन में दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा आत्मनिर्भर बनना है।

अब नारी यह बात समझने लगी गई है कि उनकी दुर्गति के लिए अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, परंपरागत मान्यता तथा समाज का पुरुष प्रधान होना जिम्मेदार है तो दूसरी ओर उनका अपना वर्ग ही जो अपनी बेटी से यह कहता है कि ज्यादा पढ़–लिखकर क्या करोगी, विवाह के बाद गृहस्थी ही तो चलानी है, भी जिम्मेदार है। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि समाज का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति कुछ बदला तो जरूर है पर अभी उतना नहीं जितना कि बदलना चाहिए था। लेकिन आज नारी में अपने पैरों पर खड़ा होने की सिर्फ क्षमता ही नहीं, एक प्रबल इच्छा भी है। (पसूका)

महिलाएं : नई दिशा की ओर

प्रांजल धर

किसी भी सभ्य समाज की वास्तविक स्थिति जानने का एक तरीका यह भी है कि हम यह जानें कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, उनको क्या–क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं और उनकी शैक्षिक दशा क्या है। जिन्होंने आधा आसमान सिर पर उठा रखा है उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुंच है और राजनीतिक या सामाजिक निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है ? देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति विकास का एक प्रकार का संकेतक भी है। ग्रामीण से लेकर शहरी स्तरों तक और राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं की स्थिति सुधारने के तमाम प्रयास किए गये हैं, उनके सशक्तीकरण की कई कोशिशें की

गई हैं और काफी हद तक ये कोशिशें कामयाब भी हुई हैं। फिर भी लिंग–विभेद को समाप्त करने और लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण विश्व को एक लम्बी यात्रा तय करनी है ताकि विकास की बूंदें महिलाओं तक और अधिक मात्रा में पहुंच सकें।

महिलाओं का सशक्तीकरण एक लगातार चलने वाली अनवरत और गतिशील प्रक्रिया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हाशिए पर के लोगों को मुख्यधारा में लाया जा सके और सत्ता–संरचना में भागीदार बनाया जा सके। भारत ने भी लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। महिलाओं की साक्षरता जहां वर्ष 1951 में हमारे यहां 8.86 प्रतिशत थी, वहीं अब वर्ष 2001 में यह बढ़कर 54.16 प्रतिशत हो गयी है। भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की घोषणा करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को आदेश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद न करे। हमारा संविधान राज्य को स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार भी देता है ताकि स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सके। लोक नियोजन में अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है। नीति निदेशक तत्वों में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है और पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने की बात की गई है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता का भी उपबंध करता है। विज्ञान, तकनीक और सभ्यता की उन्नति के साथ–साथ महिलाओं की भूमिकाओं में भी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। सऊदी अरब में जहां कभी महिलाओं के

वाहन चलाने पर प्रतिबंध थे, वर्तमान समय में स्त्रियां विमान तक उड़ा रही हैं। परिवार में महिलाओं और उनकी बातों को महत्व दिया जाने लगा है। तमाम पारंपरिक अंधविश्वास ध्वस्त हुए हैं और कई रूढ़ियां कमजोर पड़ी हैं। कुछ इस्लामिक देशों में महिलाओं ने अपनी कैद और अलगाव के प्रतीक बुर्के को फेंककर अपनी आजादी के लिए आवाज बुलंद की है। वर्ष 2005 में कुवैत की महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया है। महिलाओं ने अपने नजदीकी परिवेश में मौजूद उत्पीड़न की संरचनाओं से सीधे टक्कर ली है। हमारे यहां भी महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी महिलाओं की दशा सुधारने के लिए वैश्विक स्तर पर गंभीर प्रयास किए हैं। वर्ष 1975 को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' घोषित किया गया और 'समानता की ओर' रपट भी प्रकाशित की गई। भारत में भी वर्ष 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित किया गया। किन्तु यह संपूर्ण विश्व में महिलाओं का पूर्ण चित्र नहीं है। विश्व की गरीब आबादी में महिलाओं की संख्या और प्रतिशत आज भी चिन्तनीय स्तर तक अधिक है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति विकसित देशों की तुलना में खराब है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के देशों को इस दिशा में अभी एक लम्बा सफर तय करना है। सामाजिक परिवर्तन को व्यापक बनाने के लिए गरीबी को दूर करना आवश्यक है।

यूनेस्को सांख्यिकीय संस्थान के अनुसार दक्षिण–पूर्वी एशियाई क्षेत्र में स्कूल न जाने वाली बालिकाओं की संख्या 2 करोड़ 80 लाख है। इसमें 45 फीसदी लड़कियां भारत की हैं। सरकारी हिसाब से इन बच्चियों की आयु स्कूल जाने की है लेकिन फिलहाल ये प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित हैं। जो लड़कियां प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रवेश लेती हैं उनमें से पचास प्रतिशत किसी न किसी कारण से कक्षा 5 तक पहुंचने से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं। एक भी लड़की को शिक्षा से वंचित रखने की कीमत अकेले उस लड़की को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, उसके समाज और उसके देश को चुकानी पड़ती है।

तालिका–1

दक्षिण एशियाई देशों में मानव विकास की स्थिति

देश	साक्षर वयस्कों का प्रतिशत		जीवन प्रत्याशा (वर्षों में)		मानव विकास सूचकांक / लैंगिक विकास सूचकांक का मान	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
बांग्लादेश	50.3	31.4	60.7	61.5	0.509	0.499
भूटान	–	–	61.8	64.3	0.536	–
भारत	69.0	46.4	63.1	64.4	0.595	0.572
मालदीव	97.3	97.2	67.7	66.8	0.752	–
नेपाल	61.4	26.4	59.9	59.4	0.504	0.484
पाकिस्तान	53.4	28.5	61.0	60.7	0.497	0.471
श्रीलंका	94.7	89.6	69.8	75.8	0.740	0.738
सार्क (दक्षेस)	71.0	53.2	63.4	64.7	0.590	0.552

स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट 2004

यह सत्य है कि दक्षिण एशिया से विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध महिला हस्तियां उत्पन्न हुई हैं लेकिन फिर भी समग्रता में उनकी राजनीतिक भागीदारी का स्तर काफी कम है। विधायिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है जिसे देखते हुए इस क्षेत्र के कुछ देशों में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। बांग्लादेश में विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था 1972 में ही कर दी गई थी जो बढ़ते–बढ़ते अब काफी अच्छी स्थिति में आ चुकी है। अब वहां कुल 345 में से 45 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं जो कि 13 प्रतिशत है। इससे सुधार की आशा जगी है क्योंकि वहां महिलाओं का हालिया प्रतिनिधित्व मात्र दो प्रतिशत रहा है। स्थानीय स्वशासन को सुनिश्चित करने की कोशिशें की गई हैं। स्थानीय शासन के स्तर पर भारत और बांग्लादेश ने 1993 से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। गांवों में पंचायती राज के तहत इन दोनों देशों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। पाकिस्तान ने भी वर्ष 2000 में ठीक यही व्यवस्था लागू की है ताकि बिल्कुल बुनियादी स्तर पर महिलाएं सक्रिय हो सकें और प्रशासन की दृष्टि से भागीदार और जागरुक हो सकें। कहना न होगा कि इन आरक्षणों के कारण कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आ चुके हैं और कई अधिक उत्साहजनक परिणामों का इन्तजार है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए समुदाय प्रबंधन का विचार भी आगे बढ़ रहा है जिससे महिलाओं की अधिक समतापूर्ण स्थिति सुनिश्चित होती है। जल, भूमि या जंगल जैसे संसाधनों के प्रबंधन जैसे मामले स्थानीय स्तर के होते हैं। इसके लिए घर से निकलकर ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए महिलाओं की सहभागिता ऐसे मामलों में आसानी से बढ़ाई जा सकती है। भारत में पश्चिम बंगाल में संयुक्त वन प्रबंधन काफी समय से चलाया जा रहा एक अच्छा प्रयास है, यद्यपि इसमें महिलाओं की और अधिक सहभागिता की आशा की जाती है।

तकनीकी परिवर्तन के दौर में ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए जिन जिलों में हरित क्रांति के कारण कृषि का विकास हुआ, वहां खेतों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से गिरावट आई। कृषि कार्य में तकनीकों के प्रयोग के बढ़ने के साथ किसान समाज में अपनी स्थिति के प्रति जागरूक हो गए। चूंकि महिलाएं उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रतीक होती हैं, इसलिए वे नहीं चाहते कि उनके घर की महिलाएं खेती–किसानी के काम में लगें। यह भी देखा गया है कि खेती में हिस्सेदारी भी सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा निर्देशित होती है और इसके आधार पर कृषि समाज को दो हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। एक, वे परिवार जिनके पास भूमि है और दूसरा वे जिनके पास भूमि नहीं है। यह सही है कि दोनों समूहों की खेती में हिस्सेदारी होती है फिर भी खेती के तरीके और पहुंच में इनमें अंतर होता है। जिन महिलाओं के पास भूमि है वे सामान्यतया उच्च सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं और उनकी भागीदारी ऐसे कामों में ज्यादा रहती है जो बिना बाहर निकले, घर पर बैठकर ही किए जा सकते हैं। भूमिहीन परिवारों की महिलाएं निम्न सामाजिक–आर्थिक तबके से संबंधित हैं और मूलतः दलित हैं। पंजाब की कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी को देखें तो वे अधिकतर दलित तबके से ही हैं। वे दूसरों की जमीन पर खेती करती हैं, बदले में उन्हें नकद, वस्तु या अनाज के रूप में पारिश्रमिक दे दिया जाता है। लैंगिक न्याय का दावा मुख्य रूप से महिलाओं का कृषि के विकास में योगदान और महिलाओं की स्थिति पर उसके प्रभाव की ओर ध्यान केंद्रित करता है। दरअसल, प्रत्येक विकास नीति, योजना या परियोजना का महिलाओं पर प्रभाव पड़ता है और बिना महिलाओं के सक्रिय योगदान के वह सफल भी नहीं हो सकता है।

यदि भारत की श्रमशक्ति पर विचार करें तो हम पाते हैं कि इसमें महिला श्रमिकों का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन रोजगार के स्तर और गुणवत्ता की दृष्टि से वे पुरुषों से पीछे रह जाती हैं। इसके सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं। भारत की जनगणना, 2001 के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या देश की कुल महिलाओं का 25.6 प्रतिशत है। अधिकांश श्रमिक महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिला श्रमिकों में से 87 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं घरेलू उद्योगों, छोटे–छोटे व्यवसायों और नौकरी तथा भवन–निर्माण जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही हैं। प्रमुख उद्योगों में महिला कर्मचारियों की संख्या के विश्लेषण से पता चलता है कि

अधिकतर महिलाएं सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा–क्षेत्र में कार्यरत हैं। बिजली, गैस, पानी, इत्यादि क्षेत्रों में सबसे कम संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। महिला श्रमिकों के बारे में सरकार की नीतियों में मुख्य ध्यान उनके काम में आने वाली अड़चनें खत्म करने, वेतन के बारे में सौदेबाजी कर पाने की उनकी क्षमता बढ़ाने, उनके वेतन और उनकी कार्यस्थितियों में सुधार लाने, उनकी कुशलता बढ़ाने और उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर रहता है।

महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने प्रयास भी किए हैं। इनकी समस्याओं के हल के लिए श्रम मंत्रालय में 'महिला श्रम प्रकोष्ठ' नाम का अलग प्रकोष्ठ कायम किया गया है। कामकाज के स्थान पर महिला मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए भी सरकार चिंतित रही है। इन बातों को ध्यान में रखकर प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 और समान मजदूरी अधिनियम, 1976 संरक्षणात्मक और शोषणनिवारक कानून बनाए गए थे। समान मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत भर्ती एवं सेवा शर्तों में महिला और पुरुष का भेदभाव दूर करने का भी प्रावधान है। इसके तहत केंद्र में एक समिति कायम की गई है जो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के बारे में सरकार को सलाह देगी। यह समिति अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले उपायों की समीक्षा भी करेगी। राज्य सरकारों और केंद्रशासित शासनों ने भी ऐसी ही समितियां गठित की हैं ताकि भारत भूमि पर समान रूप से ध्यान दिया जा सके। इसके साथ ही मंत्रालय में कार्यरत महिला प्रकोष्ठ भी महिला श्रमिकों के लिए और उनके कल्याण के लिए अनुदान सहायता योजना लागू कर रहा है। यह योजना स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चलायी जा रही है। इन संगठनों को उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुदान सहायता दी जाती है, जिनका उद्देश्य है महिला श्रमिकों में उनके अपने अधिकारों तथा महिलाओं से संबंधित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करना जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारें चला रही हैं।

उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त, 1997 को विसाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के मामले में दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में काम के स्थान पर महिलाओं का यौन शोषण या उत्पीड़न रोकने के लिए व्यापक दिशा–निर्देश दिए थे और मानक भी निर्धारित किए थे। इन दिशा–निर्देशों को संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी ताकत भी प्राप्त है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित इन दिशा–निर्देशों को अमली जामा देने के लिए कई उपाय शुरू कर दिये हैं। सरकारी कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की आचरण नियमावली में संशोधन किए गए हैं। इन दिशा–निर्देशों को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी लागू करने के उद्देश्य से औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 में भी उचित संशोधन किए गए हैं।

महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी सरकार ध्यान दे रही है। देश में 218 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इसके अलावा 582 महिला–स्कंध सामान्य शिक्षण संस्थानों और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी हैं। ये राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने सिफारिश की कि सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की एक–चौथाई सीटें सिद्धांत रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जायें। ये सीटें राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों की आम आरक्षण नीति के आधार पर भरी जायें। व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा की देखरेख में चलाए जाते हैं।

विगत दशक के जनगणना के साक्षरता आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं की साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी पुरुषों की तुलना में अधिक हुई है।

तालिका–2

साक्षरता का प्रतिशत

	कुल			अनुसूचित जातियां		
वर्ष	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1991	64.13	39.29	52.21	49.91	23.76	37.41
2001	75.00	54.00	65.00	66.64	41.90	54.69

(स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2004–05, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

तालिका–2 महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार को रेखांकित करती है। खासकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति सराहनीय स्तर तक सुधरी है। लेकिन अभी भी महिलाओं की दशा काफी प्रोत्साहन एवं सुधार की मांग करती है।

समाज कल्याण मंत्रालय भी लिंग संबंधी मामलों के प्रति सचेत है और महिलाओं के हितार्थ कार्य करता है। मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए सहायता दे रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने केवल अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना नाम की एक लघु ऋण वित्त स्कीम शुरू की है जिसमें यूनिट लागत 25,000 रुपए है और लाभार्थियों से 4 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज लिया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अपनी योजनाओं और कार्यकलापों में महिलाओं को उचित वरीयता देता है। निगम की माइक्रो वित्त पोषण योजना का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तीकरण करना है और यह कार्य गैर–सरकारी संगठनों और स्व–सहायता समूहों के जरिये औपचारिक ढंग से उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करके किया जाता है। लड़कियों की पढ़ाई–लिखाई के लिए उनका उत्साहवर्द्धन करने पर जोर है ताकि वे शिक्षित हो सकें। अपनी समस्याओं को समझ सकें और एक जागरुक नागरिक बन सकें। इन्हीं बातों को रेखांकित करते हुए मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत हर साल 3000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। कटिंग व टेलरिंग, वस्त्र डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, कला व शिल्प तथा कम्प्यूटर में भी 250 लड़कियों को हर साल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। एक 'जेंडर बजटिंग सेल' मंत्रालय में बनाया गया है। यह प्रकोष्ठ मंत्रालय की तमाम कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत विशेष रूप से महिलाओं के लिए निधियों की निर्मुक्ति की मानीटरिंग करने के लिए स्थापित किया गया है। इन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की

संख्या बढ़ाने का हर प्रयास करने के लिए सरकार कटिबद्ध है।

महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 'स्वयंसिद्धा' योजना चल रही है। इसका दीर्घकालीन उद्देश्य महिलाओं का चहुंमुखी विकास है। इसके उद्देश्य हैं– स्थानीय नियोजन में महिलाओं को शामिल करना, महिलाओं को अल्प ऋण में बढ़ोत्तरी, ग्रामीण महिलाओं में संस्थागत बचत की आदत और आर्थिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण को बढ़ावा देना आदि। ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए 'स्वशक्ति' नामक केंद्र प्रयोजित योजना चल रही है। भारत देश गांवों का देश है। हमारी लगभग दो–तिहाई आबादी गांवों में रहती है। ये गांव भारत की बुनियाद हैं और ग्रामीण जनता विश्व के विशालतम लोकतंत्र का आधारस्तम्भ है। ग्रामीण महिलाएं उत्पादन अधिक करती हैं जबकि पुरुषों की तुलना में उनका संसाधनों का उपयोग काफी कम है। 'स्वशक्ति' परियोजना विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से संचालित की जाती है। यह राज्यों में महिला विकास निगमों या समितियों के माध्यम से लागू की जाती है। इसका उद्देश्य महिलाओं के जीवन–स्तर में सुधार के लिए संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना है। इसमें महिलाओं को कड़े शारीरिक श्रम से मुक्ति दिलाने के उपाय किए गए हैं। उनके स्वास्थ्य, साक्षरता तथा आत्मविश्वास में वृद्धि करने की कोशिशें की जाती हैं कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभ के लिए वर्ष 2001–02 में केंद्रीय

क्षेत्र में एक नई योजना 'स्वाधार' शुरू की गई है। यह 'स्वाधार' योजना निम्नलिखित महिलाओं के लिए है:–

- दीन–हीन विधवाएं, जिनके परिवारवालों ने उन्हें वृन्दावन, काशी आदि धार्मिक स्थानों पर बेसहारा छोड़ दिया है;
- जेल से रिहा की गई महिला कैदी, जिन्हें परिवार का सहारा नहीं है;
- प्राकृतिक आपदा की शिकार ऐसी महिलाएं जो बेघर हैं और उनके पास कोई सामाजिक तथा आर्थिक सहारा नहीं है;
- वेश्यालयों या अन्य स्थानों से भागी अथवा मुक्त करायी गयी महिलायें या लड़कियां;
- यौन शोषण की शिकार ऐसी महिलाएं या लड़कियां, जिनके परिवार वालों ने उन्हें वापस लेने से मना कर दिया है अथवा जो किन्हीं अन्य कारणों से वापस अपने परिवार में नहीं लौटना चाहती हैं;
- आतंकवाद की शिकार महिलाएं, जिन्हें परिवार का सहारा नहीं है तथा जिनके पास जीने के लिए आर्थिक जरिया नहीं है;
- मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलायें, जिन्हें परिवार अथवा रिश्तेदारों से कोई मदद नहीं मिलती, आदि।

स्वाधार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य, देखभाल और परामर्श व्यवस्था शामिल है। महिलाओं को हेल्पलाइन और अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करायी जाती हैं। अल्पावधि प्रवास गृह परियोजना एक अलग परियोजना है जिसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों, सामाजिक बहिष्कार, नैतिक पतन के खतरे के कारण सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक परेशानियों से जूझ रही महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देना और उनका पुनर्वास करना है। परिवार परामर्श केंद्र योजना भी चल रही है। महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तीकरण सुनिश्चित करना है। यह नीति महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र और गतिविधि में खुलकर भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। महिलाओं के अवैध व्यापार को रोकने के प्रयास किए गए हैं। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1999 में स्त्रीशक्ति पुरस्कार शुरू किए गए। ये पुरस्कार भारत की पांच महायशस्विनी नारियों के नाम पर दिये जाते हैं। ये हैं– कन्नगी, माता जीजाबाई, देवी अहिल्याबाई होल्कर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और रानी गैन्डिलियू। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिये जाते हैं। पुरस्कार में एक लाख रुपये नकद तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। महिला विकास से संबद्ध डा. दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार हर साल ऐसे संगठन को दिया जाता है जिसने महिला अधिकारिता तथा महिलाओं के कल्याण के लिए उत्कृष्ट और अभिनव योगदान किया हो और इस क्षेत्र में काम का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला कोष भी महिलाओं के हितों के लिए कार्यरत हैं।

महिलाओं की स्थिति को और अधिक उन्नत बनाने के लिए विश्व के सभी देशों को मिलकर सक्रिय प्रयत्न करने पड़ेंगे। बात सिर्फ भारत की ही नहीं है। यह एक विश्वव्यापी विषय है। हाल ही में आई हुई अंतरसंसदीय संघ की डाटा रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि पूरी मानवता एवं आधुनिक सभ्यता को अभी भविष्य में कई जोरदार प्रयास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर समतामूलक समाज का स्वप्न साकार हो पाएगा। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि नार्डिक देश कुछ अच्छी स्थिति में हैं। स्वीडन, नार्वे, फिनलैंड, डेनमार्क तथा आइसलैंड में महिलाओं का विधायिकाओं में प्रतिशत शेष विश्व से काफी अच्छा है लेकिन फिर भी यह पचास प्रतिशत नहीं है। महिलाएं धीमें–धीमें ही सही, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान गढ़ रही हैं। हमारा राष्ट्र भी स्त्री–पुरुष समानता के मामले में मात्र कानूनी प्रावधानों तक ही सीमित न रहकर, वास्तविक रूप से उन्नति की ओर अग्रसर है। असली सफलता तो तब है जब 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' और 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो' जैसे विचारों को जमीनी हकीकत में बदल दिया जाय।

(नवोदित पत्रकार)

महिला अधिकार संरक्षण

हरेन्द्र राज गौतम

किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए नारी शक्ति का विशेष महत्व है। नारी, स्वयं एक शक्ति ही नहीं, एक जननी भी है और मां की गोद बच्चे की पहली पाठशाला होती है। माँ की गोद में मिली शिक्षा ही किसी भी समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। लेकिन महिलाओं के साथ सदियों से हो रहे भेदभाव से विकास की प्रक्रिया को ठेस पहुंचती है। महिलाओं के साथ भेदभाव समाज में परिवार से लेकर विभिन्न स्तरों पर होता रहा है। भेदभाव की घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है पारिवारिक हिंसा की घटनाएं, जो अतीत में ही नहीं अपितु अभी भी बड़े पैमाने पर होती रहती हैं। पारिवारिक हिंसा की घटनाओं में से अधिकतर घटनाएं सार्वजनिक रूप में प्रकट नहीं हो पातीं। महिलाएं समाज में लाज के डर से, शिक्षा के अभाव में, असुरक्षा के भय से, समाज में समुचित सहयोग न मिलने के कारण और अतीत में कारगर कानूनों के अभाव में भी पारिवारिक हिंसा की शिकार होती रही हैं।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले सभी धर्मों, संस्कृतियों और आय–समूहों से संबद्ध समुदायों में पाये जाते हैं। लेकिन पिछले पांच दशकों में महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के कारण हम महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलाने, सम्मान दिलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण की दिशा में तेजी से बढ़े हैं। संसद ने अब कानून पारित करके महिलाओं को परिवार में होने वाली सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ संरक्षण प्रदान किया है। घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2005 पारित होने से महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा, परिवार के सदस्यों या संबंधियों द्वारा किये जाने वाले उत्पीड़न से भी राहत मिलेगी।

भारत में महिलाओं के साथ समानता का वायदा हमारे संविधान में किया गया है लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहा है चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, रोजगार की बात हो या फिर आर्थिक समानता की बात हो, परिवार से लेकर समाज तक ये भेदभाव अभी भी जारी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत सरकार महिलाओं को उनका सम्मान दिलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण के प्रति सचेत और संवेदनशील रही है। महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में आजादी के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी संविधान के 73वें और 74वें संशोधन जिनके द्वारा महिलाओं को पंचायत और शहरी निकायों में प्रतिनिधित्व में एक तिहाई स्थान आरक्षित किया गया। यही नहीं इन संस्थाओं में प्रधान और अध्यक्ष के एक तिहाई पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये ताकि उन्हें केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं, नेतृत्व करने का भी अवसर मिले। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 पारित किये जाने से देश की स्वतंत्रता के 58 वर्ष बाद यह संभव हुआ है कि महिलाएं पैतृक संपत्ति में अपने हक का कानूनी दावा कर सकती हैं।

महिलाओं में भेदभाव के लिए निरक्षरता भी एक प्रमुख कारण है। सन् 1951 की जनगणना के अनुसार केवल 8.66 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर थीं। इस दिशा में भी प्रगति हुई है और 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता की दर 54.16 प्रतिशत तक पहुंच गई है लेकिन पुरूषों की तुलना में अभी भी 21.69 प्रतिशत कम है। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए संसद ने सन् 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जिसमें महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा की गई है।

हमारे देश में भ्रूण हत्या भी बड़ी गंभीर समस्या का रूप धारण करती जा रही है। एक गैर–सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार देश में प्रतिवर्ष एक करोड़ कन्याएं जन्म लेती हैं जिसमें से लगभग 20 लाख को जन्म लेने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया जाता है। लेकिन इंडियन मेडिकल ऐसोसिएशन का मानना है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख कन्या भ्रूण नष्ट किये जाते हैं। भारत सरकार ने सन् 1994 में प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक नियमन और दुरूपयोग से बचाव अधिनियम के तहत गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया था और इस कानून का संशोधित रूप पी.एन.डी.टी. (प्री नेटल डिटरमीनेशन टेस्ट) 2002, 14 फरवरी 2003 को देशभर में लागू हो गया है। इस अधिनियम के उल्लंघन पर दोषी को पांच साल की जेल और एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2005 में उन सभी महिलाओं को संरक्षण देने का प्रावधान है, जिनका संबंध शोषणकर्ता के साथ एक परिवार के रूप में इकट्ठे रहना हो और उनके बीच समरक्तता, विवाह द्वारा संबंध हो या विवाह या अंगीकरण के रूप में संबंध हो। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों के रूप में संबंध को भी इसमें शामिल किया गया है। इस कानून में बहनों, विधवाओं, माताओं और अकेली या शोषणकर्ता के साथ रहने वाली महिलाओं को भी कानूनी संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। इस कानून में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके अंतगर्त वास्तविक शोषण, शोषण की धमकी, शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक शोषण को शामिल किया गया है। महिला या उसके संबंधियों से की गई दहेज की मांग के जरिए तंग किए जाने को भी इस परिभाषा में स्थान दिया गया है। इस कानून में महिलाओं को ससुराल के मकान या साझा मकान में रहने

का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, भले ही ऐसा मकान या आवास उनके नाम हों या न हों। इस अधिनियम में, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति और गैर–सरकारी संगठनों को सेवा प्रदाता के रूप में संतस्त व्यक्ति को सहायता पहुंचाने वाली सहायता के अंतर्गत चिकित्सा जांच, कानूनी सहायता प्राप्त करना, सुरक्षित निवास की व्यवस्था करना आदि शामिल है। दिल्ली स्थित एक सामाजिक अनुसंधान केन्द्र द्वारा कराए गए एक नए अध्ययन के अनुसार भारत में करीब 5 करोड़ महिलाओं को अपने घरों में हिंसा का सामना करना पड़ता है और उनमें से मात्र 0.1 प्रतिशत ही, अत्याचार के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए आगे आती हैं। ये नया कानून प्रगतिशील समझा जाना चाहिए, जो पारिवारिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं को राहत पहुंचाने में सक्षम है।

महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ने से कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। यद्यपि काम करने वाली महिलाओं की दर में बढ़ोतरी हुई है जो सन् 1981 में 19.7 प्रतिशत से बढ़कर सन् 2001 में 25.7 प्रतिशत हो गई है। आज महिलाएं रोजगार के सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और कार्य करने की जगहों पर उनके साथ भेदभाव, शारीरिक शोषण और दूसरे कई तरह के अधिकारों के हनन के मामले भी प्रकाश में आते हैं। इन घटनाओं में से अधिकतर घटनाएं महिलाओं में शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा की कमी की वजह से उभर कर नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये एक गंभीर समस्या अवश्य है। इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए उच्चतम न्यायालय ने सन् 1997 में एक मामले की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें कामकाजी महिलाओं के मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई और उन्हें शारीरिक शोषण की घटनाओं से बचाने के लिए विस्तृत निर्देश भी दिए गये। इस फैसले में कामकाजी महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के, इज्जत के साथ, एक सुरक्षित वातावरण में काम करने का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले में शारीरिक शोषण को परिभाषित किया है। शारीरिक शोषण में शरीर को जानबूझ कर छूने की कोशिश करना, 'सैक्स' की मांग करना, ऐसे इशारे या बातें करना या ऐसा साहित्य पढ़ना या दिखाना जिससे 'सैक्स' झलकता हो, इस फैसले व कानून के उल्लंघन के दायरे में आता है।

उच्चतम न्यायालय के इस फैसले में जिसे न्यायालय ने कानून की संज्ञा दी है, कहा है कि नियोक्ता ये सुनिश्चित करेगा कि उसके विभाग में कहीं भी शारीरिक शोषण की घटनाएं न हों और ये कानून सरकारी व गैर–सरकारी क्षेत्रों में समान रूप में लागू होगा। सरकारी व गैर–सरकारी क्षेत्र के विभाग अपने नियमों में बदलाव कर शारीरिक शोषण को रोकने से संबंधित इस नियम को उपयुक्त सजा के प्रावधान के साथ शामिल करेंगे। काम काजी महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण की घटनाएं होने की स्थिति में नियोक्ता का ये कर्त्तव्य होगा कि वो इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाये। शारीरिक शोषण की घटनाएं रोकने के लिए नियोक्ता अपनी संस्था में ऐसी प्रणाली विकसित करेगा जिससे शारीरिक शोषण की घटनाओं को रोकने में सफलता मिले। शारीरिक शोषण रोकने के लिए हर विभाग में जहां महिलाएं काम करती हों, शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिस कमेटी की अध्यक्ष व कमेटी के कम से कम आधे सदस्य महिलाएं ही होनी चाहिए। इस तरह की शिकायतों में विभागीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए शिकायतों के निपटारे के लिए गठित कमेटी में गैर–सरकारी संगठनों की सदस्यता भी अनिवार्य बनाई गई है। इस फैसले में नियोक्ता की ये भी जिम्मेवारी होगी कि वो इस फैसले में दिये गये निर्देशों को उपयुक्त तरीके से प्रदर्शित कर के महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाए। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से कामकाजी महिलाओं के मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है जिससे वो बिना किसी असुरक्षा, डर, भेदभाव के काम कर सकें।

कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति केंद्र और राज्य सरकारें भी संवेदनशील रही हैं। केंद्र सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुये कामकाजी महिलाओं के लिए कई ऐसी बातों को नियमों में बदला है जिसमें पति–पत्नी की एक स्थान पर नियुक्ति करना महत्वपूर्ण है, यदि पति भी किसी सरकारी, सार्वजनिक या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवारत हो। इसके अतिरिक्त ऐसे विभागों व सार्वजनिक संस्थाओं में जहां महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक हो, उन जगहों पर बच्चों की देखभाल करने के लिए 'क्रैच' खोलना भी अनिवार्य बनाया गया है ताकि कामकाजी महिलाएं बच्चों की देखभाल ठीक तरह से कर सकें।

महिलाओं में बढ़ते शिक्षा के स्तर और सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न कानूनों के मद्देनजर महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में प्रभावी काम हुआ है लेकिन असली लड़ाई हर एक महिला को व्यक्तिगत रूप से लड़नी होगी। महिलाओं के अधिकारों के हनन की कुचेष्टा समाज में होगी और ऐसे हर समय पर पीड़ित महिला को अपनी आवाज उठानी होगी ताकि के अपने आप तो न्याय प्राप्त कर ही सके और साथ में दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। साहस और नेतृत्व–क्षमता के बल पर महिलाएं इस पुरूष–प्रधान समाज में अवश्य आगे बढ़ी हैं चाहे वो वर्तमान की बात हो या अतीत की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह कई अन्य वीरांगनाएं थीं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुये आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही नहीं, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सांग सू ची भी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने देश बर्मा में सैनिक तानाशाहों के खिलाफ लड़ रही हैं। यही नहीं आज ऐसी अनेक महिलाएं है जो शोषण के विरूद्ध आवाज उठा रही हैं चाहे वो दहेज उत्पीड़न का मामला हो, घरेलू हिंसा हो, शारीरिक शोषण हो या किसी भी तरह का अन्य भेदभाव हो। नारी के सशक्तिकरण और उनके सही विकास से ही देश आगे बढ़ेगा। महिलाओं को ये समझना होगा कि उनमें असीम शक्ति छुपी हुई है और हमारे देश से अन्तरिक्ष में जाने वाली एकमात्र महिला स्वर्गीय कल्पना चावला की तरह आसमान की ऊंचाइयां ही इनकी मंजिल है।

(लेखक डा यशवन्त सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (हिप्र) से संबद्ध हैं)

महिला सशक्तिकरण : कुछ अनसुलझे पहलू

दिनेश कुमार और बजरंग भूषण

महिला सशक्तिकरण प्रत्यय का कर्णपटल पर सुनाई देते ही एक बात जेहन में बिजली की तरह कौंध जाती है और मानस पटल पर उभरा प्रश्नवाचक चिन्ह मस्तिष्क से ये प्रश्न करने लगता है कि आखिर ये 'महिला सशक्तिकरण' है क्या? अकस्मात् इस समाज में इस प्रत्यय का उद्भव कब और कैसे हुआ?

वास्तव में यदि विचार किया जाए तो 'महिला सशक्तिकरण' का सामान्य सा अर्थ निकलता है– महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना। परंतु व्यापकता में इसका अर्थ बड़ा गूढ़ है। सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। स्त्रियों का सशक्तिकरण उन्हें नये क्षितिज दिखाने का प्रयास है जिसमें वे नयी क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेंगी, घरेलू शक्ति संबंधों का बेहतर समायोजन करेंगी और घर तथा पर्यावरण में स्वायत्तता की अनुभूति करेंगी। सशक्तिकरण का अर्थ है किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता। 'महिला सशक्तिकरण' का अर्थ है उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर–तरीकों को चुनौती में समान अवसर, राजनैतिक एवं आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि।

'महिला सशक्तिकरण' की बात उठते ही मस्तिष्क चिंतन करने लगता है कि क्या वास्तव में महिला कमजोर है जो उसके सशक्तिकरण की आवश्यकता है? प्रकृति ने तो उसको शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाला बनाया है और वो सृष्टि को जन्म देने जैसा मजबूत कार्य भी करती है। उसकी शक्ति सम्पन्नता ने ही तो भारतीय मानस में उसे 'देवी' की संज्ञा दिलवायी। वैदिक युग में नारी के विषय में कहा जाता था–

"नर नारी प्रोद्दरति मज्जंत भववारिधौ"

अर्थात् संसार रूपी समुद्र में डूबते नर का उद्धार नारी करती है। तो फिर नारी कमजोर कैसे? वास्तव में यदि पीछे दी गयी सशक्तिकरण की कसौटी पर महिलाओं को कसा जाय तो उनकी कमजोरी स्पष्ट झलकने लगती है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं सामूहिक सत्ता प्रतिष्ठानों में पीछे हैं। ज्यादातर मामलों में निर्णय पुरुषों द्वारा लिये जाते हैं और प्रायः महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय की कोई कद्र नहीं की जाती है। उनके साथ प्रायः दोहरे मानदण्ड अपनाये जाते हैं और उनकी शक्ति पर संदेह करके उन्हें ऐसे अवसरों से वंचित किया जाता है जिसमें वे अपनी क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन कर सकती थीं। आंकड़े पुरुषों की तुलना में उन्हें पीछे बताते हैं और समाज के उचित विकास के लिए आंकड़ों में संतुलन आवश्यक है। इसी आवश्यकता ने समाज में 'महिला सशक्तिकरण' जैसे प्रत्यय को जन्म दिया।

सृष्टि के विकास क्रम में नर एवं नारी ने साथ–साथ अपना विकास शुरू किया, फिर स्त्री इस क्रम में पिछड़ कैसे गयी? आइये आदि काल से अब तक की विकास यात्रा पर विचार करें, हो सकता है मामला कुछ सुलझे?

आदि काल में स्त्री–पुरुष ने आवश्यकतावश साथ रहना प्रारंभ किया जिसमें प्राकृतिक संभोग प्रमुख रहा होगा। वे साथ–साथ मिलकर शिकार करते थे और अन्य अनेक उपायों द्वारा अपना जीवन–यापन करते थे। प्राकृतिक संभोग की क्रिया में स्त्री गर्भवती हो गयी। फलतः वह अपना भरण–पोषण करने में अक्षम हो गयी। यहीं पर स्त्री की निर्भरता की शुरुआत हुई। स्त्री की शक्ति ने ही उसे कमजोर बना दिया। यहीं पर उसके कार्यों का बंटवारा हो गया। स्त्री घरेलू कार्यों को देखने लगी और पुरुष बाहरी कार्यों को। परिस्थितिवश हुए इस कार्य–विभाजन के फलस्वरूप बाहर के कार्यों में भागीदारी से पुरुष शारीरिक और मानसिक स्तर पर मजबूत होता चला गया और स्त्री आध्यात्मिक स्तर पर। शिकार करने के क्रम में पुरुष को पुरुष की आवश्यकता थी और स्त्री को भी ऐसे पुरुष की जो वृद्धावस्था में उसका पालन–पोषण कर सके। यहीं पर पुत्र की आवश्यकता महसूस हुई और पुत्री हाशिये पर चली गयी। एक बात और, चूंकि आदि काल से लेकर वैदिक काल तक और कुछ मायनों में बाद तक भी लोग आपस में युद्ध करते रहते थे, अतः अस्तित्व रक्षा के प्रश्न ने भी पुत्र की आवश्यकता का बोध करवाया। आदि काल में शुरू वृद्धावस्था में पुत्र रूपी लाठी की मानसिकता आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। चूंकि कबीलाई भारत में युद्धों के लिए पुरुष की आवश्यकता थी अतः धर्मग्रन्थों में पुरुष को मोक्ष से जोड़ दिया गया और कहा गया कि बिना पुत्र के मोक्ष प्राप्ति असंभव है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा पुत्र पैदा करें। लिंगानुपात उसी समय गड़बड़ा गया होगा फलतः युद्धों के फलस्वरूप पुरुषों ने स्त्रियों का अपहरण शुरू किया होगा और वहीं शुरूआत हुई होगी बलात्कार और हिंसा की। एक बात और भी चूंकि पुरुष बाहर का कार्य देखता था और जीवन–यापन के साधनों को जुटाता था और इस एवज में वह स्त्री का भरण–पोषण करके संभोग और संतान पाता था अतः पुरुष ने स्त्री को शारीरिक संतुष्टि प्राप्त करने का साधन एवं बच्चा पैदा करने की मशीन मात्र मान लिया। पुरुष बाहरी कार्यों की एवज में स्त्री से समुचित संतुष्टि चाहता था जिसे न दे पाने पर ही शुरूआत हुई होगी–घरेलू हिंसा की। परिवार के लिए क्योंकि बाहरी कार्यों का महत्व ज्यादा था अतः स्त्री के घरेलू कार्यों का पुरुष की दृष्टि में कोई महत्व नहीं था। विकास क्रम में पनपी मानसिकता और सामाजिक ढांचा आज तक समाज में व्याप्त है। ऐसी ही परिस्थितियों के फलस्वरूप विकास क्रम में स्त्री, पुरुष से पिछड़ गयी क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित हुए पुरुष का समाज के महत्वपूर्ण साधनों पर अधिकार हो गया। कालान्तर में युद्धों के जारी रहने और

स्त्री को इसका लक्ष्य बनाए जाने के फलस्वरूप स्त्री की अस्तित्व रक्षा का प्रश्न पुरुष की प्रतिष्ठा से जुड़ गया और स्त्री 'घर की इज्जत' बन गयी। चूंकि संतानोत्पत्ति जैसे दुरूह और रहस्यमयी कार्य को स्त्री ही कर सकती थी अतः पुरुष ने उसे 'देवी' कहकर संबोधित किया और शारीरिक संतुष्टि का साधन मान लेने के फलस्वरूप वही देवी 'देह' तक सिमट कर रह गयी।

परंतु आज वैश्वीकरण के इस युग में परिस्थिति बदल चुकी है। स्त्रियों ने अनेक मौकों पर अपनी शक्ति संपन्नता का अहसास कराया है। आज का समाज यह समझ चुका है कि विकास कार्यों में स्त्री की सहभागिता के बिना वांछित लक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अतः आज जरूरत महसूस हुई है स्त्री को शक्ति संपन्न बनाने की फलतः आज समाज में 'महिला सशक्तिकरण' प्रत्यय का जन्म हो चुका है और इस हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

'महिला सशक्तिकरण' पर हो रही बात के बीच जब ध्यान लिंगानुपात पर जाता है तो यह देखकर चिंता होती है कि लिंगानुपात किस कदर गिरता जा रहा है। क्या गिरते लिंगानुपात के बीच उपजे बलात्कार, छेड़छाड़, अपहरण, वेश्यावृत्ति जैसी घटनाओं के कारण 'महिला सशक्तिकरण' संभव है? वास्तव में लैंगिक–अंतर के रहते और समाज में व्याप्त विवाह जैसी परंपरा से उपजे नैतिकता के ताने–बाने के बीच जब पुरुष की लैंगिक संतुष्टि नहीं हो पायेगी तो क्या ऐसा पुरुष 'महिला सशक्तिकरण' में योगदान देगा? और यदि देगा तो महिला के शरीर की कीमत पर। मानसिक रूप से सेक्स में उलझा पुरुष महिला विकास के बारे में तो बाद में पहले अपनी शारीरिक संतुष्टि के उपाय के विषय में सोचेगा और महिला की सहायता की एवज में वह उसके शरीर को साधन बनाना चाहेगा और एक कटु सत्य तो यह है कि बिना पुरुष के सहयोग के 'महिला सशक्तिकरण' लगभग असंभव है। परंतु एक प्रश्न फिर उठता है कि क्या कारण है कि कभी–कभी शादीशुदा व्यक्ति भी महिला के सहयोग की एवज में उससे उसके शरीर की मांग करता है? संक्षिप्त एवं अस्पष्ट सा उत्तर यह हो सकता है कि चूंकि कुछ पुरुषों ने ऐसी मानसिकता का बीज समाज में बो दिया है। दूसरे, ऐसा भी संभव है कि शादीशुदा व्यक्ति अपनी पत्नी से सही मायनों में अपने स्तर पर संतुष्टि न पाता हो।

बात चाहे जो भी हो एक बात तो तय है कि बिना लैंगिक–अनुपात की समस्या को सुलझाये 'महिला सशक्तिकरण' की पहेली को सुलझाना एक दुरूह कार्य है, क्योंकि बिगड़ता लैंगिक–अनुपात 'महिला सशक्तिकरण' के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। बिगड़ते लैंगिक–अनुपात के कारण जब महिलायें ही नहीं रहेंगी तो हम सशक्तिकरण किसका करेंगे? पहली समस्या तो उन्हें बचाने की है सशक्तिकरण तो बाद में होगा। लैंगिक–अनुपात के गिरने जैसी गंभीर समस्या की जड़ में क्या है? गिरते लैंगिक अनुपात के लिए उत्तरदायी है– दहेज–प्रथा, सामाजिक मान्यता एवं समुचित शिक्षा का अभाव।

कन्या भ्रूण हत्या या कन्या के जन्म लेते ही उसकी हत्या या कन्या पर समुचित ध्यान न देना जिससे स्वयं ही उसकी मृत्यु हो जाये, के पीछे एक बड़ा कारण दहेज है। वैदिक काल में कन्यादान के रूप में शुरू हुई सामाजिक परंपरा आज शादी की पूर्व शर्त बन चुकी है। आज शादी एक उद्योग या व्यवसाय बन चुका है जिसमें बाकायदा लेन–देन होता है। शायद इसीलिए कह भी दिया जाता है कि शादी एक समझौता है और जब शादी दो आत्माओं का स्वाभाविक मिलन न होकर मात्र समझौता रह जायेगा तो तकरार होना तो तय है, क्योंकि समझौते की अपनी शर्तें होती हैं और शर्तों का सदैव पालन हो यह नामुमकिन है। शादी के इस उद्योग में लगे व्यापारी आज समाज में तरह–तरह के शिगूफे छोड़कर इसको बाकायदा भुना रहे हैं। वास्तव में यह व्यापारी चाहते हैं कि स्त्री–पुरुष में कभी भी समानता न आने पाये अन्यथा शादी का उद्योग चौपट हो सकता है। ये व्यापारी सदैव स्त्री को पुरुषों की तुलना में नीचा दिखाते हैं और दुःख की बात तो यह है कि ये व्यापारी समाज के प्रचार साधनों यथा–टेलीविजन, अखबार आदि पर बाकायदा कब्जा भी जमाये बैठे हैं जिसमें वैवाहिक विज्ञापनों में पुरुष को कार्य–कुशल, नौकरीशुदा और धनवान दिखाया जाता है और स्त्री के लिए सुंदरता, गृहकार्य दक्षता शादी के लिए अनिवार्य होती है। इस प्रचार का परिणाम यह होता है कि पुरुष नौकरी की तलाश करेगा और स्त्री सुंदर बनने की कोशिश करेगी फलतः पुरुष और स्त्री के बीच अंतर स्वाभाविक रूप से बना रहेगा। 'मिस वर्ल्ड' जैसे प्रयोजनों से स्त्री को सुंदर बनने के लिए प्रेरित किया जायेगा और उसकी आड़ में अपने सौंदर्य उत्पादों की बाकायदा बिक्री के लिए एक बाजार का निर्माण किया जायेगा। शादी के लिए स्त्री को 'सुंदर' बनना होगा। नौकरी तलाश करते वक्त जब पुरुष संघर्षों के कारण मजबूत हो जायेगा और जीवन–यापन के साधनों पर उसका अधिकार हो जायेगा तो स्त्री की तुलना में उसका पलड़ा भारी हो जायेगा और फिर स्त्री को अपने साथ रखने के लिए वह समान भार की मांग करेगा फलतः स्त्री को अपना पलड़ा समान करने के लिए अपने साथ फ्रिज, टी.वी., स्कूटर आदि लेकर बैठना पड़ेगा और इसकी पूर्ति फिर बाजार के वही व्यापारी करेंगे जो भेद पैदा करने पर तुले थे। तो शादी करना आज एक मंहगा सौदा हो गया है, फलतः मां–बाप कन्या जन्म से परहेज करते हैं और हमारे समाज के ईश्वर माने जाने वाले तथाकथित डाक्टर मां–बाप के दुःख–दर्द से आहत होकर मात्र डेढ़–दो हजार का चढ़ावा लेकर उन्हें कन्या भ्रूण से निजात दिला देते हैं और समाज के लिए एक स्लोगन भी छोड़ देते हैं– "वर्तमान में डेढ़ हजार खर्च करके भविष्य के डेढ़ लाख के खर्च से बचिये।"

इस कन्या भ्रूण हत्या के फलस्वरूप जब लैंगिक–अनुपात गड़बड़ा जायेगा तो समाज में द्रोपदियों की संख्या बढ़ने के आसार अधिक हो जायेंगे और चूंकि इन कलयुगी द्रोपदियों के पति कलयुगी अर्जुन और भीम होंगे, फलतः वे इस कलयुगी द्रोपदी पर एकाधिकार करने के लिए एक–दूसरे की हत्या भी कर सकते हैं। जब महाभारत काल में युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी और धर्मप्रिय व्यक्ति ने द्रोपदी को जुए में दांव पर लगा दिया और द्रुपद नरेश की कन्या तथा श्रीकृष्ण जैसे भाई के रहते, धर्मप्रिय व्यक्तियों से भरी सभा में भीम और अर्जुन जैसे महायोद्धाओं की पत्नी होते हुए भी द्रोपदी चीरहरण का प्रयास हुआ तो आधुनिक द्रोपदियों की क्या दशा होगी जिनके पिता न तो नरेश हैं और न ही जिनके श्रीकृष्ण जैसा भाई है? जाहिर है समस्या बड़ी विकट है। यही जरूरत है 'महिला सशक्तिकरण' से पूर्व 'महिला अस्तित्व रक्षा' की।

एक बात और आखिर हम दहेज क्यों लेते और देते है? सामान्य सा चिंतन करने और लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि चूंकि एक नौकरीशुदा या गैरनौकरीशुदा व्यक्ति की संपत्ति में शादी के बाद स्त्री का स्वाभाविक अधिकार हो जाता है और जहां तक शारीरिक संतुष्टि की बात है तो दोनों की आवश्यकता है। किंतु शारीरिक संतुष्टि की इस प्रक्रिया में स्त्री को जो गर्भाधारण का प्रसाद मिलता है उसका क्या होगा? अरे भाई तभी तो पुरुष स्त्री के भरण–पोषण का जिम्मा नहीं उठाता क्या? चलिए थोड़ा सा मान लेते हैं, तो फिर जब दो नौकरीशुदा स्त्री–पुरुष की शादी होती है तो क्यों दहेज लिया–दिया जाता है? यह पति की अचल संपत्ति की एवज में होता है और यह भी हो सकता है पति–पत्नी की शैक्षिक असमानता की एवज में या पद की असमानता की एवज में यह चुकाया जा रहा हो जैसा कि प्रायः होता है या फिर पत्नी सुंदर न हो, लेकिन बात इतनी ही नहीं लगती। तो कहीं इसका प्रश्न सामाजिक प्रतिष्ठा से तो नहीं जुड़ गया है? जो भी हो अब तो 'हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक 2005' पारित हो चुका है, अब तो पुत्री भी संपत्ति की समान अधिकारी हो गयी है, अब तो दहेज पर कुछ लगाम लगनी चाहिए न! फिलहाल यह तो भविष्य की गर्त में है।

यह तो हुई बात दहेज की। आइए देखते हैं कि सामाजिक मान्यताएं एवं सामाजिक आवश्यकताएं लैंगिक अनुपात को बिगाड़ने में कहां तक जिम्मेदार हैं?

हमारे समाज में एक सामान्य सी परंपरा है कि शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाती है और वहीं की स्थायी निवासी बन जाती है। लड़का जीवन पर्यन्त पत्नी को साथ लेकर माता–पिता की सेवा करता–करवाता है। अब तक शादी के बाद लड़की का मायके की संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता था और ससुराल की संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता था। 'हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक 2005' के पारित हो जाने से अब उसका मायके की संपत्ति पर भी जीवन–पर्यन्त अधिकार हो जायेगा। लड़की के ससुराल चले जाने पर उसके मां–बाप की सेवा वृद्धावस्था में कौन करेगा? शायद यही आवश्यकता पुत्र–प्राप्ति की अनिवार्यता की ओर संकेत करती है। यदि इस व्यवस्था को उलट दिया जाय तो क्या बात बन सकती है? स्पष्ट है व्यवस्था को उलटना इतना आसान कार्य नहीं दूसरे आदिवासियों में तो व्यवस्था उल्टी है (कहीं–कहीं) फिर भी उनमें लैंगिक–अंतर विद्यमान हैं। लेकिन खतरनाक सीमा तक नहीं और यदि लैंगिक–अंतर है भी तो हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई अनसुलझा पहलू हो।

समुचित शिक्षा का अभाव भी लैंगिक अंतर का एक बड़ा कारण है। साक्षरता और शिक्षा दो चीजें हैं। हरियाणा में साक्षरता बिहार की अपेक्षा ज्यादा है किंतु लैंगिक–अनुपात बिहार से कम और भारतीय राज्यों में सबसे कम। वास्तव में समुचित शिक्षा का अभाव हरियाणा और बिहार दोनों में है और दोनों राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों लैंगिक–अनुपात में पीछे है। कहीं इसके लिए वहां की कृषि–अर्थव्यवस्था तो जिम्मेदार नहीं? जहां की फार्मिंग कृषि में पुरुषों की ज्यादा आवश्यकता के कारण पुरुषों की ज्यादा मांग है। जो भी हो ईसाइयों एवं जैनों तथा बौद्धों में शिक्षा एवं साक्षरता का स्तर हिन्दू, मुस्लिम और सिख की अपेक्षा उन्नत है और सामाजिक रूढ़िवादिता भी अपेक्षाकृत अत्यन्त कम है। शायद यही कारण है कि उनमें लैंगिक–अनुपात अपेक्षाकृत उन्नत है और उनमें ऐसा कट्टर हिन्दूवादी नेता नहीं है जो केवल पुत्र प्राप्ति के लिए प्रचार करता फिरे। इन धर्मों में दहेज की समस्या भी अपेक्षाकृत अत्यंत कम है अतः लैंगिक–अनुपात उन्नत है। लेकिन मुस्लिमों में भी तो दहेज–प्रथा कम है फिर उनमें क्यों लैंगिक–अनुपात कम है? हो सकता है कोई अनसुलझा पहलू यहां भी विद्यमान हो। जो भी हो अंततः यही कहा जा सकता है कि लैंगिक असमानता, दहेज, सामाजिक मान्यता एवं समुचित शिक्षा का अभाव आदि कुछ ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिन्हें सुलझाये बिना 'महिला सशक्तिकरण' की बात करना बेमानी होगा।

(लेखकद्वय लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं)

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

महिला अधिकार व सशक्तिकरण

करण बहादुर सिंह

मनुष्य एक स्वतंत्र प्रकृति का सामाजिक प्राणी है। जिसे अपने समग्र विकास, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने तथा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। अधिकार ही मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रबलता प्रदान करते हैं। महिला अधिकार इसी क्रम की एक सीढ़ी है। जिसके योगदान से होकर नारी अबला से सबला तक का सफर तय कर सकी है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं की स्थिति अत्यन्त शोचनीय बनी हुई थी। वह शोषण, तिरस्कार तथा कुप्रथा जैसी विसंगतियों का शिकार थी। समाज में कई प्रकार की रूढ़ियां व्याप्त थीं जिनमें बाल विवाह, सती प्रथा तथा समाज से तिरस्कृत विधवाएं आदि अन्य प्रथाएं प्रमुख थीं, जिसका कारण तात्कालिक सामाजिक विचार का पिछड़ापन तथा स्त्रियों का अज्ञानता के बन्धन में जकड़ा होना था। महिलाओं के अधिकार व सम्मान के लिए नारी आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आन्दोलनों से समय–समय पर क्रांतिकारी परिवर्तन होते रहे हैं। जिनमें राजा राम मोहनराय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों की भूमिका प्रमुख व सराहनीय रही है।

स्वाधीनता के पश्चात महिला कल्याण व सशक्तिकरण को राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पोषण मिला। महिलाओं की स्थिति में सुधार तथा महिलाओं को विकसित समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विधायी उपाय, कल्याणकारी योजनाएं तथा विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया। महिलाओं को अपने अधिकार तथा दायित्वों के प्रति सजग करने के लिए शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराए गए। जिससे महिलाओं में स्वावलम्बन और आत्म निर्भरता की भावना जाग्रत हो सकी।

विचारधारा के परिवर्तन से महिलाओं के कदम घर की चारदीवारी से निकलकर, दहलीज के बाहर की रंगीन दुनिया को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। महिलाओं के कदम दहलीज के बाहर जाना तत्कालिक समाज के विचारधारा के अनुरूप न था, किन्तु बीते समय के साथ यह पहल समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन का स्वरूप लिए राष्ट्र की विकासधारा में सम्मिलित हो गयी। राष्ट्र के विकास की अग्रणी दूत बनी महिलाओं द्वारा देश ही नहीं वरन् विदेश में भी अपने राष्ट्र का परचम लहराया गया। समुद्र की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की ऊचाईयां भी इन कदमों के सामेन छोटी पड़ गयीं। राष्ट्र की आन्तरिक तथा बाह्य गतिविधियां इनसे अछूती न रह पायीं।

प्रतिकूल परिस्थितियों में भी महिलाओं द्वारा निभायी गयी सराहनीय भूमिका का श्रेय उनके दृढ़ संकल्प, कर्तव्य परायणता तथा सहनशीलता को ही जाता है किन्तु यह विडम्बना ही है कि आजादी के इतने वर्षों पश्चात भी समाज के लगभग सभी वर्गों तथा क्षेत्रों में महिलाओं का विकास समान रूप से नहीं हो पाया है। जिसके लिए सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास जारी हैं।

सरकार राष्ट्र के संविधान की उद्देशिका में वर्णित सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए पूर्ण कटिबद्ध है। संविधान में वर्णित प्रमुख अनुच्छेद– 14, 15(3,4), 16, 19, 23, 24, 39 (डी), 42, 47, 243 (डी–टी) महिला कल्याण व सबलीकरण की दिशा में सभी वर्गों तथा क्षेत्रों की महिलाओं को विकास के आयाम छूने की लिए प्रेरित करते हैं। संरक्षण की दृष्टि से सरकार महिलाओं को अधिकार प्रदान करती है।

महिलाओं को प्राप्त अधिकारों को प्रासंगिक तौर पर प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमों का अनुप्रयोग किया गया है। महिला कल्याण में उपयोगी प्रमुख अधिनियम वर्णित हैं। जिनकी उपयोगिता सदैव सार्थक रही है।

समाज में महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण तथा उनकी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 'दहेज निषेध अधिनियम–1961' पारित हुआ जिसमें दहेज लेना तथा देना दोनों दण्डनीय हैं। आगे चलकर तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप 1986 में संशोधित अधिनियम पारित किया गया।

कामगार महिलाओं को समाज में आर्थिक समानता के अधिकार के लिए 'समान पारिश्रमिक अधिनियम–1976' अनुप्रयोग में लाया गया। इसके अन्तर्गत पारिश्रमिक में किसी प्रकार का भेदभाव अपराध माना जायेगा।

पति की मृत्यु के उपरान्त विवाहित द्वारा आत्मदाह करना 'सती निषेध अधिनियम–1987' के अन्तर्गत पूर्ण प्रतिबन्धित है। इस तरह की घटना करना तथा बलपूर्वक प्रेरित करना दण्डनीय है।

विकसित तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए 'प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम– 1994' लागू किया गया। जिसके अन्तर्गत गर्भावस्था में भ्रूण की पहचान नर व मादा के रूप में करना दण्डनीय है।

नारी अधिकार को और सशक्त बनाने के लिए कन्या को यह अधिकार प्रदत्त किया गया है कि वह बालिग होने से पूर्व किये गये विवाह को अमान्य करार दे सकती है। इसके लिए सरकार ने 'विवाह कानून अधिनियम–1976', 'विशेष विवाह अधिनियम–1954' तथा 'हिन्दू विवाह विवाह अधिनियम–1955' में तात्कालिकता के अनुरूप संशोधन कर महिलाओं को यह अधिकार प्रदान किया है।

कामकाजी महिलाओं को प्रसूति की सुविधा देने के लिए 'प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम–1961' पारित हुआ। कामकाजी महिलाओं को संस्थान द्वारा अवकाश तथा जरूरी चिकित्सा सुविधा अधिनियम के तहत दिलायी जाती है।

स्त्रियों से अनैतिक कार्य तथा बलपूर्वक देह व्यापार कराना 'वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम–1956' के तहत दण्डनीय है। यह समाज के लिए एक अभिशाप है। वर्ष 1986 में अधिनियम में संशोधन कर इसके प्रारूप को और सशक्त बना दिया गया।

वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 31 जनवरी 1992 में गठित 'राष्ट्रीय महिला आयोग' ने एक बिल का प्रारूप तैयार किया है। जिसके तहत लड़कियों का लगातार पीछा करना, स्त्रियों की शालीनता को आघात पहुंचाना तथा कोई ऐसी वस्तु भेजना जो आपत्तिजनक हो वह कानून के संज्ञान में अपराध माना जायेगा। यह प्रावधान आई.पी.

सी. की धारा 509, 509 (बी) तथा धारा 354 के तहत कानूनी कार्यवाही का प्रावधान तय करता है।

महिला विकास योजनाएं

सरकार महिला कल्याण तथा उनके विकास के लिए समय–समय पर विकास कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती है। योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार द्वारा प्रेरित स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग तथा ग्राम विकास मंत्रालय आदि द्वारा उपयोगी योजना का संचालन किया जाता है।

सभी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से स्वतंत्र बनाने तथा उनकी आय में निरनतर वृद्धि के लिए शिक्षा, तकनीकी व व्यवसायिक प्रशिक्षण की दशा और दिशा की ओर प्रभावी हैं। सरकार द्वारा संचालित प्रमुख उपयोगी योजनाएं निम्नवत् हैं–

वर्ष	योजनाएं	प्रमुख लक्ष्य (विवरण)
1997	कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना	महिला साक्षरता दर में वृद्धि तथा विशेष विद्यालयों की स्थापना।
2000	स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना	महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्षरत महिलाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर प्रोत्साहित करना।
2001	महिला स्वाधार योजना	स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सामाजिक तथा उनके सशक्तिकरण के पक्ष को सशक्त करना।
2001	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराना।
2003	जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना	आयु वर्ग 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को गंभीर बीमारी तथा उनके शिशु के जन्मजात अपंगता पर सुरक्षा प्रदान करना।
2003	जननी सुरक्षा योजना	गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण तथा शिशु जन्म उपरान्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
2003	मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	अल्पसंख्यक समुदाय में गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों को उच्च शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति, प्रदान करना।
पूर्व संचालित इंदिरामहिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना के स्थान पर संचालित	महिला स्वयं सिद्ध योजना	महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबन प्रदान करना।
2004	वंदेमातरम् योजना	गरीब व पिछड़े वर्गों की गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं
2004	कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना	बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था।

राज्य सरकारों द्वारा संचालित महिला विकास की प्रमुख योजनाएं

पंच धारा योजना (1 नवम्बर, 1991)– मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु संचालित।

स्वास्थ्य सखी योजना– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित, योजना के तहत कक्षा–8 तक पढ़ी 18 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग की अनुसूचित जाति की महिलाओं को 'मिड वाइफ' के रूप में प्रशिक्षण तथा चयनित महिलाओं को 500 रुपये भत्ता देय।

किशोरी बालिका योजना–बिहार सरकार द्वारा संचालित, योजना के तहत 14 से 18 वर्ष की किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य स्तर में सुधार तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अक्षर व अंक ज्ञान देना।

अपनी बेटी अपना धन योजना (2 अक्टूबर 1994)–हरियाणा सरकार द्वारा संचालित, सरकार द्वारा 2500 रुपये की राशि अनुसूचित जाति तथा जनजाति परिवार के नवजात शिशु कन्या के नाम इंदिरा विकास पत्र में निवेशित तथा 18 वर्ष के पश्चात् 25,000 रुपये के रूप में निवेशित कन्या को ही प्राप्त होना।

कामधेनु योजना–महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित, योजना के अन्तर्गत अपंग, निरक्षर व निराधार महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लड़कियों को 30 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान इत्यादि।

अन्य विकास कार्यों में सामाजिक प्रताड़ना और शोषण से ग्रसित महिलाओं के लिए अल्पावाधि निवास सदनों की स्थापना तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों से अत्याचार में कमी, सामाजिक चेतना व जागरुकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा एक शस्त्र के रूप में नव–चेतना का कार्य कर रही है। सम्भवतः इसी प्रकार यह प्रयास जारी रहा तो महिला साक्षरता दर में वृद्धि और सशक्तीकरण को बल मिल सकेगा।

जहां पहले समाज में स्त्रियों के सौन्दर्य को बुद्धि की तुलना में प्राथमिकता दी जाती थी। वहीं आज महिलाओं ने अपनी बुद्धि से अपने आप को सिद्ध करके दिखाया है कि वह केवल घर ही नहीं अपितु देश की बागडोर संभाल सकने की सामर्थ्य रखती है। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं तथा पुरुषों के मध्य व्याप्त समाजगत असमानता को नकारकर कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा। सरकार तथा समाज को महिलाओं के प्रति सहानुभूति के बदले अधिकार रूपी शस्त्र देना होगा तभी महिला कल्याण रूपी आन्दोलन सार्थक हो सकेगा। ✪

(स्वंतत्र पत्रकार)

वाटरशेड कार्यक्रम और कृषक महिलाएं

हेना नकवी

कृषि में प्रत्यक्ष योगदान के बावजूद महिलाओं को कृषक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हालांकि खेती के हर चरण में बुआई से लेकर कटाई और अनाज घर ले आने तक हर जगह महिलाओं का योगदान नकार पाना संभव नहीं है। हाल के वर्षों में वाटरशेड विकास कृषि के एक महत्त्वपूर्ण अभिगम के रूप में उभरा है। इसके विकास में महिलाओं के महत्त्वपूर्ण योगदान को सरकार और कृषि विशेषज्ञों ने भी महसूस किया है। वाटरशेड विकास कार्यक्रम अनेक प्रकार से महिलाओं को प्रभावित करता है। यह प्रभाव जहां उनके सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचा करता है, वहीं इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कृषि पद्धति के रूप में महिलाओं पर वाटरशेड कार्यक्रम के प्रभावों का लेखा–जोखा प्रस्तुत है।

पानी के माध्यम से ग्रामीण विकास की परिकल्पना को साकार किया है– वाटरशेड विकास परियोजना ने। मौजूदा समय में वॉटरशेड अभिगम को ग्रामीण विकास व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के एक कारगर उपाय के रूप में अपनाया जा जुका है। एक ओर इस कार्यक्रम के तहत मृदा–जल संरक्षण व प्रबंधन, वनिकी व कृषि विकास, पशुधन विकास, बागवानी, ऊर्जा प्रबंधन जैसे प्राकृतिक तत्वों का समावेश है तो दूसरी ओर नेतृत्व विकास, जागरूकता निर्माण, बचत व ऋण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मानव संसाधन विकास के तत्वों को भी शामिल किया गया है। इसीलिए वाटरशेड कार्यक्रम को एक समग्र अथवा संतुलित विकास अभिगम के रूप में देखा गया है।

वाटरशेड के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत महिलाओं के विकास पर भी समुचित ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। महिलाएं न सिर्फ कार्यक्रम का महत्त्वपूर्ण अंग हैं बल्कि कार्यक्रम के कुछेक तत्त्व तो प्रत्यक्षतः महिलाओं को लक्षित करते हैं जबकि कुछ तत्त्वों का दीर्घकालीन या अप्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं तक पहुंचता है।

इन परिणामों तक पहुंचने से पहले ग्रामीण समाज में महिलाओं की सामान्य स्थिति पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। गरीबी, अशिक्षा, शारीरिक दुर्बलता, अमुखरता, जड़ता, काम का बोझ, परिवार की ज़िम्मेदारी ग्रामीण महिलाओं के सामान्य परिलक्षण हैं। वाटरशेड विकास के परिप्रेक्ष्य में भी अक्सर इन परिलक्षणों से सामना होता है महिलाओं की सामाजिक भूमिकाएं या विशेषताएं कार्यक्रम के कई तत्त्वों में आड़े भी आती हैं। या फिर, कार्यक्रम के तत्त्वों को इनके साथ ही चलना होता है। इन विशेषताओं व वॉटरशेड कार्यक्रम के तत्त्वों का समायोजन ही हमें उन परिणामों तक पहुंचा सकता है जो अल्पकालीन परिस्थितियों में महिलाओं पर नज़र आते हैं।

सकारात्मक प्रभाव – किसी भी वर्षा आधारित कृषि व्यवस्था में छोटे किसानों–श्रमिकों को काम अपने क्षेत्र में केवल फसली मौसम में ही मिल पाता है। शेष महीनों में उन्हें काम की तलाश में दूर–दराज़ के स्थानों पर जाना पड़ता है। मगर वाटरशेड के रोज़गारपरक कामों जैसे–चेक डैम निर्माण, वानिकी, बाग़वानी आदि के तहत उन्हें एक निश्चित अवधि तक ग़ैर कृषि–ऋतु में भी अपने आसपास ही काम मिल जाता है। ग्रामीण महिलाओं को भी कुछ महीनों के लिए नर्सरी जैसे कामों में रोज़गार मिल जाता है। वाटरशेड कार्यक्रम के चौथे–पांचवें वर्ष से बागवानी कार्यक्रम की शुरूआत होने पर भी उन्हें रोज़गार मिल जाता है।

मृदा व जल संरक्षण के उपायों के अपनाये जाने से ज़मीन में नमी व फिर जलस्तर में वृद्धि होती है। इससे क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या तो हल होती है, महिलाओं के सर पर लदा पेयजल जुटाने का बोझ भी कम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की तलाश में महिलाओं–बालिकाओं को अक्सर मीलों भटकना पड़ता है। वाटरशेड कार्यक्रम का जल संरक्षण–प्रबंधन कार्यक्रम उनके भटकाव को कम करता है क्योंकि छः–सात वर्षों में स्वच्छ पेयजल की उनके अपने ही क्षेत्र में उपलब्धता हो जाती है।

वाटरशेड कार्यक्रम के चारागाह विकास एवं वानिकी उप–कार्यक्रमों के तहत शुरूआती वर्षों में सामुदायिक चारागाहों में पशु चराने व नज़दीकी जंगल से लकड़ियां तोड़ने से पाबंदी लगाने से महिलाओं की मुश्किलें बढ़ती नज़र आती हैं क्योंकी जानवरों को चराना व घर के चूल्हे के लिए ईंधन जुटाने जैसे काम हर हाल में महिलाओं के ही ज़िम्मे होते हैं। जल प्रबंधन से चार–पांच वर्षों में चारागाह विकास व सामुदायिक वानिकी के तहत ईंधन देने वाली प्रजातियों के वृक्ष उगाने से ये दोनों प्राकृतिक संसाधन इतनी प्रचुरता में उपलब्ध हो सकते हैं कि इनके तर्कसंगत प्रयोग के आधार पर इनकी कमी की समस्या को सुलझा सकते हैं, साथ ही महिलाओं को उनके अपने क्षेत्र में ये संसाधन उपलब्ध कराकर उनका अनावश्यक बोझ भी कम किया जा सकता है। खेती के बेहतर तरीके अपनाये जाने से खेतों की पैदावार के साथ–साथ जानवरों के चारे के तौर पर प्रयोग होने वाले फसल अवशेष में भी वृद्धि होती है। आवश्यकता से अधिक होने पर यह चारा बेच कर आय में आंशिक वृद्धि भी की जा सकती है। आमतौर पर इस तरह के काम महिलाएं ही करती हैं, इसलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि यह आय उनकी अपनी ही होगी।

वाटरशेड के बचत व ऋण कार्यक्रम के तहत महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। यह व्यवस्था उन्हें स्थानीय सेठ–साहूकारों के शोषण से तो बचाती ही है, उस निश्चित राशि पर उनका नियंत्रण भी स्थापित होता है। समूह में विचार–विमर्श और पैसे पर नियंत्रण के कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसके कारण उनमें मुखरता आती है। धीरे–धीरे पारिवारिक स्तर पर उनकी प्रस्थिति मजबूत होती है। आगे चलकर वे वाटरशेड कार्यक्रम के निर्णय में भागीदार बनती हैं।

अपने क्षेत्र में गैर कृषि ऋतु में भी उत्पादक कार्यों की उपलब्धता के फलस्वरूप बहुत हद तक ग्रामीणों का पलायन भी रूकता है। इससे बच्चों की शिक्षा में भी स्थायित्व आता हैं। यह भी देखा गया है कि जीवन में ठहराव आने के बाद महिलाओं ने भी शिक्षा पाने के प्रयत्न किए हैं। कार्यक्रम के जागरुकता निर्माण तत्व के तहत महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, मातृ–शिशु देखरेख की जानकारी दी जाती है। इससे बहुत हद तक जल संक्रमण से होने वाली बीमारियों पर अंकुश लगता है। परिवार में विशेष रूप से मां–बच्चे के स्वास्थ्य में बेहतरी होती है।

नकारात्मक प्रभाव – ग्रामीण परिवारों में रोजमर्रा के घरेलू कार्यों, बच्चों की देखभाल के अतिरिक्त महिलाएं, कृषि व अन्य रोजगारों में भी पुरुषों का हाथ बंटाती हैं। वॉटरशेड कार्यक्रम के तहत चेकडैम आदि के निर्माण में पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं को भी रोजगार मुहैया कराया जाता है। इस रोजगार का मतलब होता है महिलाओं पर काम के छः –सात अतिरिक्त घंटों का बोझ। अर्थात् चौबीस घंटों में कम से कम सोलह–सत्रह घंटे काम। इतने अधिक परिश्रम के बाद उन्हें अपनी शिक्षा या मनोरंजन पर ध्यान देने का न समय होगा, न शक्ति।

उन्नत कृषि अपनाने पर जब किसान साल में दो फसलें लेने की

स्थिति में होते हैं तब भी काम का बोझ महिलाओं पर ही पड़ता है, क्योंकि रोपाई से लेकर फसल काटने तक अधिकतर काम महिलाएं ही करती हैं। साल में एक अतिरिक्त फसल का मतलब है कम से कम तीन महीने कृषि कार्यों में अतिरिक्त संलग्नता। अर्थात् साल भर में कम से कम छः महीने कृषि कार्यों में संलग्नता।

चारे की प्रचुर उपलब्धता के फलस्वरूप पशुधन में वृद्धि होने पर भी सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं ही होती हैं क्योंकि पशुओं की देखरेख प्रायः महिलाओं के जिम्मे ही होती है। पशुओं पर आधारित आय उत्पादक गतिविधियां जैसे – दूध उत्पादन आदि महिलाओं पर कार्य का बोझ ही बढ़ाती हैं। मगर, महिलाओं की बदौलत अर्जित आय पर पुरुषों का अधिकार होता है, यह एक कड़वा सच है।

स्थानीय कृषि पद्धति में सुधार की बदौलत जब दो फ़सल लेने की स्थिति आती है तो कृषक नक़दी फसलें जैसे–गन्ना, कपास आदि लेने को लालायित होते हैं। इस स्थिति में यह आशंका होती है कि परिवार की भोजन व पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होंगी। उस सूरत में भी सीमित खाद्यान्न का नुकसान महिलाएं–बालिकाएं ही उठाएंगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों–बालकों को बेहतर व अधिक भोजन देना एक आम बात है। नकदी फसल की स्थिति में सीमित खाद्यान्न होने से या तो महिलाएं–बालिकाएं अपर्याप्त या निम्नस्तरीय भोजन पर ही संतोष करेंगी, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा या अतिरिक्त खाद्यान्न बाहर से खरीदना होगा जिसका मतलब होगा–घर की बचत यानी महिलाओं के पैसे का क्षय।

चारागाह विकास हेतु शुरूआती वर्षों में सामुदायिक चारागाह में पशु चराने पर पाबंदी का सबसे अधिक भुगतान महिलाओं को ही भुगतना होता है क्योंकि या तो उन्हें पशुओं को चराने के लिए और अधिक भटकना होगा या अपने पशु बेचने होंगे। ईंधन के क्षेत्र में भी सामुदायिक जंगलों से लकड़ियां लेने पर पाबंदी लगने के कारण लकड़ियों की तलाश में उन्हें और अधिक भटकना होगा क्योंकि घर का चूल्हा जलाना हर हाल में उन्हीं की जिम्मेदारी है।

सामुदायिक वानिकी विकास के तहत भी देखा गया है कि पुरुष अधिक धन देने वाली प्रजातियों के वृक्ष उगाने पर अधिक बल देते हैं। जहां कहीं भी निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में पुरुषों का बोलबाला होता है, महिलाओं की ज़रूरतें पूरी करने वाली प्रजातियों जैसे–फल, ईंधन देने वाले वृक्षों को नजर अंदाज किया जाता है।

लघु बचत व ऋण कार्यक्रम के अनुभव यह दर्शाते हैं कि महिलाओं की पाई–पाई से जोड़ी गई लघु पूंजी पर वास्तविक नियंत्रण पुरुषों का होता है। ऐसा भी देखा गया है कि इस पैसे का इस्तेमाल वे अपनी सुविधा के सामान खरीदने में करते हैं या शराब–जुए में उड़ा देते हैं।

जल–संरक्षण के उपायों के फलस्वरूप जब धरती के जलस्तर में वृद्धि होती है तो किसान अधिक धन देने वाली फसलों जैसे–ईख, अंगूर पर बल देते हैं जिनमें पानी की खपत अधिक होती है। दूरदर्शिता का यह अभाव उन्हें फिर से उसी स्थिति में पहुंचा देता है जब पानी की एक–एक बूंद कीमती होती है। उस स्थिति का अर्थ होगा, महिलाओं का फिर से पानी के लिए भटकना, फिर से उन पर शारीरिक बोझ, फिर से शिक्षा, मनोरंजन के लिए समयाभाव।

यों तो वाटरशेड विकास महिलाओं में नेतृत्व विकास व सामुदायिक निर्णयों में उनकी सहभागिता पर बल देता है मगर अक्सर ऐसा देखा गया है कि निर्णय पुरुष ही लेते हैं। महिलाओं को या तो इस प्रक्रिया में भागीदार बनने ही नहीं दिया जाता या फिर उनके निर्णय को सम्मान नहीं दिया जाता। यही नहीं, अक्सर सामुदायिक स्तर पर महिलाओं की मुखरता उनके अपने परिवार में कलह उत्पन्न कर देती है। ऐसी स्थिति में परिवार की शांति बचाने के लिए वे सामुदायिक विकास के कार्यों से पीछे हट जाती हैं या हटा दी जाती हैं। इसीलिए वाटरशेड कार्यक्रम पर लैंगिक पक्षपात का आरोप लगता है क्योंकि इसके सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व सहभागी निर्णय पर भी पुरुषों का वर्चस्व बना रहता है। कार्यक्रम के फायदों का मज़ा अक्सर पुरुष ही उठाते हैं, जबकि महिलाओं की स्थिति यथावत् बनी रहती है।

अगर दूरदर्शिता और समझदारी से काम लिया जाय तो वाटरशेड कार्यक्रम 'जेंडर बॉयस्ड' (लैंगिक विभेद) न होकर 'जेंडर जस्टिस' (लैंगिक समानता) के तौर पर उभरता है। क्योंकि इसके समस्त फायदे दीर्घकालीन स्तर पर महिला, पुरुष दोनों अर्थात् समग्र रूप से समुदाय तक पहुंचते हैं। खेत में फसलों के साथ उपजे किसी खर–पतवार की तरह कार्यक्रम के नकारात्मक प्रभाव अगर महिलाओं को झेलने होते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सामाजिक संरचनाएं और परिपाटियां, पुरुषों का महिलाओं के प्रति तथा स्वयं महिलाओं का अपने प्रति दृष्टिकोण, जिसके कारण महिलाओं को पीछे ढकेलना या अक्षम समझना आम बात है। वाटरशेड विकास का सामाजिक तत्त्व दरअसल उन्हीं नकारात्मक परिपाटियों में परिवर्तन का दूरगामी लक्ष्य लेकर चलता है। अल्पकालीन स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन कई स्थानों पर देखे भी गए हैं। जरूरत है ऐसे सकारात्मक संदेशों के प्रसार और पुनरावृत्ति की। वाटरशेड जैसे संतुलित–कार्यक्रम के माध्यम से हम सचमुच आने वाले दिनों में प्राकृतिक संसाधन विकास के साथ–साथ महिला विकास का सपना भी साकार कर सकते हैं।

वॉटरशेड विकास : भारत सरकार के प्रयास

संविधान के तिहत्तरवें संशोधन के द्वारा पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके अधिकारों में वृद्धि किए जाने के साथ ही साथ उन्हें वॉटरशेड विकास परियोजनाओं को लागू करने की महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी भी सौंपी गयी है। इसी के अनुरूप केन्द्र सरकार ने वॉटरशेड विकास की दिशा में नये उपाय किए हैं, जिनकी कुछ प्रमुख बातें निम्न हैं:–

- वॉटरशेड विकास के लिए दिए जाने वाले प्रति हेक्टेयर धन में वृद्धि।
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं की प्रमुख भूमिका।
- महिलाओं, ग्रामीण निर्धन विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का बेहतर प्रतिनिधित्व।
- दूर–संवेदी आंकड़ों का वॉटरशेड विकास एवं प्रबंधन में उपयोग।
- ऋण देने वाली संस्थाओं और बैंकों से बेहतर तालमेल, ऋण की आसान उपलब्धता व अन्य स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाना।

इन सबके अलावा केन्द्र सरकार ने ईश्वरन कमेटी की सिफारिश पर परियोजना में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले स्वयंसेवकों, श्रमिकों, कृषकों और महिलाओं के लिए बड़े पैमान पर प्रशिक्षण कार्य शुरू किया है। केन्द्र इसके लिए राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों और इस कार्य में संलग्न अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को आर्थिक मदद दे रहा है। वॉटरशेड कार्यकर्ताओं की क्षमता–वृद्धि और समयबद्ध परियोजना कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय वॉटरशेड प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना भी की गई है।

(लेखिका पीटीआई, गोरखपुर में संवाददाता हैं)

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर

देवेन्द्र उपाध्याय

राजस्थान के शेखावटी अंचल की अपनी विशिष्ट भाषायी, भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान रही है। यह अंचल अपने अकूत प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौंदर्य के लिए भी विख्यात है जो अरावली की पहाड़ियों और मरुस्थल का संगम है।

अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में बसे झुंझनू तथा सीवर जिलों में आंशिक रूप से पहाड़ी क्षेत्र का अहसास होता है वहीं चुरू जिले के मरुस्थली इलाके मरुभूमि का अहसास कराते हैं। शेखावटी क्षेत्र इन तीन जिलों में फैला है जिसका क्षेत्र 30 हजार 490 वर्ग किलोमीटर है, शेखावटी का लिखित–अलिखित इतिहास 1443 से 1750 तक शेखावटी राजपूतों के आधिपत्य के साथ ही शुरू हो जाता है।

शेखावटी क्षेत्र के विकास के लिए एम.आर.मोरारका फाउंडेशन ने एक दशक पहले पहल की, जिसके सकारात्मक परिणाम आज सामने आने लगे हैं। जो किसान दस वर्ष पहले अपनी जमीन से खाद, बीज और मेहनत की लागत तक वसूल नहीं कर पाते थे आज फाउंडेशन के सहयोग से अपनी जमीन में प्रति हेक्टेअर औसतन एक लाख रुपये या इससे अधिक कमा रहे हैं। जैविक खेती ने शेखावटी क्षेत्र में कृषि क्रांति ला दी है।

फाउंडेशन ने शेखावटी में किसानों की भागीदारी व सहयोग से अपने सीमित संसाधनों से वर्मी कल्चर पद्वति और जैविक खेती का कार्य शुरू किया। आज 6 हजार किसान और फाउंडेशन के सहयोग से डेढ़ लाख मीट्रिक टन से भी अधिक खाद तैयार हो रही है। जहां भी वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग हुआ, किसानों में स्वयं आर्गेनिक पद्धति शुरू कर दी। नवलगढ़ में करीब 10 हजार किसानों ने आर्गेनिक विधि से खेती शुरू कर दी है और एक हजार किसान सार्टिफिकेशन प्रणाली में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। खेती में जैव विविधता का उपयोग होने के साथ खेतों पर उपज की सफाई एवं ग्रेडिंग का काम शुरू होने का भरपूर फायदा किसान उठा रहे हैं। घरेलू कूड़े–कचरे की रिसाइक्लिंग उपयोग किया जाने लगा है।

मातृ एवं बाल कल्याण कार्यक्रम : फाउंडेशन ने 1995 में नवलगढ़ पंचायत के 25 गांवों से स्वास्थ्यकर्मी योजना शुरू की। पांच–पांच गांवों का समूह बनाकर मातृ एवं बाल कल्याण आधारित इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण व टीकाकरण तथा शिशु टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया। गांवों के लोगों द्वारा चुनी गयी महिला स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य दल की नियुक्ति के साथ ही जन–चेतना अभियान संचालित किये जाने लगे।

प्राथमिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम : नवलगढ़ तहसील के सवा सौ राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शत प्रतिशत साक्षरता तथा शिक्षा के स्तर में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इससे साक्षरता दर में वृद्धि के साथ अभिभावकों में शिक्षा के प्रति

जागरूकता आने लगी। सीकर जिले के झीगर बड़ी गांव की श्रीमती संतोष पचार खेती का सारा काम स्वयं देखती हैं उनके पास करीब दो हेक्टेयर जमीन है, और वे खेती करने वाली पहली महिला किसान शेखावटी क्षेत्र में हैं। उनके पति बाजार आदि का काम संभालते हैं।

संतोष पचार का कहना है कि पांच वर्ष पहले वे फाउंडेशन के संपर्क में आयी और आज उनकी कृषि आय दो से तीन गुना बढ़ गयी। तीन गायों और तीन भैसों समेत करीब 20 दुधारू पशु पालकर 70 लीटर दूध का उत्पादन करने वाली संतोष पशुओं के चारे की व्यवस्था भी स्वयं कर लेती हैं। उनकी सफलता से प्रेरित होकर दस किसानों ने जैविक खेती और वर्मीकल्चर पद्धति का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से नवलगढ़, पंचायत के 1500 परिवारों को फायदा पहुंचा है। चुरू व झुंझनू में 1500 स्वच्छता इकाइयों के निर्माण में फाउंडेशन ने सहयोग दिया है। स्वच्छता सेवा केंद्र के माध्यम से 8 हजार से अधिक छात्र–छात्राएं लाभाविन्त हुए हैं। बायो गैस/खाद कार्यक्रम में 66 से अधिक परिवारों को फायदा पहुंचा है।

जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम का लाभ 1250 से अधिक परिवारों ने उठाया है। नवलगढ़ पंचायत समिति की 10 ग्राम पंचायतों में पशुपालन विकास कार्यक्रम की सफलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 6310 पशुपालक और 15 युवक कुक्कुट पालन व्यवसाय से जुड़ गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के एकीकृत विकास कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभ महिलाओं को मिला है, वे आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ रही हैं। महिलाएं घर–परिवार की धुरी हैं। हर दुख–सुख का पहला प्रभाव उन पर ही पड़ता है। फाउंडेशन ने इस दिशा में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में पहल की है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)

बी–2, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, भाग–2, (सावित्री क्रासिंग) नई दिल्ली – 110048

दूरभाष: 011– 29221331, 29216330, फैक्स: 29222708

संगठन

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत 24 जनवरी, 1997 को निगमित किया गया। निगम की कुल प्राधिकृत अंश पूँजी रू0 200 करोड़ है।

लक्ष्य

रासकविनि का लक्ष्य सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार व उनके आश्रितों को उनके पारम्परिक पेशे को छुड़ाकर, उनकी दबी हुई सामाजिक दशा को सुधारना और उन्हें गरीबी से उपर उठाना है ताकि वह इस समाज में सामाजिक व आर्थिक सीढ़ी चढ़कर सम्मान और गर्व से जीवन यापन कर सके।

उद्देश्य

सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आय अर्जित करने वाली परियोजनाओं हेतु रियायती दर पर ऋण प्रदान करना और लक्षित समूह के विद्यार्थियों को व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करना।

व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी सुधार तथा स्वच्छता के कार्य हेतु विभिन्न सुविधा केन्द्र स्थापित करना।

पात्रता

लाभ लेने वाला स्वच्छकार/सफाई कर्मचारी और उन पर आश्रित राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना/सर्वेक्षण/सफाई कर्मचारी सभा/कानूनी/रजिस्टर्ड सहकारी सभा वैधानिक संगठित संघ, के अन्तर्गत चिन्हित होना चाहिए लाभार्थी व्यक्ति सफाई कर्मचारियों की पंजीकृत सहकारी संस्था या लक्षित समूह द्वारा कानूनी रूप से गठित संस्था का सदस्य होना चाहिए। यदि लक्षित समूह का कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में किए गये सर्वेक्षण के अन्तर्गत नहीं आ पाया है तो उसे स्थानीय राजस्व अधिकारी/स्थानीय नगर निकाय अधिकारी/छावनी कार्यकारी अधिकारी/रेलवे अधिकारी जिनका पद राजपत्रित अधिकारी से नीचे न हो से प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा।

1993 एक्ट की धारा 3 के अधीन, स्वच्छकार का अर्थ है वह सफाई कर्मचारी जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से हाथ से मानव मल उठाने का कार्य करता है जिसमें उनके आश्रित भी शामिल हैं। सफाई कर्मचारी का अर्थ है वह व्यक्ति जो स्वच्छता (सेनीटेशन) से सम्बन्धित कोई भी कार्य करता हो इसमें उनके आश्रित भी सम्मिलित है।

ऋण के प्रकार

मियादी ऋण

90 प्रतिशत मियादी ऋण उन योजनाओं में दिया जाता है जिनकी कुल लागत 5 लाख रू0 है। स्वच्छता (सेनिटेशन) पर आधारित यंत्रो पर कुल 10 लाख रू0 तक ऋण दिया जाता है। बकाया 10 प्रतिशत राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा सीमान्त धन अनुदान सहित व लाभार्थी के भाग सहित प्रदान किया जाता है।

2 लाख तक की लागत वाली योजना में लाभार्थी का भाग आवश्यक नहीं है। 2 लाख से ऊपर वाली योजना में लाभार्थी का 5 प्रतिशत भाग अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आय सीमा निर्धारित नही की गई है।

ब्याज दर

रासकविनि से राज्य माध्यम अभिकरण	3 प्रतिशत
राज्य माध्यम अभिकरण से लाभार्थी	6 प्रतिशत से अधिक नहीं

ऋण भुगतान की अवधि:– ऋण का भुगतान पाँच वर्ष में होना चाहिए मोरेटोशियम छः माह दे कर और उसके बाद 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज लाभार्थी से देय होगा।

लघु ऋण योजना

लघु ऋण योजना छोटे व्यवसाय/छुटकरकार्यो में आय अर्जित करने वाली योजना के लिए कुल रू0 5.00 लाख प्रदान करता है इस योजना के अन्तर्गत 20 व्यक्तियों के समूह को रू0 25000/– प्रति व्यक्ति के हिसाब से रियायती दर पर लाभान्वित किया जाता है। इस योजना में परियोजना लागत का 90 प्रतिशत रासकविनि द्वारा ऋण दिया जाता है। बकाया राशि राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा प्रदान की जाती है।

ब्याज दर

रासकविनि से राज्य माध्यम अभिकरण	2 प्रतिशत
राज्य माध्यम अभिकरण से लाभार्थी	5 प्रतिशत

ऋण भुगतान की अवधि:– ऋण का भुगतान तीन वर्ष में होना चाहिए मोरेटोशियम छः माह दे कर और उसके बाद 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज लाभार्थी से देय होगा।

महिला समृद्धि योजना

महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार एवं उन पर आश्रित बेटियों को कुल रू0 25000/– तक प्रति लाभार्थी 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। जो कि रासकविनि राज्य माध्यम अभिकरण को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान करता है।

शिक्षा ऋण

शिक्षा ऋण सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार व उनके आश्रितों को व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक प्राप्त करने के लिए प्रदान किया जाता है और इंजिनियर, चिकित्सा, प्रबन्धन, कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी दिया जाता है। ऋण कुल खर्च का 90 प्रतिशत व प्रति वर्ष 75000/– रू0 कुल 3,00,000 रू0 से अधिक नहीं दिया जाता बकाया 10 प्रतिशत राज्य माध्यम अभिकरण/लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत ऋण घटक

परियोजना का कुल 65 प्रतिशत राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत जो कि पहले बैंक द्वारा दिया जाता था अब रासकविनि द्वारा दिया जाता है ताकि योजनाओं को क्रियान्वित करने में विलम्ब न हो। बकाया 35 प्रतिशत राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा सीमान्त धन व अनुदान के रूप में दिया जाता है। अब तक रासकविनि ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, और छत्तीसगढ़ को इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया है।

- ऋण भुगतान की अवधि
- ऋण का भुगतान पाँच वर्ष में होगा और उसके बाद 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज लाभार्थी से देय होगा।

रू. 1.00 लाख तक की योजनाएँ/परियोजनाएँ

रासकविनि राज्य माध्यम अभिकरणों को रू. 1.00 लाख तक की योजनाएँ/परियोजनाएँ जो कि रासकविनि के मॉडल स्कीमों में सम्मिलित हैं या राज्य माध्यम अभिकरणों को पिछले वर्षों में रासकविनि द्वारा स्वीकृत की गई हों, में ऋण प्रदान करता है।

प्रशिक्षण

स्वच्छकारों सहित सफाई कर्मचारियों और उनके 18 या उससे अधिक वर्ष के आश्रितों को उद्योग–सेवा–व्यवसाय क्षेत्रों में आय–जनन कार्यकलाप चलाने हेतु किसी व्यवसाय या कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह राज्य माध्यम अभिकरण को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। जिस की कुल राशि 1 लाख रू. से अधिक न हो।

KH03/06/02

उपेक्षित जीवन और घटती नारी आबादी

इन्दु पाठक

कुछ दिन पहले 'इण्डिया टुडे' के पुराने अंक में एक लेख पढ़ा, विषय था– 'मिसिंग गर्ल चाइल्ड' जिसमें एक 27 वर्षीय मैकेनिकल इन्जीनियर श्रीमती धींगरा का जिक्र था जो कि अल्ट्रासाउंड परीक्षण द्वारा यह जानकारी होने पर कि उनके गर्भ का भ्रूण मादा है, तीन बार गर्भपात करवा चुकी थी जबकि उन्हें अभी माता बनना था। तीन कन्याभ्रूणों को नष्ट करवाने के पीछे उनका तर्क था कि वह पहले–पहल अपने मातृत्व को पुत्र सन्तान की मां बनकर ही महसूस करना चाहती हैं क्योंकि बकौल उनके 'इसी में औरत की इज्जत है।' इसी 'इज्जत' के लिये समाज के उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक उच्च शिक्षित महिला जो कि पुत्र सन्तान की अनिवार्यता के सामजिक दबावों को सहने में पूर्ण सक्षम हो सकती थी अपनी तीन–तीन अजन्मी बेटियों की हत्या में भागीदार बन चुकी थी। बेटी के माध्यम से मातृत्व के प्रथम अनुभव का सुख उठाना उन्हें मंजूर नहीं था। और इसीलिए स्वयं को मातृत्व के अहम् सुख से उन्होंने तीन बार वंचित कर लिया था।

शायद इसी प्रकार के विचारों के कारण आज लैंगिक अनुपात निरन्तर महिलाओं के प्रतिकूल होता जा रहा है। लैंगिक अनुपात अर्थात प्रतिहजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या। मानव जीवन के सन्दर्भ में आदर्श स्थिति यह कही जा सकती है कि जनसंख्या में स्त्री–पुरुषों की संख्या लगभग समान हो, परन्तु ऐसा है नहीं। पिछली सदी के इतिहास को देखा जाये तो स्पष्टतः प्रामाणित होता है कि भारत में महिलाओं की जनसंख्या में निरन्तर गिरावट आ रही है। क्या इसे संयोगमात्र मान लिया जाय कि जहां सन् 1901 में प्रति हजार पुरुषों पर 972 महिलाए थीं वहीं सन् 2001 तक आते–आते यह संख्या मात्र 933 रह गयी। आज भारत के 15 राज्य ऐसे है जहां लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम है और विडम्बना यह है कि यह असन्तुलन देश के सम्पन्नतम हिस्सों में अधिक देखा जा रहा है। पंजाब, हरियाणा व दिल्ली जैसे सम्पन्न राज्यों में प्रतिहजार पुरुषों में 900 से भी कम महिलाएं हैं। दक्षिण–पश्चिमी दिल्ली जैसे फैशनेबल व समृद्ध इलाके में, जहां कि अधिकांशतः शिक्षित लोग रहते हैं, पिछले दशक में लिंगानुपात में 50 अंकों की कमी आयी है। ये आंकड़े हमारी नगरीय मानसिकता के पिछड़ेपन को ही जाहिर करते हैं।

बाल लिंगानुपात (0–5 आयुवर्ग) के सन्दर्भ में तो स्थिति और भी अधिक भयावह दिखाई देती है। 1991 में जहां प्रतिहजार बालकों में 945 बालिकाए थीं, वहीं सन् 2001 में यह संख्या मात्र 927 रह गयी है। बड़े–बड़े नगरीय केन्द्रों में तो स्थिति ओर भी अधिक प्रतिकूल दिखाई देती है। दिल्ली (850), मुम्बई (898), फरीदाबाद (856), अहमदाबाद (814), बड़ौदा (873), राजकोट (844) तथा जयपुर (897) जैसे महत्वपूर्ण नगरों में 1991 की तुलना में बालिकाओं के लिंगानुपात में 50 से भी अधिक संख्या की कमी हुई है। अमृतसर, पटियाला, अम्बाला व कुरुक्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा के सम्पन्न नगरों में आज प्रतिहजार बालकों में 800 से भी कम बालिकाएं हैं।

पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की निरन्तर घटती हुई यह संख्या एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अमरीका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन व जापान जैसे विकसित देशों में लिंगानुपात प्रायः सन्तुलित ही रहा है तथा कहीं–कहीं तो यह महिलाओं के पक्ष में अधिक दिखाई देता है। परन्तु क्या कारण है कि भारत में महिलाओं की संख्या निरन्तर कम हो रही है? फिर भी कोई विशेष चिन्ता व्यक्त नहीं की जाती। महिलाओं की संख्या यदि इसी तरह निरन्तर कम होती रही तो समाज का भविष्य क्या होगा? दीर्घकालीन सन्दर्भ में यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो भयावह सामाजिक असन्तुलन उत्पन्न होने के आसार दिखाई देते हैं जो कि मानवीय सभ्यता व संस्कृति को उलट–पुलट सकते हैं।

क्या लिंगानुपात इसलिए कम हो रहा है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर हैं या कि कतिपय सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों, मान्यताओं व कुप्रथाओं के चलते स्त्री जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा रहा है? इन बिन्दुओं पर भी चर्चा करना अपेक्षित होगा। जीव वैज्ञानिक नियम बताते हैं कि बालिका शिशुओं में अधिक प्रतिरोधी शक्ति होने के कारण उनमें बीमारियों से जूझने की क्षमता अधिक होती है। अतः जन्मोपरान्त बालक शिशुओं की तुलना में बालिका शिशु की मृत्यु कम होती है। परन्तु यदि भारतीय सन्दर्भ में देखा जाय तो 5 वर्ष की आयु तक आते–आते बालक–बालिकाओं के अनुपात में स्पष्ट अन्तर दिखाई देने लगता है और इस अन्तर की उत्पत्ति का प्रमुख कारण हमारी स्वयं की सामाजिक–सांस्कृतिक व आर्थिक स्थितियों में ही निहित है। बेटे के समक्ष बेटी को दोयम दर्जा दिया जाना, वंशपरम्परा के विस्तार व पितारों की मुक्ति के लिए पुत्र सन्तान की अनिवार्यता, महिलाओं के लिए शिक्षा के सीमित अवसर, चिकित्सकीय सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता, उच्च मातृ मृत्यु दर तथा दहेज जैसी कुप्रथा के कारण बालिका व महिला जीवन को उपेक्षा से देखना आदि ही अपेक्षाकृत उच्च बालिका/महिला मृत्यु दर के कारण कहे जा सकते हैं और ये कारण ही बिगड़ते लिंगानुपात के लिए भी जिम्मेदार हैं।

बालिकाओं की संख्या में इस तीव्र कमी के लिए उपरोक्त कारणों के साथ–साथ हमारी आधुनिक उच्चतम तकनीकी कुशलता भी उत्तरदायी है। जिसकी सहायता से लिंग परीक्षण के उपरान्त कन्या भ्रूण की हत्या एक स्वाभाविक चलन बन गया है। यहां एक अन्य बिन्दु की चर्चा करना भी उचित होगा। एक ओर है जनसंख्या नियन्त्रण का घोषित राष्ट्रीय कार्यक्रम और दूसरी ओर है पुत्र जन्म की अनिवार्यता सम्बन्धी पारम्परिक सामाजिक मूल्य। इन दोनों के बीच पिस रही है महिला चाहे वह जन्म देने वाली हो या जन्म लेने वाली। सन्तान की संख्या सीमित भी रखनी है और बेटा भी चाहिए ही, साथ ही उपलब्ध है लिंग निर्धारण परीक्षण की उच्च तकनीक। इन सबके बीच जन्म लेने वाली जोकि स्वयं अपने विकल्पों का चयन करने की स्थिति में नहीं है, लिगं निर्धारिण परीक्षण से गुजरकर कन्या भ्रूण होने की स्थिति में गर्भपात करवाने को बाध्य है और तब जन्म ले सकने वाली को तो मृत्यु को वरण करना ही पड़ेगा। एक पक्ष और भी है जिसकी चर्चा किये बिना बात अधूरी रहेगी और वह पक्ष है हमारी चिकित्सकीय नैतिकता का ह्रास जिसके कारण ही हमारी लाखों–लाख बेटियां जन्म से पहले ही खो जाती हैं। यदि हमारा चिकित्सकीय समुदाय इस प्रकार के अपराधों में शामिल न हो तो भ्रूण हत्या का इतना गम्भीर रूप हमारे सामने नहीं आता।

लिंगानुपात का यह असन्तुलन गत शताब्दी की गम्भीरतम समस्याओं में से एक माना जा सकता है जिसके परिणाम भयावह होंगे। हमें समझना होगा कि स्त्री–पुरुष दोनों ही सृष्टि का आधार हैं, दोनों मिलकर विवाह व परिवार जैसी संस्थाओं की स्थापना, संरक्षण व पोषण करते हैं, सन्तानों को जन्म देकर समाज की निरन्तरता को बनाये रखने में अपना योगदान देते हैं। अतः समाज के सन्तुलित विकास के लिए दोनों की संख्या समान होना आवश्यक है। स्त्री 'मां' के रूप में मानव जाति की सर्जक व पालक दोनों ही है, मानव शिशु के जन्म व पोषण कार्य की कल्पना भी स्त्री के बगैर करना असम्भव है। हमारा अतीत गवाह है कि जीवन के सभी क्षेत्रों, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य आदि में स्त्रियों ने हमेशा से ही अपना अमूल्य योगदान दिया है व दे रही हैं। शास्त्रों में वह शक्तिस्वरूपा देवी मानी गयी है, उसे पुरूष की अर्धांगिनी कहा जाता है तथा पत्नी के बिना पुरुष अनेक धार्मिक–सांस्कृतिक कर्तव्यों की पूर्ति हेतु अक्षम माना गया है। इतना सब होने पर भी औसत स्त्री का जीवन हमेशा से उपेक्षित रहा है जिसका प्रत्यक्ष परिणाम उनकी संख्या में होने वाला क्रमिक ह्रास है। यह ह्रास कालान्तर में न केवल महिला समुदाय बल्कि सम्पूर्ण मानवीय सभ्यता के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकता है।

आज महिलाओं के सामाजिक–राजनीतिक अधिकारों की बात की जाती है, उनके विकास व कल्याण की पुरजोर वकालत होती है परन्तु उनके लिए बनाये गये संवैधानिक प्रावधानों, नियमों व कानूनों को अमल में लाने की कोशिश उतने सशक्त ढंग से नहीं होती। महिलाओं की स्थिति, उनका कल्याण व सशक्तिकरण जैसे मुद्दे राष्ट्रीय–अन्तरराष्ट्रीय गोष्ठियों व बहसों में जोर–शोर से उठाए जाते हैं परन्तु चर्चा का केन्द्र महिलाओं की घटती आबादी कभी नहीं बन पाता। आवश्यकता है इस बिन्दु पर गम्भीरता से चिन्तन–मनन करने की। विभिन्न अध्ययनों व विश्लेषणों के आधार पर महिला जनसंख्या में क्रमिक ह्रास के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार स्पष्ट होते हैं– परिवारों में बालिकाओं की उपेक्षा, बाल विवाह, उच्च मातृ मृत्यु दर, दहेज जनित हत्याएं तथा कन्या भ्रूण हत्या आदि।

महिला जीवन को खतरे में डालने वाले अन्य कारण भी हैं परन्तु उक्त कारण उनके लिए विनाशकारी प्रमाणित हो रहे हैं। बालिका की उपेक्षा जन्म के पहले ही शुरू हो जाती है, परिणाम मादा भ्रूण हत्या के रूप में दिखाई दे रहा है। परिवारों में बालिकाओं की उपेक्षा का सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य व पोषण के स्तर पर पड़ता है। बेटी की जिम्मेदारी से जल्दी से जल्दी मुक्त होने की चाह बाल विवाह का कारण बनती है और कम आयु में विवाह व मातृत्व उच्च मातृ मृत्यु दर का कारण है। इसके अतिरिक्त दहेज जनित महिला मृत्यु के आंकड़े तो साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता आदि का दुष्प्रभाव भी महिला जीवन पर अधिक देखा गया है। यही सब वे कारण हैं जो घटती नारी आबादी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं।

हमारे संविधान में अवसरों की समानता की व्यवस्था है, वह लैंगिक विषमता को पूर्णतः अस्वीकार करता है। आज बाल विवाह व दहेज प्रथा कानूनन पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। आवश्यकता है इन संवैधानिक प्रावधानों व कानूनी सुरक्षाओं के सम्मान की, समाज को उन कुप्रथाओं के प्रति जागरूक करने की। हमें हर सम्भव प्रयास करना चाहिए कि महिला जीवन सुरक्षित रहे। यदि हमें अपने समाज व उसके भविष्य को संवारना है तो हमें अपनी बेटी के लिए भी चिन्तित होना होगा, उसे जन्म देना होगा, उसे बचाये रखना होगा और यह सब करके ही हम अपने भावी समाज को सम्भावित अराजकता से बचा सकेंगे तथा मानवता की वास्तविक सेवा कर सकेंगे। ✪

(लेखिका कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल में समाजशास्त्र विभाग में रीडर हैं)

महिला बीड़ी कारीगर

एक व्यापक विश्लेषण

रवि प्रकाश यादव और नंदन कुमार

महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी एवं परंपरागत सोच ने 20वीं सदी के आरंभिक दशक तक स्त्री को पिता, पति एवं पुत्र का 'आश्रित' मानते हुए उसे मुख्य रूप से घर की चहारदिवारी तक सीमित रखा। खाना बनाना, बच्चों, पति एवं बुजुर्गों की देखभाल करना जैसी परंपरागत भूमिका की गिरफ्त में उलझी महिलाओं के लिए कुछ अपवादों एवं उदाहरणों को छोड़कर कोई अन्य गैर घरेलू भूमिका न के बराबर थी। हाल के कुछ दशकों से महिलाओं ने बड़ी तादाद में घरेलू दायित्वों के अतिरिक्त कारखानों, बागानों, खादानों, सरकारी कार्यालय, छोटे एवं बड़े पैमाने के उद्योगों, विनिर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के पापड़, कालीन, जरी, ईंट भट्टा, सिल्क, एम्ब्रोइडरिंग, टेलरिंग, बीड़ी निर्माण कार्य में एक श्रमिक की नई भूमिका के रूप में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। महिलाओं की इस नई भूमिका का जन्म इनके प्रति बदली हुई सामाजिक सोच, कमजोर पड़ते रूढ़िवादी दृष्टिकोण, पनपती नई आर्थिक संस्कृति एवं परिवार पर बढ़ते हुए आर्थिक दबाव का परिणाम है। आर्थिक जगत में महिलाओं के इस प्रवेश ने सूक्ष्म स्तर पर परिवार निर्माण एवं व्यापक स्तर पर राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की।

मुख्य रूप से दो मुद्दे किसी भी शोधकर्ता का ध्यान आर्थिक रूप से सक्रिय महिला श्रमिक की ओर आकृष्ट कर लेते हैं। पहला देश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की कम संख्या (पुरुष श्रमिकों से आधी) अर्थात् आर्थिक क्षेत्रों में निम्न महिला कार्य सहभागिता दर का होना। हमारे देश में पुरूष एवं महिला कार्य सहभागिता में 26 प्रतिशत लैंगिक अंतर है। यह दर बिहार प्रांत में 29 प्रतिशत है। दूसरा असंगठित क्षेत्रों जैसे कालीन, बीड़ी, पापड़, जरी, ईंट भट्टा, एम्ब्रोइडरिंग आदि कार्यों में महिला श्रमिकों का अत्यधिक आर्थिक, शारीरिक, मानसिक एवं यौन शोषण होता है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2001) ने भी माना कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों का आर्थिक शोषण होता है, जिसमें उनको मनमाने ढंग से न केवल कच्ची सामग्री के नियोजक व ठेकेदारों द्वारा कम आपूर्ति की जाती है बल्कि मजदूरी भी कम दी जाती है, जिसके कारण इनकी मेहनत का अंश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत कम दृश्य होता है। देश के 40 करोड़ श्रमिकों में 27.4 करोड़ (69 प्रतिशत) पुरुष एवं 12.4 करोड़ (31 प्रतिशत) महिला श्रमिक हैं। मौटे तौर पर श्रम शक्ति को संगठित एवं असंगठित दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। श्रमशक्ति का अधिकांश हिस्सा लगभग 93 प्रतिशत (37 करोड़) असंगठित क्षेत्र एवं मात्र 7 प्रतिशत (2.79 करोड़) संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। असंगठित क्षेत्र में 25.11 करोड़ (68 प्रतिशत) पुरुष एवं 11.89 करोड़ (32 प्रतिशत) महिला श्रमिक हैं। 12.4 करोड़ महिलाओं में 85 प्रतिशत ग्रामीण एवं 15 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में कार्यरत हैं। क्षेत्रानुसार वितरण देखा जाये तो महिला श्रमिकों की कुल संख्या का 96 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में संलग्न है। द्वितीय श्रम आयोग ने जिन 10 विनिर्माण कार्यों को चिन्हित किया है, जिनमें सबसे अधिक महिला श्रमिकों का संकेन्द्रण है उसमें तंबाकू क्षेत्र सबसे शीर्ष पर है। इसके अतिरिक्त महिला श्रमिक संकेन्द्रित विनिर्माण क्षेत्र हैं– सूती वस्त्र, मशीन, यंत्र एवं पुर्जा, दियासलाई, आतिशबाजी, मिट्टी–ग्लास, सीमेंट, लोहा एवं स्टील, ड्रग्स एवं मेडिसीन, बेकरी एवं अनाज मिल्स तथा गारमेंट निर्माण कार्य।

देश में तंबाकू सेवन का प्रमुख माध्यम बीड़ी, सिगार, गुटका, खैनी, गुल, हुक्का, जर्दा आदि हैं। भारत में तंबाकू क्षेत्र में लगभग 2.6 करोड़ श्रमिक हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार तंबाकू क्षेत्र में 76 प्रतिशत लोगों को रोजगार अकेले बीड़ी निर्माण उद्योग प्रदान करता है। बीड़ी (रौलिंग) कार्य में बड़ी तादाद में महिलाओं की संलग्नता इस क्षेत्र में इनके संकेन्द्रण की ओर इशारा करती है।

गृह आधारित कार्य में महिला श्रमिकों का संकेन्द्रण

महिला बीड़ी श्रमिकों की सामाजिक, रोजगार, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां अत्यंत दयनीय एवं चिंतनीय है। गृह आधारित कार्य होने के कारण महिला बीड़ी कारीगरों का संगठित होना एक अति कठिन कार्य होता है, जिसके कारण इस कार्य में अधिकांश महिलाएं अत्यंत दयनीय जीवन जीने हेतु अभिशप्त हैं। प्रायः देखा गया है कि जिन समुदायों की सांस्कृतिक परंपरा में महिलाओं के लिए पर्दा एवं एकांतता पर जोर है, उन समुदायों में महिलाओं के लिए बीड़ी निर्माण जैसे गृह आधारित कार्य को ही 'सामाजिक स्वीकृति' मिलती है। वस्तुतः बीड़ी

निर्माण जैसा गृह आधारित कार्य अनुत्पादक एवं उत्पादक कार्य के बीच अनुकूलता व संतुलन उत्पन्न करता है। निर्धन मुस्लिम परिवार की महिलाएं अपने घरेलू श्रम के अधिकतम उपयोग के लिएं बीड़ी रौलिंग कार्य के अवसर को स्वीकार लेती हैं। परिवार के महिला श्रम का उपयोग 'पारिश्रमिकपूर्ण अवसर की उपलब्धता' पर निर्भर करता है। इसके अलावा महिलाएं स्थापित रीति–रिवाज से खिलाफात कर दूसरे गैर घरेलू कार्य को स्वीकारने की स्थिति में नहीं होती हैं। 1980 के दशक में जब बीड़ी रौलिंग कार्य कारखाना भवन से कारीगर के घर पर स्थानांतरित हो गया तब इस कार्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई। बीड़ी कंपनी द्वारा यह स्थानांतरण विधान द्वारा बीड़ी कारीगरों के लिए निर्धारित सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य कानूनी उलझनों से बचने के उद्देश्य से किया गया था। यद्यपि महिलाएं अपने पारिवारिक आर्थिक दबाव के कारण इस कार्य में लग तो जरूर जाती हैं लेकिन इससे उनके जीवन में एक और संघर्ष का सामना करना जुड़ जाता है, जिसकी कीमत अपनी नींद, आराम, फुरसत के पल आदि को गंवाकर चुकानी पड़ती है।

परिचय पत्र

देश के 31 प्रतिशत (14 लाख) बीड़ी श्रमिकों को परिचय पत्र निर्गत नहीं हो पाया है। इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि पुरुष श्रमिकों की तुलना में कई गुणा अधिक महिला बीड़ी कारीगर स्थानीय बीड़ी चिकित्सालय, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी परिचय पत्र से वंचित हैं। मुस्लिम समुदाय में पर्दा प्रथा के कारण भी महिलाएं अपने नाम का परिचय पत्र नहीं बनवा पाती हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि इन परिचय पत्रविहीन महिला बीड़ी श्रमिक को श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ्त चिकित्सा सुविधा एवं कल्याण संबंधी सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। इस प्रकार वो अपनी टी. बी., अस्थमा, साइटिका, कमर की हड्डी में पानी, नेत्र दोष संबंधी रोग का मुफ्त इलाज सरकारी बीड़ी डिस्पेंसरी में नहीं करवा पाती हैं। इस कार्ड को निर्गत करवाने में कई बार इन महिलाओं को संबंधित श्रम कार्यालय एवं श्रमिक संघ के नेता की मुट्ठी भी गर्म करनी पड़ती है।

कच्ची सामग्री की आपूर्ति

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने अध्ययन में पाया है कि इन महिला बीड़ी कारीगरों को बिचौलिए (ठेकेदार, एजेंटी, वेंडर) द्वारा तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री की कम आपूर्ति की जाती है। इन श्रमिकों को 1000 बीड़ी रौल करने हेतु 800 ग्राम तेन्दू पत्ता, 300 ग्राम तंबाकू एवं एक लच्छा सूती धागा मिलना चाहिए किन्तु इन बिचौलियों द्वारा इस सामग्री की प्रायः अपर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जाती है। महिला बीड़ी कारीगरों को प्रायः इन बिचौलियों के घर पर कम कच्ची सामग्री की आपूर्ति की शिकायत करते हुए देखा जा सकता है। ठेकेदार से पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बढ़ाने पर कारीगर को काम मिलना भी बंद हो जाता है।

गरीबी की गर्त में गिरी इन महिला कारीगरों के सामने ठेकेदार से कम मात्रा में कच्ची सामग्री को स्वीकारने के सिवाए कोई विकल्प ही नहीं होता है। इस अपर्याप्त आपूर्ति को महिला ऊंचे मूल्य पर कच्ची सामग्री खरीद कर पूरा करती है। ऐसा नहीं करने पर इन महिला कारीगरों की मजदूरी से इसी अनुपात में ठेकेदार द्वारा कटौती कर ली जाती है। इसलिए महिलाएं मजदूरी में कटौती एवं काम नहीं मिलने के भय से खुद ही इस कमी को पूरा करती हैं, जो उन्हें अपने बटुए से लगाना होता है। इसके अतिरिक्त ठेकेदारों द्वारा तैयार बीड़ी को बड़े पैमाने पर खराब गुणवत्ता के नाम पर छांट दिया जाता है। इसे वो लेने से अस्वीकार कर देता है। इस छांटी गई तैयार बीड़ी की मजदूरी महिलाओं को नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ छांटी गई बीड़ी की संख्या के अनुपात में अगले दिन के लिए कच्ची सामग्री से कटौती भी कर ली जाती है।

मजदूरी

बीड़ी निर्माण कार्य में लगे बीड़ी कामगार की न्यूनतम मजदूरी राज्यानुसार भिन्न–भिन्न होती है। श्रम नियोजन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 3264/2004 के अनुसार प्रति हजार बीड़ी रोलिंग की न्यूनतम मजदूरी 52 रुपया है किन्तु वास्तव में इनको न्यूनतम मजदूरी से 30 प्रतिशत तक कम मजदूरी प्राप्त होती है। महिला बीड़ी श्रमिकों को मजदूरी संबंधी तीन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है (1) न्यूनतम मजदूरी दूसरे काम की तुलना में बीड़ी रोलिंग में कम होना, (2) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित तिथि से नहीं मिलना, (3) न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य सुविधाओं की मांग करने पर, इसके लिए आवाज उठाने पर बीड़ी कंपनी मालिक द्वारा अपने स्थानीय बीड़ी गोदाम को हटाकर दूसरे आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थानांतरित कर देना इसके अतिरिक्त मनमाने ढंग से औसतन महिने में 10 से 15 दिन काम नहीं देना, जिससे इन निर्धन बीड़ी श्रमिकों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाती है।

रोजगार माध्यम

देश के 75 प्रतिशत बीड़ी श्रमिकों को ठेकेदारों एवं बिचौलियों के माध्यम से तथा 25 प्रतिशत श्रमिकों को खुद से बीड़ी रोलिंग का काम प्राप्त होता है। बिहार, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश जैसे प्रांतो में यह कार्य अधिकांश स्थितियों में ठेकेदार द्वारा ही प्रदान किया जाता है।

रोजगार में प्रवेश के वक्त आयु

बीड़ी रोलिंग का कार्य हुनर व कुशलता पर आधारित होने के कारण अधिकांश महिलाएं प्रायः अपनी बाल्यावस्था में और कई बार तो 4 वर्ष की उम्र से बीड़ी–रोलिंग के कार्य से जुड़ या जोड़ दी जाती हैं। पचास प्रतिशत महिलाएं 5–10 एवं अन्य पचास प्रतिशत महिलाएं 10–15 वर्ष की आयु में इस कार्य से जुड़ जाती हैं। इससे महिलाएं वयस्क होने तक सहायक बीड़ी श्रमिक के रूप में मुख्य बीड़ी कारीगर के संयुक्त खाते में ही काम करती हैं। प्रायः मां अपनी बेटियों को यह हुनर सिखाती है। यह 'हुनर स्थानांतरण' इसलिए भी संभव हो पाता है कि इससे इन निर्धन परिवारों को अपने आर्थिक दबाव को एक सीमा तक कम करने का अवसर मिल जाता है। इस कार्य में महिलाएं परंपरागत रूप से लगी होती है।

कार्य एवं जीवन स्थिति

बीड़ी कार्य में लगी महिलाओं की कार्य एवं जीवन स्थितियां, सौदेबाजी क्षमता पुरुष श्रमिकों की तुलना में और भी कमजोर होती हैं। न तो नियोजक और न ही ट्रेड यूनियन महिलाओं को श्रमशक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। क्योंकि वे देखते हैं कि व्यावहारिक जीवन में गृह आधारित कार्य को छोड़कर बाहर दूसरे कार्य को करने में पूरी तरह

से स्वतंत्र नहीं होती हैं। इस कार्य में लगी महिला श्रमिकों में निम्न गतिशीलता, निम्न आर्थिक स्थिति एवं अत्यधिक निर्धनता के लक्षण दृश्य होते हैं। इनकी इस कमजोर आर्थिक स्थिति का प्रमुख कारण निम्न मजदूरी, कमजोर सौदेबाजी क्षमता, वैकल्पिक रोजगार का अभाव होना है। क्योंकि ये वैसे श्रमिक हैं जिनके पास रोजगार का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। कम मजदूरी मिलने एवं अत्यधिक शोषण होने पर भी जिंदा रहने के लिए ये महिलाएं बीड़ी रोलिंग का काम करती हैं। इनके जीवन स्थितियों को नजदीक से देखने से ऐसा प्रतीत होता है– मानो ये कल भी भूखे थे, आज भी भूखे हैं और यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में भी भूखे रहेंगे। जीवन की गुणवत्ता के नाम पर न तो इनको खाने के लिए पोषाहार युक्त भोजन नसीब है, न पीने का स्वच्छ जल, न शौचालय की समुचित व्यवस्था है, न स्नान करने को स्नानागार, न सड़क की सुविधा है, न बिजली की रोशनी। पेट की मार ने इनके बच्चों को किताब व गुड्डे–गुड़ियों की जगह तंबाकू व तेन्दू पत्ते से खेलने को मजबूर कर दिया है। अधिकांश महिला बीड़ी श्रमिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने के कारण प्रायः शौचालय विहीन एक कोठरी वाले कच्चे मकान में रहती हैं।

शैक्षिक स्थिति

बीड़ी रोलिंग कार्य में लगी महिला श्रमिकों में उच्च अशिक्षा दर पायी गयी है। देश की 60 प्रतिशत महिला बीड़ी श्रमिक अशिक्षित हैं। भारत में बिहार वह प्रांत है जहां सर्वाधिक लगभग 91 प्रतिशत बीड़ी महिला श्रमिक अशिक्षित हैं, जबकि आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु में यह दर क्रमशः 86 प्रतिशत, 78 प्रतिशत, 2 प्रतिशत है। केरल एक मात्र ऐसा प्रांत है जहां सभी महिला बीड़ी श्रमिक शिक्षित हैं।

स्वास्थ्य संबंधी स्थिति

गृह आधारित काम होने के अपने फायदे एवं नुकसान होते हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल महिला श्रमिक पर बल्कि उसके परिवार के संपूर्ण सदस्यों पर पड़ता है। दिन–रात तम्बाकू के साये में रहने के कारण निकोटीन का जहर इन श्रमिकों के फेफड़ों को धीरे–धीरे गलाना शुरू कर देता है। तम्बाकू की तेज गंध की धांस इनके फेफड़ों को बुरी तरह से झुलसा देती है। फलतः तम्बाकू की तेज गंध व निकोटीन के जहरीले प्रभाव छोटे एवं बंद कमरों में लंबे समय तक काम करने वाली इन महिलाओं को टी.बी., अस्थमा, ब्रोनकाइटिस, साइटिका, अधिक मासिक स्राव, एनिमिया, नेत्रदोष, सरदर्द, कमर झुक जाना, कमर की हड्डी में पानी बन जाना जैसी बीमारियां अपना आसान शिकार बना लेती हैं। इनके व्यावसायिक रोगों के इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सालयों से चिकित्सा सुविधा प्राप्त न होना तथा अपर्याप्त होना इनकी बीमारी को अति गंभीर बना देता है।

बीड़ी महिला श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्य प्रायः स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रसव–सुविधा, सामूहिक बीमा, खेलकूद, मकान आदि सुविधा को मोहताज होते हैं। विशेषकर बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। प्रति हजार बीड़ी उत्पादन पर केन्द्र सरकार 2 रुपया सेस बीड़ी मालिक से लेती है, जिसका उपयोग केन्द्रीय श्रम मंत्रालय अपने बीड़ी चिकित्सालय, बीड़ी अस्पताल के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा सेवा सुविधा जरूरतमंद श्रमिकों एवं उसके परिवार के सदस्य को प्रदान करता है।

सामाजिक सुरक्षा

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत महिला बीड़ी श्रमिकों की मजदूरी से 10 प्रतिशत की दर से इस कोष के लिए कटौती अनिवार्य है। लेकिन वास्तव में इससे संबंधित कई समस्याओं का सामना इन श्रमिकों को करना पड़ता है। आई.एल.ओ. का कहना है कि कई बार बीड़ी ठेकेदार व नियोजक इस कटौती को भविष्यनिधि में जमा नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त कटौती में अनियमितता, भविष्य निधि खातों को अद्यतन न करना, इस कोष के भुगतान संबंधी देरी आदि का सामना करना पड़ता है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत स्थायी रूप से अशक्त होने पर अशक्तता पेंशन, मृत्यु होने पर नामित को पेंशन, दो बच्चों को अनाथ पेंशन 25 वर्ष की आयु तक, सेवानिवृत्त होने पर पेंशन, पूर्ण एवं स्थायी रूप से अशक्त होने की स्थिति में अनाथ पेंशनभोगी आजीवन अनाथ पेंशन, भविष्य निधि कोष का 50 प्रतिशत गृह निर्माण के लिए ऋण, बेटा–बेटी की शादी में 50 प्रतिशत राशि कर्मचारी के इस कोष से देने का प्रावधान है। किन्तु इन श्रमिकों को ऋण–शादी, गृह निर्माण के लिए अन्य सुविधा वास्तव में बमुश्किल ही मिल पाती है एवं मृत्यु के उपरांत पेंशन मिलने में काफी कठिनाइयों का सामना इन कारीगरों को करना पड़ता है, जो बीड़ी श्रमिक भविष्य निधि में शामिल हैं उनके लिए केन्द्र सरकार ने 1992 से सामूहिक बीमा योजना शुरू किया है। इसमें परिचय पत्र धारित बीड़ी श्रमिक को दुर्घटना से मृत्यु एवं स्थायी अशक्तता की स्थिति में 25,000 रुपये एवं प्राकृतिक मृत्यु एवं अस्थायी अशक्तता की स्थिति में क्रमशः 10,000 रुपये एवं 12,500 रुपये देने का प्रावधान है। लेकिन वास्तव में महिला बीड़ी कर्मचारी इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं। ❂

(लेखक द्वय विश्वविद्यालय औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंध विभाग, ति. मा. भागलपुर विश्वविद्यालय में क्रमशः व्याख्याता तथा रिसर्च स्कॉलर हैं)

महिला आरक्षण विधेयक

महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में तीन प्रस्तावों पर विचार किया गया था। इनमें से एक महिलाओं के लिए स्थानों में एक तिहाई आरक्षण का उपबंध करने वाले व्यपगत विधेयक को पुनः स्थापित करना था। दूसरा विधानमंडल की सदस्य संख्या में वृद्धि करना औरं महिलाओं को स्थानों की मूल संख्या का एक तिहाई उपलब्ध कराना था। तीसरा भारत निर्वाचन आयोग के उस प्रस्ताव को क्रियान्वित करना था जिसे सामान्यतः गिल सूत्र के नाम से जाना जाता है और जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह सुनिश्चित करना आज्ञा परक बनाने के लिए है कि वे राज्य विधान सभाओं और संसदीय निर्वाचनों में महिलाओं के एक न्यूनतम सहमत प्रतिशत को खड़ा करें जिससे कि निर्वाचन आयोग के पास एक राजनीतिक दल के रूप में उनकी मान्यता बनी रहे।

चूंकि इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन सकी थी, इसलिए सरकार के लिए संसद में एक नया विधेयक पुनःस्थापित करना संभव नहीं था। सरकार विधेयक के उपबंधों पर आम सहमति बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है जिससे कि विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र संसद के समक्ष लाया जा सके।

महिला अधिकार आन्दोलन में महिला अधिकारों की स्थिति

लाला राम जाट

समानता के संदर्भ में मानव अधिकारों की विवेचना विशेषतः लिंग भेद के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संभवतः लिंगभेद मानव सभ्यता का विश्वव्यापी एवं परम्परागत हिस्सा रहा है। लिंग भेद से स्थायी विषमताएं, असंतोष तथा मानवता की हानि जैसी परिस्थितियां सामने आई हैं। दासता एवं स्त्रियों की पुरुषों से असमानता को जब अरस्तू तर्कसंगत आधार प्रदान कर इस प्राकृतिक निशक्तता को छूट की दुहाई देता है, तब व्यक्ति की श्रेष्ठता का दार्शनिक आधार खिसकता प्रतीत होता है। अरस्तू का दार्शनिक विचार भेदभाव की इस धारणा पर आधारित था कि पुरुष, स्त्रियों से एवं यूनानी, गैर–यूनानियों से श्रेष्ठ हैं। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने सामाजिक अवसरों को सभी के लिए व्यापक स्तर पर खोलने की आवश्यकता के विकास का मूल मुद्दा बताया। आयु, जाति, भाषा,रंग, धर्म, राष्ट्र आदि के आधार पर व्याप्त भेदभावों को काटता हुआ सर्वाधिक रूप से विश्वस्तर पर प्रचलित भेदभाव लिंग पर आधारित भेदभाव है। लिंग आधारित भेदभाव विकसित–अविकसित, सभ्य–असभ्य समाजों में व्यापक या सूक्ष्म रूप में अवश्य मौजूद है। यह कहा जाता है कि मानव समाज में केवल दो जातियां हैं एक पुरुष की एवं दूसरी स्त्रियों की। जब तक समान अवसरों को स्त्रियों के लिए व्यापक स्तर पर उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक कोई सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उपलब्धि, राजनैतिक सत्ता, समाज में शान्तिपूर्ण, सुरक्षित एवं पोषणीय विकास की नींव नहीं डाली जा सकती। चार्टर के पहले अनुच्छेद में ही मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के सबके लिए बिना भेदभाव के आदरयुक्त पालन एवं प्रोत्साहन संबंधी उल्लेख किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से स्त्री–पुरुषों के संदर्भ में लिंग भेद का उल्लेख है। चार्टर के 8वें अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी स्तर पर स्त्री–पुरुषों की समान भागीदारी में राष्ट्र एवं संयुक्त राष्ट्र बाधा नहीं पहुंचाएगा। चार्टर के अनुच्छेद 23 में समान श्रम के लिए समान वेतन का अधिकार वर्णित है तथा अनुच्छेद 25 में मातृत्व एवं बचपन के विशेष सहयोग एवं संभाल के अधिकार को रेखांकित किया गया है। सभी क्षेत्रों में प्रगति एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए लिंग की समानता और महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के सिद्धांतों को विश्व भर में एक महत्वपूर्ण पहलू स्वीकार किया गया। महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 18 दिसंबर, 1979 को महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया जो 3 सितंबर, 1981 से प्रभावी हुआ। प्रस्ताव में ग्रामीण महिलाओं की विशेष समस्याओं और उनके पारिवारिक जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी रेखांकित किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक समझौतों के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति दूसरे दर्जे की है। विश्व स्तर पर प्रौढ़ निरक्षरों में दो तिहाई महिलाएं हैं। विश्व के निर्धनों में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। किशोर अपचार में लिंग अनुपात में गिरावट आई है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अत्यंत उच्च है। साक्षरता में सभी स्तरों पर लिंग संबंधी अंतराल बहुत गहरा है। बालिकाओं में स्कूली शिक्षा के बीच में ही छोड़ने की दर अधिक ऊंची है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की प्रसंविदा एवं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा में स्त्री–पुरुष को समतामूलक आधार पर मानव अधिकार उपलब्ध कराने की वचनबद्धता राज्यों ने स्वीकार की है। इनके अलावा लिंगभेद की व्यापकता के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न घोषणाएं एवं संगमन महिलाओं को उनकी असमान स्थिति से उबारने के लिए हस्तांतरित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के आरंभिक दौर में महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों का संगमन 1952 में हस्तांरित किया। यह संगमन समानता के आधार पर महिलाओं को मतदान एवं निर्वाचन संबंधी अधिकार उपलब्ध करवाता है। संघ ने 1957 में विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता संबंधी संगमन हस्तांरित हुआ। इस संगमन के द्वारा महिला विवाह के पश्चात् उस राष्ट्र (देश) की स्वभावतः नागरिक मानी जाती थी जिस राष्ट्र में उसका पति निवास करता है। इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब महिला अपनी स्वेच्छा से किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण कर सकती है। सन् 1953 में सभी प्रकार की दासता की समाप्ति हेतु एक अंतरराष्ट्रीय संगमन हस्तांरित किया। इस संगमन द्वारा महिलाओं का उनकी सहमति के बिना विवाह नहीं करवाया जा सकता, मुद्रा या वस्तु के बदले महिला को हस्तांरित नहीं किया जा सकता। पति की मृत्यु के बाद महिला को उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1962 में विवाह में दोनों की सहमति, विवाह में न्यूनतम आयु एवं विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था हेतु एक संगमन को हस्तांरित किया गया। सन् 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1976 से 1985 का दशक अंतरराष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया। संघ ने 1979 में महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने हेतु एक घोषणा–पत्र जारी किया। इसकी प्रस्तावना में स्वीकार किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ एवं मानव अधिकारों की विशद व्यवस्था के तीन दशकों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी महिलाओं के संदर्भ में व्यापक भेदभाव सभी राष्ट्रों में प्रचलित है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यह स्थिति समाज, परिवार एवं व्यापक विकास को कुपित करती है। अंत में यह आशा व्यक्त की गई कि सदस्य राष्ट्र महिलाओं पर हो रहे हर प्रकार के भेदभाव एवं शोषण को समाप्त कर आवश्यक

कानूनी व्यवस्था से उनकी समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं अन्य क्षेत्रों में समान भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में अंतरराष्ट्रीय शान्ति एवं सहयोग के प्रोत्साहन हेतु महिलाओं की भागीदारी का एक घोषणा–पत्र जारी किया। विश्व शांति में महिलाओं के योगदान के रूप में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक एवं राजनैतिक मामलों में भागीदारी को अतिआवश्यक माना गया क्योंकि अशान्ति या युद्ध के समय महिलाएं ही सबसे ज्यादा क्रूरता का शिकार होती हैं।

1980 के कोपेनहेगन सम्मेलन में समानता, विकास एवं शांति के साथ उसके पूरक मुद्दों में महिलाओं हेतु रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। महिला दशक में एक महिला आयोग स्थापित किया गया जिसे महिलाओं की प्रगति का आकलन करने का दायित्व सौंपा गया। सन् 1993 में विएना में आहूत मानव अधिकारों के विश्व सम्मेलन में जिन मुद्दों पर घोषणाएं एवं कार्यक्रम स्वीकार किये गये उनमें लैगिंक समानता तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के मानव अधिकार शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस सम्मेलन में पुनः आग्रह किया गया कि महिलाओं की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है अतः महिलाओं को समान स्तर एवं मानव अधिकार उपलब्ध कराने का राज्य निरंतर एवं व्यावहारिक प्रयास करें। 1995 में बीजिंग में महिलाओं के चौथे विश्व सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बूतरस घाली ने आग्रह किया कि "विश्व को महिला की दृष्टि से देखो... महिला व पुरुष वर्तमान में असमान विश्व में रह रहे हैं। लिंगभेद तथा असहनीय असमानताएं विश्व के विकसित एवं अविकसित सभी देशों में विद्यमान हैं। 1995 में एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जहां महिला एवं पुरुष पूर्ण समानता की स्थितियों का उपभोग करते हो। विश्व के सभी हिस्सों में महिलाओं के प्रति भेदभाव के दृष्टिकोण, व्यवहार एवं प्रवृत्तियां जनजीवन में व्यापक स्तर पर प्रचलित हैं।" महासचिव की यही टिप्पणी सभी देशों के वास्तविक स्वरूप को उजागर करती है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न प्रयासों, समझौतों, घोषणाओं एवं कार्ययोजनाओं के बावजूद विश्व में महिलाएं दूसरे दर्जे की स्थिति में जीवन बीता रही हैं। लिंगभेद के प्रचलन से मानव अधिकारों की श्रृंखला में समानता के अधिकार पर यह कुठाराघात महिलाओं को अनेक मानव अधिकारों से वंचित कर रहा हैं। पुरुष भी लिंगभेद को प्राकृतिक आधार पर उचित ठहराने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। इनका तर्क होता है कि बच्चों की देखभाल, भोजन पकाना, घर की देखभाल आदि भूमिकाएं स्त्री को प्रकृति प्रदत्त है तथा धन कमाना, राजनैतिक व्यवहार, उच्च शिक्षा, सामाजिक नेतृत्व आदि भूमिकाएं पुरुष को प्रकृति ने सौंपी है।

भारतीय समाज में लिंगभेद सूक्षमतर स्वरूपों तक विद्यमान है। एक स्त्री जो निरंतर गृहकार्यों के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही हैं,लड़की जिसे घर में लड़के से निम्न स्तर का भोजन उपलब्ध होता है, जहां लड़की की शिक्षा लड़के की शिक्षा के लिए बलि चढ़ा दी जाती है, किसी भी लिंगापराध में अथवा पति की मृत्यु की स्थिति में स्त्री को ही दोषी ठहराया जाता है, विधवाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक शोषण कानूनी समानताओं के बावजूद आज भी बदस्तूर जारी है। वर्तमान दौर में महिलाएं कार्यक्षेत्र में भी आगे आई हैं। वे विभिन्न सेवाओं में कदम रखने लगी हैं। कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ने लगा है। महिला आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ी लेकिन महिलाओं के अधिकारों के हनन एवं शोषण की प्रवृत्ति में निरंतर वृद्धि हुई है, जैसे कामकाजी महिलाओं के साथ यौनउत्पीड़न की घटनाएं, असंगठित क्षेत्र में लैंगिक आधार पर श्रम व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में असमान अवसर। दूसरी तरफ स्त्री भ्रूण की हत्या तो अत्यंत गंभीर स्वरूप लेती जा रही है। नवीन विज्ञान एवं तकनीकी ने स्त्री भ्रूण की हत्या को आसान बना दिया है। विगत जनगणनाओं में स्त्री–पुरुष के लिंगानुपात में बड़ा अंतर चिंताजनक है, इन्हीं आंकड़ों के मद्देनजर शासन (राज्य) ने भ्रूण का लिंग परिक्षण असंवैधानिक घोषित किया।

भारतीय दंड संहिता, 1860 में भी महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। धारा–354 में स्त्री की लज्जा भंग, धारा–366 में अपहरण, धारा–726 में बलात्संग, धारा–498 (क) में निर्दयतापूर्वक व्यवहार तथा धारा 509 व 410 में स्त्री का अपमान करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से महिला के नागरिक एवं संवैधानिक अधिकारों का व्यापक प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद–15 में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थल के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं कर सकते चाहे वह महिला हो या पुरुष। अनु.–16 लोक नियोजन में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। महिला को मात्र महिला होने के नाते पुरुष से कम वेतन नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद–21 विधायिका एवं कार्यकारणी दोनों के अतिक्रमण से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद–23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है तथा शोषण के विरूद्ध अधिकार देता है। अनुच्छेद–32 न्यायिक संरक्षण का लाभ प्रदान करता है। संविधान के भाग–चतुर्थ में राज्य के अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं जिनमें स्त्री–पुरुषों के साथ समानता से व्यवहार करने के निर्देश हैं। संविधान के भाग चतुर्थ में 42 वें संशोधन (1976) के बाद "मूल कर्तव्यों" के प्रावधान जोड़े गये जिनमें एक नागरिक कर्तव्य "महिला की गरिमा" का सम्मान करना भी है। अनुच्छेद–325 एवं 326 सभी नागरिकों स्त्री एवं पुरुष दोनों को वयस्कता के आधार पर मताधिकार देकर निर्वाचन प्रणाली में लिंगभेद का निषेध करता है। 73 वें एवं 74वें संशोधनों के बाद महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में 33.3 प्रतिशत आरक्षण के बाद महिला अधिकारों की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन की शुरूआत देखी जा सकती है। भारतीय संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त अनेक विभिन्न अधिनियमों का निर्माण करके महिला अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है। जिसमें अनैतिकता व्यवहार निवारण अधिनियम 1956, आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 1983, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961/1984, सती निवारण अधिनियम 1987, विशेष विवाह अधिनियम 1954, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984, स्त्री और बालक संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम 1956, मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 आदि प्रमुख हैं।

(लेखक प्रताप कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)

ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के प्रयास

उमेश चन्द्र अग्रवाल

स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता स्वस्थ मानव और सभ्य समाज के लिए न केवल आधारभूत आवश्यकता है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार भी है। हमारे संविधान में पेयजल आपूर्ति संविधान की सातवीं अनुसूची की लिस्ट–दो में देते हुए राज्य सरकारों के दायित्वों के अन्तर्गत राज्य का विषय रखा गया है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की सीमा के अन्तर्गत सभी शहरी और ग्रामीण बस्तियों में शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का दायित्व है और केन्द्र सरकार इस दिशा में राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को सप्लीमेन्ट करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सामान्यतया शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आरम्भ से ही तेज प्रयास किए गए लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की ओर सरकार ने बहुत बाद में ध्यान देना प्रारम्भ किया। अतः शहरी क्षेत्रों की तुलना में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में अधिक पिछड़े रहे हैं। पिछले दो–तीन दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक मात्रा में ध्यान केन्द्रित किए जाने के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामवासियों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पेयजल योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण तरीके से संचालित किया जा रहा है।

हालांकि पूरे देश में इस प्रकार की अधिकतर योजनाएं और कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रदत्त की जाने वाली आर्थिक सहायता के आधार पर ही राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि हमारे देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को राज्य द्वारा प्रदत्त लोकोपयोगी सुविधाओं में उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है तभी हमारी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्र सरकार के वार्षिक बजट के साथ–साथ विभिन्न प्रदेशों के बजटों में प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पृथक से धनावंटन किया जाता रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को इस दिशा में प्रयास तेज करने के लिए विभिन्न पेयजल योजनाओं को संचालित करने हेतु अधिक से अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। केन्द्र सरकार प्रारम्भ से ही पेयजल आपूर्ति के लिए विशिष्ट केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन भी करती रही है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए किए गए विशेष प्रावधानों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56) के दौरान ही जलापूर्ति को राष्ट्रीय एजेण्डा में सम्मिलित किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1954 में केन्द्र सरकार द्वारा एक 'राष्ट्रीय जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम' के नाम से विशिष्ट कार्यक्रम का शुभारम्भ भी किया गया। दूसरी (1956–61) एवं तीसरी (1961–66) पंचवर्षीय योजनाओं में भी जलापूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम को अधिक प्रतिबद्धता के साथ लागू करने के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तुलनात्मक रूप से अधिक धनावंटन के माध्यम से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक सफलता अर्जित करने के प्रयास किए गए।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (1972–73) प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की गति को तेज करने के लिए राज्यों को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम को देश के सभी राज्यों में वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित करने के लिए राज्यों को शत–प्रतिशत केन्द्रीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79) में पेयजल व्यवस्था को और भी अधिक महत्व प्रदान किया गया तथा इस पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष अर्थात् वर्ष 1977–78 में लागू किए गए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में पेयजल आपूर्ति को सम्मिलित किया गया और पूर्व में संचालित किए गए ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को बन्द कर दिया गया लेकिन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल की समस्या से ग्रसित गांवों को अधिक महत्व नहीं मिलने के कारण बन्द किए गए ग्रामीण पेयजल योजना कार्यक्रम को एक वर्ष बाद पुनः संचालित कर दिया गया और इसके माध्यम से सभी पेयजल की समस्या से ग्रसित गांवों को तीव्रता से आच्छादित करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक आरम्भ करने की घोषणा के साथ ही केन्द्र सरकार में जलापूर्ति एवं स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया और इस क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश को शनैःशनैः बढ़ाया गया ताकि ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक सार्थक स्वरूप प्रदान किया जा सके। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पेयजल के क्षेत्र को 'मिशन एप्रोच' के रूप में अपनाने हेतु पांच सामाजिक मिशनों में से एक राष्ट्रीय पेयजल मिशन (1986) के नाम से प्रारम्भ किया गया। इस मिशन को पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में लागू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को लागत प्रभावी बनाने तथा सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। मिशन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं सुधरी तकनीक का

प्रयोग करने पर बल दिया गया। वर्ष 1991 में इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम दे दिया गया।

वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन के गठन के साथ ही साथ इसी वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (1986–87) के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के साथ–साथ वहां के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा महिलाओं के सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किए जाने पर बल दिया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना काल में इन दोनों महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के संचालन से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति तथा स्वच्छ वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुईं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में (1992–97) योजना में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की आपूर्ति तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत चुनी हुई त्रिस्तरीय पंचायतों के सहयोग से उन्हें इस कार्य हेतु उत्तरदायी बनाते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए और भी तीव्रतर प्रयास किए गए।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में प्रयोग के तौर पर वर्ष 1999 में ग्रामीण पेयजल पूर्ति के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से सेन्टर रिफार्म कार्यक्रम लागू किया। प्रारम्भ में प्रयोग के तौर पर देश के कुछ चयनित जनपदों में यह कार्यक्रम मांग आधारित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया जिसमें लोगों की आवश्यकतानुसार उनकी आर्थिक और सामाजिक सहभागिता से पेयजल स्रोतों को स्थापित करने की रणनीति अपनाई गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी समूहों के अंशदान के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस प्रकार जनसहभागिता पर आधारित विकसित जलस्रोतों जैसे हैण्डपम्प या पाइपलाइन जलापूर्ति के लिए इनके संचालन तथा अनुरक्षण आदि पर आने वाले व्यय को लाभार्थी समूहों द्वारा शत–प्रतिशत वहन करने की व्यवस्था निर्धारित की गई। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत विकसित जलस्रोतों के संचालन तथा अनुरक्षण आदि के सम्पूर्ण व्यय को वहन करने का दायित्व लाभार्थी समूह का रहा है। इस कार्यक्रम को संचालित करने के प्रमुख उद्देश्य में एक उद्देश्य लाभार्थी समूहों को उनके द्वारा विकसित किए गए पेयजल स्रोत के स्वामित्व का बोध कराना भी रहा है। इसके अतिरिक्त देश भी में जल स्रोतों के रख–रखाव और संचालन की मद में सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वहन की जा रही 6 हजार करोड़ रूपए की धनराशि को बचाना भी इस नए कार्यक्रम का एक अन्य मुख्य उद्देश्य है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के सम्बन्ध में सभी बस्तियों को पेयजल के आच्छादित करने के साथ जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल प्रदान किया गया और इस हेतु प्रत्येक जिले में कम से कम एक वाटर टैस्टिंग लेबोरेट्री स्थापित की गई है जो निरन्तर जल की गुणवत्ता की जांच करती है।

इस पायलेट प्रोजेक्ट की सफलता से प्रेरित होकर दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के अन्तर्गत 25 दिसम्बर 2002 को सरकार द्वारा स्वजल धारा नामक कार्यक्रम को पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया गया है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जिसमें ग्रामीण विकास के छः महत्वपूर्ण क्षेत्र यथा–ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, स्वास्थ्य व प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ ग्रामीण पेयजल भी एक प्रमुख घटक के रूप में सम्मिलित है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत संचालित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को वर्ष 2000–2001 से संचालित किया गया है जिसके कुल परिव्यय का 75 प्रतिशत भाग अनाच्छादित तथा आंशिक रूप से आच्छादित बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किया जाता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के नियोजन, अनुश्रवण तथा क्रियान्वयन को प्रभावी करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की आधारित सूचना प्रबन्ध प्रणाली को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

वर्तमान में संचालित प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएं

इस प्रकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में तीन प्रमुख कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। इनमें पहला प्रमुख कार्यक्रम त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के नाम से संचालित है। यह कार्यक्रम वर्ष 1972–73 के दौरान संचालित किया गया था जिसे वर्तमान में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के माध्यम से पूरे देश में सम्बन्धित राज्य सरकारों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 2003–2004 में 2565 करोड़ रुपए की धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2004–05 में इस आवंटन को बढ़ाकर 3,148 करोड़ रुपए किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निरन्तर रूप से वर्षानुवर्ष अधिक धनराशि व्यय की जाती रही है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य 100 या उससे अधिक की जनसंख्या वाली सभी ग्रामीण बस्तियों को जहां सामान्य रूप से पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती, को आच्छादित करने पर बल दिया जाता है। इस हेतु ऐसी बस्तियों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जल स्रोतों की निरन्तरता बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त जल की गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ऐसे जल स्रोतों को भले ही अत्यधिक गहराई पर उसकी उपलब्धता हो, विकसित किया जाता है जहां से स्वच्छ जल की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ जल की गुणवत्ता की निरन्तर निगरानी हेतु प्रत्येक जिले में कम से कम एक जल परीक्षण प्रयोगशाला को स्थापित कर जल की गुणवत्ता की मॉनटरिंग को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का सफल प्रयास किया गया है।

ग्रामीण जलापूर्ति की दिशा में संचालित दूसरा प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत एक घटक ग्रामीण पेयजल विषयक है। इसके अन्तर्गत जल की कठिनाई वाले क्षेत्रों में इस योजना में प्रदत्त धनराशि का 75 प्रतिशत भाग खर्च किया जाता है। भूमिगत जल के संरक्षण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना–ग्रामीण पेयजल का 25 प्रतिशत तक भाग खर्च किए जाने की व्यवस्था रखी गई है। इस हेतु त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च की जाने वाली राशि का भी 5 प्रतिशत भाग खर्च किया जा सकता है।

ग्रामीण जलापूर्ति के लिए संचालित तीसरा प्रमुख कार्यक्रम सेक्टर रिफार्म कार्यक्रम है जो जलापूर्ति के क्षेत्र में सुधारों को लागू करने के उद्देश्य से वर्ष 1999 से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम को पहले प्रयोग के तौर पर देश के गिने–चुने जिलों में ही लागू किया गया था। इसकी सफलता से प्रेरित होकर सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2002 से इस कार्यक्रम को अपग्रेड करते हुए स्वजल धारा के नाम से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। स्वजल धारा नामक इस नए कार्यक्रम को मांग आधारित कार्यक्रम के रूप में सामुदायिक सहभागिता के आधार पर संचालित किया गया है जिसमें लाभार्थी समूहों की मांग पर ही सम्बन्धित क्षेत्र में जलस्रोत का विकास किए जाने की व्यवस्था रखी गई है। इसके लाभार्थी समूह कुल लागत का 10 प्रतिशत भाग स्वयं वहन करते हैं और 90 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जाता है। साथ ही जल स्रोत के परिचालन तथा रख–रखाव पर होने वाले खर्च को लाभार्थी समूह शत–प्रतिशत वहन करते हैं। इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार की भूमिका सेवा प्रदाता के स्थान पर सुविधा प्रदाता के रूप में विद्यमान रहती है। इस कार्यक्रम में जलापूर्ति का मानक भी बढ़ाकर तय किया गया है। अन्य ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों में निर्धारित 40 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के मानक पर 250 की आबादी पर एक हैण्डपम्प की व्यवस्था को बढ़ाते हुए इसके अन्तर्गत 150 की आबादी पर एक हैण्डपम्प का मानक तय किया गया है ताकि वहां 55 से 70 लीटर तक प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

उल्लेखनीय है कि 40 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के मानक में बढ़ोत्तरी के लिए आवश्यकता का अनुभव करते हुए जुलाई, 1996 में हुए मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन में इस पर विचार किया। इस सम्मेलन में 40 लीटर मानक को बढ़ाकर 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन करने की सिफारिश की गई। दूरी के मानक को भी मैदानी क्षेत्रों में 1.6 किलोमीटर से घटाकर 0.5 किलोमीटर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर ऊंचाई के अन्तर को कम करने का प्रस्ताव किया गया था। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए संचालित सेक्टर रिफार्म कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रस्तावित मानक के क्रियान्वयन का प्रयास किया गया है। सामुदायिक सहभागिता पर आधारित इस कार्यक्रम के संचालित किए जाने से सरकार पर ग्रामीण जलापूर्ति सेवाओं के रख–रखाव और संचालन पर होने वाले 6000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय के बचत की सम्भावनाएं प्रबल हुई हैं। यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि अकेले केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर प्रतिवर्ष 45,000 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि प्रतिवर्ष खर्च की जा रही है जिसमें से जलस्रोतों के परिचालन तथा रख–रखाव की मद में प्रतिवर्ष 6000 करोड़ रुपए खर्चा आता है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के मानक

जैसा कि पूर्व में भी उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैज्ञानिक एप्रोच तथा सुधरी तकनीक प्रयोग में लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की गई है। इस मिशन की स्थापना के बाद से मिशन की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा राजस्व गांवों के स्थान पर ग्रामीण बस्ती को मानक के रूप में स्वीकार किया गया है। इस हेतु देश के कुल 5 लाख 93 हजार 643 आबाद गांवों को 14 लाख 22 हजार 283 ग्रामीण बस्तियों में बांटा गया है जिसमें 100 या उससे अधिक लोगों की एक सामूहिक इकाई को ग्रामीण बस्ती माना गया है। इस प्रत्येक बस्ती में कम से कम एक जलस्रोत जहां स्वच्छ जल की पर्याप्त मात्रा में निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित रहे, के मानक के आधार पर जलापूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वहां के लोगों की आवश्यकता का आंकलन करते हुए औसतन 40 लीटर स्वच्छ पेयजल प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से मानक का निर्धारण किया गया है। स्वच्छ पेयजल को जैविक तथा रासायनिक संदूषण मुक्त जल के रूप में परिभाषित किया गया है। इस हेतु एक हैण्डपम्प से सामान्य रूप से 12 लीटर पानी प्रति मिनट की दर से निष्कासित होकर प्रत्येक 250 लोगों के लिए इसे जलापूर्ति के लिए पर्याप्त समझा गया है। ग्रामीण लोगों के लिए जलापूर्ति की आवश्यकता का आंकलन करने हेतु निम्नांकित आवश्यकताओं को उनके सम्मुख अंकित प्रतिव्यक्ति के हिसाब से जल की मात्रा के आधार पर मानक का निर्धारण किया गया है–

आवश्यकता (प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)	जल की मात्रा
पीने हेतु 3 लीटर	
खाना बनाने हेतु	5 लीटर
स्नान करने हेतु	15 लीटर
बर्तनों तथा घर की धुलाई हेतु	7 लीटर
शौच व्यवस्था हेतु	10 लीटर
कुल आवश्यकता	40 लीटर

राष्ट्रीय राजीव गांधी पेयजल मिशन में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए जल की दृष्टि से समस्याग्रस्त बस्तियों में मानव उपयोग हेतु प्रतिदिन स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के साथ रेगिस्तानी इलाकों में पशुओं के लिए 30 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का मानक तय किया गया है। रेगिस्तानी इलाकों को छोड़कर सामान्य तौर पर प्रत्येक ग्रामीण बस्ती में 250 व्यक्तियों के लिए एक हैण्डपम्प या स्टैण्ड पोस्ट लगाए जाने पर बल रहा है। इस मानक को आधार बनाते हुए अभी तक सम्पूर्ण देश की 14 लाख 22 हजार 283 ग्रामीण बस्तियों में से 13 लाख 51 हजार 407 बस्तियों को पूर्ण रूप से तथा 65 हजार 319 बस्तियों को आंशिक रूप से पेयजल सुविधाओं से आच्छादित कर दिया गया है अब केवल 5,557 बस्तियां शुद्ध पेयजल व्यवस्था की दृष्टि से अनाच्छादित हैं अब तक देश की 95 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से पूर्ण रूप से आच्छादित कर दिया गया है। 4.6 प्रतिशत भाग ऐसा बचा है जहां पेयजल व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना अवशेष है जिसके आच्छादन के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रतिव्यक्ति स्वच्छ जल की उपलब्धता के मानक के अतिरिक्त सरकार द्वारा जल स्रोत की दूरी तथा स्वच्छता का मानक भी निर्धारित किए गए हैं। इस हेतु जल स्रोत या हैण्डपम्प मैदानी क्षेत्रों में बस्ती से अधिकतम 1.6 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध होना चाहिए तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बस्ती से 100 मीटर से कम ऊंचाई पर अवस्थित होना चाहिए। यदि इस मानक के हिसाब से बस्ती के लोगों को 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता है तो ऐसी बस्तियों को आच्छादित श्रेणी में रखा जाता है। यदि इतनी ही दूरी या ऊंचाई के हिसाब से 8 से

अधिक और 40 लीटर से कम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मात्रा में ही स्वच्छ जल उपलब्ध हो पाता है तो इसे आंशिक रूप से आच्छादित श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तीसरी अनाच्छादित श्रेणी में ऐसी बस्तियां सम्मिलित की जाती हैं जहां या तो पेयजल पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ स्वरूप में उपलब्ध नहीं है अथवा उपलब्धता की दूरी अथवा ऊंचाई अधिक है। स्वच्छ पेयजल के निर्धारण हेतु रोगाणु मुक्त तथा फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, नाइट्रेट व ब्रेकिशनेस आदि रासायनिक पदार्थों की एक अनुमन्य मात्रा में उपलब्धता को आधार माना जाता है।

उपरोक्त मानकों के अनुरूप सभी ग्रामीण बस्तियों में सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के सम्बन्ध में प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले प्राथमिकता ऐसी बस्तियों को प्रदान की जाती है जहां पेयजल का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। उसके बाद निम्न क्रमानुसार पेयजल का स्रोत विकसित करने पर बल दिया जाता है।

- ऐसी बस्तियां जिनमें पेयजल का कोई स्रोत नहीं है।
- ऐसी बस्तियां जहां आंशिक रूप से पेयजल का स्रोत है परन्तु जल की उपलब्धता 10 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से कम है।
- ऐसी बस्तियां जहां पेयजल का स्रोत है परन्तु उपलब्ध जल खारी है तथा रोगाणुओं एवं रासायनिक तत्वों के मिले होने के कारण प्रदूषित है।
- ऐसी बसितयां जहां पेयजल उपलब्धता 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से कम है।
- ऐसी बस्तियां जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की बहुलता है।
- ऐसे सभी प्राथमिक विद्यालय जो ग्रामीण बस्तियों में स्थापित है।

ग्रामीण पेयजल व्यवस्था और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

सभी लोग इस तथ्य से सहमत हैं कि एक स्वस्थ समाज के लिए शुद्ध पेयजल प्रमुख आवश्यकता है। इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से विशेषकर ग्रमीण क्षेत्रों और पेयजल की शुद्धता से जुड़ी समस्याओं वाले क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन इन प्रयासों में एक प्रमुख कड़ी है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन की 1986 में स्थापना की गई थी जो पांच प्रौद्योगिकी मिशनों में से एक है। ग्रामीण भारत में शुद्ध पेयजल और आधारभूत स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना और उस पर लागत कम करना इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। इस मिशन के माध्यम से कुछ चुनिन्दा समस्याओं के किफायती और कारगर समाधान के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी साधनों के इस्तेमाल और बेहतर जल और स्वच्छता प्रबन्धन पर जोर दिया गया। वर्ष 1991 में इस मिशन का नाम बदल कर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन रखा गया।

इस मिशन का एक अच्छा पहलू यह है कि स्थानीय पंचायतें और महिलाओं के स्वसहायता समूह बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यह अभियान सरकार स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों के बीच तालमेल की सफलता का उदाहरण कहा जाता है। पर ऐसा नहीं कि इसमें कोई अड़चन या समस्या ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ और सुरक्षित पीने का जल सुलभ कराना एक बहुत बड़ा तथा भारी चुनौती का कार्य है अर्थात् जलापूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखना इस अभियान की एक प्रमुख चुनौती है। ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति हेतु निर्भरता भूगर्भ जल पर अधिक है। ग्रामीण पेयजल की 85 प्रतिशत योजनाएं जमीन के अन्दर के जल पर ही निर्भर है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत जलापूर्ति की पर्याप्तता, जल की गुणवत्ता में सुधार तथा उपयुक्तम विकसित प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल देने के लिए निरन्तर अनुसंधान एवं विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए जल आपूर्ति हेतु किफायती प्रौद्योगिकियों के चयन के लिए मिशन की ओर से अनुसंधान और विकास की अनेक परियोजनाओं को संचालित किया गया है।

इस मिशन ने बिजली से वंचित सुदूर गांवों में जल ऊपर खींचने के लिए सोलर फोटो वोल्टेइक पम्पिंग प्रणाली का विकास भी किया है। अब तक ऐसी 325 प्रणालियों को स्वीकृत किया जा चुका है जिसमें से 256 प्रणालियां वर्तमान में काम कर रही हैं। साथ ही मिशन के द्वारा जिला स्तर पर जल जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए प्रत्येक जिले को 5 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा अभी तक 430 जिला प्रयोगशालाओं की स्थापना को स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से 252 प्रयोगशालाओं की स्थापना भी की जा चुकी है शेष को तेजी से स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों ने 158 अतिरिक्त जल जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों को मोबाइल प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा समय-समय पर जारी रिपोर्टों के मुताबिक यह मिशन देश के सबसे सफल कार्यक्रमों में एक है। तभी इसके अन्तर्गत निरन्तर रूप से अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध कराने पर जो भी दिया जाता रहा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिए वर्ष 2004-2005 में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। मई, 2004 में केन्द्र में नई सरकार के गठन के बाद अगले कुछ महीनों में इसके अतिरिक्त 248 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। वर्ष 2005-06 के बजट में इस मिशन के लिए 4,750 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि निर्धारित की गयी है। ग्रामीण विकास मन्त्रालय का मानना है कि इस कार्यक्रम में धन का शत-प्रतिशत उपयोग हो रहा है। पिछली योजना के मुकाबले इस योजना में इसके लिए 30 से 40 प्रतिशत अधिक धन दिया जा रहा है पर इसके साथ धन की मांग में भारी वृद्धि हुई है। एक सरकारी आकलन के अनुसार अगले 5 वर्षों में इस कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त 32000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। कार्यक्रम के महत्व तथा इसके कार्य निष्पादन के परिप्रेक्ष्य में इस अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सरकार को गम्भीर रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का जल अधिकार अभियान

सभी नागरिकों को जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने कानूनी

अधिकारों के बारे में शिक्षित और सचेत करने के लिए 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' जिसका गठन राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था, द्वारा वर्तमान में 'जल अधिकार अभियान' छेड़ा गया है इसके अन्तर्गत जल लोक अदालतों के गठन पर बल दिया जा रहा है। 'सभी के लिए न्याय' के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस अभियान को कालाहांडी में भुखमरी, राजस्थान में सूखा, आन्ध्र प्रदेश में सूखे से आत्म हत्या, पश्चिमी बंगाल में आर्सेनिक से अपंगता, कर्नाटक में बाढ़ से बेघर जैसे देश के करोड़ों प्रभावित लोगों को पानी की त्रासदी से उबारने हेतु न्याय दिलाने की दस्तक के रूप में प्रारम्भ किया गया है। जल के वितरण के सम्बन्ध में इस प्राधिकरण की प्रस्तावना में निम्न प्रावधानों पर विशेष बल दिया गया है:–

- देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
- जल से जुड़े सभी विवादों को कानून के दायरे में लाकर उनका न्यायोचित तरीके हल निकाला जाए।
- देश भर में जल लोक अदालतों का गठन किया जाए जो जल से जुड़ी शिकायतों और विवादों का निपटारा करने के लिए विशेष अदालतों के रूप में कार्य करेगी।
- सूखे और बाढ़ से प्रभावित किसानों तथा अन्य वर्गों को कानूनी सहायता और सामाजिक न्याय दिलाने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।
- सभी नागरिकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि सूखे के दौरान अनाज और जल न मिल पाने पर वे अदालत का दरवाजा खटखटाना उनका कानूनी अधिकार है।
- सीमित जल के वितरण को लेकर विभिन्न समुदायों तथा गांवों के बीच विवादों के हल के लिए सम्बन्धित लोगों को अदालतों में जाने की पूरी स्वतन्त्रता है।
- जल से सम्बन्धित कार्यक्रमों के कागज तक सीमित रहने पर सम्बन्धित लोगों का सरकार से जवाब मांगना उनका कानूनी अधिकार है।

जल की गुणवत्ता

बढ़ती जनसंख्या और विभिन्न कार्यों में जल के बढ़ते उपयोग के फलस्वरूप जैसे–जैसे भूमिगत जल का स्तर घटता जा रहा है, जल की गुणवत्ता का प्रश्न तेजी से जोर पकड़ रहा है। आज हमारे द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे पेयजल में प्राकृतिक प्रदूषक जैसे फ्लोराइड, आर्सेनिक, अन्य रासायनिक प्रदूषक तथा कीटनाशकों आदि की दर काफी ऊंची है और यह लगातार बढ़ रही है। अभी तक इस बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण समस्या की गम्भीरता तथा प्रभाव की ठीक–ठीक जानकारी भी नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा 1994 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 7 करोड़ लोग ऐसा प्रदूषित जल पी रहे हैं जिसमें फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, आर्सेनिक तथा खारेपन की मात्रा अधिक है। केन्द्र सरकार के भूजल उपसमूह (1997) द्वारा किए गए एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार यह स्थिति और भी स्पष्ट एवं भयावह रूप में सम्मुख आई। इस सर्वेक्षण के मुख्य परिणाम संक्षेप में निम्नवत् हैं:

- पश्चिम बंगाल में 5 लाख लोग पेयजल में आर्सेनिक से प्रभावित हैं।
- आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में फ्लोराइड का उच्च स्तर 1.4 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहा है।
- देश के उत्तर–पूर्वी तथा उत्तरी भागों में आयरन का स्तर ऊंचा होने से 22.9 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं।
- गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान तथा तमिलनाडु में पानी में खारेपन का स्तर काफी ज्यादा है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी हानिकारक है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के दस्तावेज में पश्चिमी बंगाल के 8 जिलों जिनमें उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी चौबीस परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया, हावड़ा, हुगली तथा वर्दमान शामिल है, 65 ब्लाकों में 757 मजरे आर्सेनिक युक्त पानी की समस्या से बुरी तरह ग्रसित बताए गए हैं। दस्तावेज के अनुसार इस 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीब 2 लाख लोग आर्सेनिक के प्रभाव से वास्तव में प्रभावित है। इनके अतिरिक्त 53 लाख अन्य लोग भी खतरे के अन्तर्गत शामिल हैं जहां भूमिगत जल में प्रति लीटर 0.055 से 3.200 मिलीग्राम तक आर्सेनिक नामक जहर घुला हुआ पाया जाता है।

पानी की गुणवत्ता का सम्बन्ध सीधे–सीधे जन स्वास्थ्य से है। इसे देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई पायलट परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिनके अच्छे प्रभाव दृष्टिगोचर हुए हैं। पानी से फ्लोराइड तथा आयरन हटाने के लिए भी कई प्रयोग किए गए हैं। इस हेतु विकसित की गई तकनीकों के सन्तोषजनक परिणाम भी सामने आए हैं किन्तु ये तकनीकें बेहद महंगी, असुविधाजनक और कठिन होने के कारण इन्हें व्यवहार में लाने में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। भारत में जन स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसमें कुछ सफलता प्राप्त की जा चुकी है जैसे गिनीवर्म को समाप्त करने में सरकार ने अच्छी सफलता पाई है। इस कार्य को सरकार द्वारा खुले कुओं के संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सफलतापूर्वक अन्जाम दिया गया। पेयजल आपूर्ति की दिशा में अन्य खतरे जो कि बैक्टीरिया से जल के दूषित होने तथा महामारियों के फैलने की आशंका से जुड़े है, में कमी आने के बावजूद अभी भी इनकी दर काफी ऊंची है। इसके अतिरिक्त जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने तथा उसके अपर्याप्त या अनुपयुक्त तरीकें से निपटान किए जाने के कारण नए खतरे पैदा हो रहे हैं। ऐसे में वायुजनित बीमारियां, जो कि ठहरे हुए पानी से पैदा होती हैं, को कम करने के लिए पर्यावरण में स्वच्छता को अत्यधिक महत्व दिया जाना जरूरी है।

किसी भी योजना या कार्यक्रम की सफलता के लिए निगरानी सावधानी और संतुलन जरूरी है। पानी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से एक संवेदनशील मुद्दा है। पानी का जीवन से सीधा सम्बन्ध है अतः पानी के इस्तेमाल की नियमित रूप से निगरानी किया जाना बेहद जरूरी है। आज किसानों द्वारा जमीन के अन्दर के पानी का मुख्य रूप से सिंचाई के लिए अन्धाधुंध दोहन किया जा रहा है। इससे अधिकाधिक क्षेत्रों में निरन्तर पानी मिलते रहने में समस्या उत्पन्न हो रही है। भूगर्भ जल का अन्धाधुंध और अनावश्यक दोहन रोकने के लिए पेयजल की नियमित आडिट की व्यवस्था होनी चाहिए। देश में जल के अर्थपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस विषय में सामाजिक चेतना का प्रसार किया जाना भी नितान्त आवश्यक है। पेयजल आपूर्ति अभियान में मुख्य रूप से जिन मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है उसमें प्रत्येक स्थान तथा क्षेत्र के साथ न्याय, संसाधनों और प्रणालियों की निरन्तरता जमीन के जल स्तर में गिरावट को लेकर आधार रही समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाना बहुत जरूरी है तभी हम इस मिशन में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। ❂

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

भूमि तथा जलोपलब्धता

समस्याएं एवं समाधान

राजीव कुमार सिन्हा

विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के मात्र 2 प्रतिशत भाग में भारत अवस्थित है, परंतु कुल वैश्विक आबादी के लगभग 16 प्रतिशत व्यक्ति यहां निवास करते हैं। आजादी के 58 वर्षों के पश्चात् भी देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु प्रत्यक्षतः 'कृषि' एवं उससे सम्बन्धित अन्य व्यवसायों पर निर्भर है। हमारे समग्र राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) का 25 प्रतिशत अकेले कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, जो वस्तुतः भूमि तथा जल संसाधनों पर आश्रित है। इस परिप्रेक्ष्य में बढ़ती जनसंख्या के साथ तेजी से घटती जा रही कृषि–योग्य भू–उपलब्धता तथा चिन्ताजनक ढंग से लगातार नीचे जा रहे भू–वर्गीय जलस्तर के परिणामस्वरूप निरंतर कम हो रही जल संसाधन के दूरदर्शितापूर्ण संयमित उपयोग की अनिवार्यता सर्वोपरि है।

भू–संसाधन–सीमितता तथा जनसंख्या वृद्धि

भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 328 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें वर्तमान विशुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 142.5 मिलियन हेक्टेयर है। देश की वर्तमान जनसंख्या 1002 मिलियन से अधिक है, जो विश्व में चीन के बाद द्वितीय सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र है। इन आंकड़ों का हिसाब–किताब करने पर बोये गये क्षेत्र के प्रत्येक हेक्टेयर पर 7 व्यक्तियों की निर्भरता परिलक्षित होती है। यह भू–मानव अनुपात निश्चित रूप से ऊंचा है, परन्तु ऐसा भी नहीं है कि यह अनवरत जीवनाधार प्रदान करने में सक्षम नहीं हो, बशर्ते कम समय में तैयार होने वाली अधिक उपज–दर वाली फसलों की खेती को प्राथमिकता के आधार पर प्रोन्नत किया जाय। वर्ष 1961–71, 1971–81 तथा 1981–91 के विगत तीन दशकों से अधिक समय में लगभग 2.2 प्रतिशत/प्रतिवर्ष पर स्थिर चल रही भारत की जनसंख्या वृद्धि दर–जो अभी भी 1.8 प्रतिशत की ऊंची वृद्धि दर पर बरकरार है, एक विशिष्ट राष्ट्रीय विकास सम्बन्धित योजना के निर्माण के संदर्भ में हमारी चिंता का मुख्य विषय होनी चाहिए। हमें 21वीं शताब्दी के मध्य तक उस वक्त की अनुमानित जनसंख्या के बृहतर आकार '1350 तथा 1580 मिलियन' की–भोजन, शुद्ध पेय जल, सिंचाई, जल, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना होगा। ये समस्याएं दैत्याकार तो अवश्य हैं, परन्तु 'प्रकृति प्रदत्त इतने संसाधन हमारे पास हैं, जिनके वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा संयमित प्रयोग से हमारी बहुत से आवश्यकताओं की बेहतर पूर्ति की जा सकती है।

असमानुपातिक भू–स्वामित्व

भू–स्वामित्व की भारत में मुख्य रूप से विद्यमान रूपरेखा–छोटी जोत, निजी स्वामित्व वाली तथा फार्म्स है। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में तथा अंग्रेजी शासकों द्वारा परम्परागत ढंग से चले आ रहे बिना परिश्रम के मध्यस्थों तथा जमींदारों द्वारा शोषणकारी ढंग से मेहनतकश उत्पादनकर्ताओं से भू–लगान के रूप में की जा रही अनाप–शनाप वसूली पद्धतियों के संस्थानिकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप–जमींदारी प्रथा तेजी से अवलोपित होने लगी। जमींदारी–प्रथा समाप्त किये जाने के बाद भी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भू–हदबन्दी कानून के प्रावधानों के तहत जमींदारों/बड़े कृषकों के पास पायी गयी अतिरिक्त भूमि तथा अन्य बेनामी भूखण्डों के सरकार द्वारा अधिग्रहण कर भूमिहीनों, सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के मध्य नहीं वितरित किये जाने की सरकारी उदासीनता के परिणामस्वरूप अभी भी 24 प्रतिशत अर्द्ध मध्यम तथा मध्यम श्रेणी के कृषकों (2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर भू–स्वामित्व वाले) तथा बड़े कृषकों (10 हेक्टेयर से अधिक भू–स्वामित्व वाले) के पास कुल कृषि योग्य भूमि का क्रमशः 53 + 23 = 76 प्रतिशत भाग संकेन्द्रित है। मामले का दुखद एवम् आश्चर्यजनक पहलू यह है कि 'कृषि–विकास' द्वारा ग्रामीण विकास तथा निर्धनता–उन्मूलन हेतु संचालित इतने सारे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद आजादी के 58 वर्षों के पश्चात् भी देश की लगभग आधी गृह–इकाइयों के पास (49 प्रतिशत) कुल कृषि योग्य भू–क्षेत्र का मात्र 24 प्रतिशत भाग है।

छोटे जोतदारों (49 प्रतिशत) के पास कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 24 प्रतिशत होना ही एक समतलामूलक समाज की स्थापना के हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग की प्रमुख बाधा नहीं हैं, छोटे आकारों की ये जोतें भी अपखंडित हैं तथा एक जगह स्थित नहीं हैं। इससे वैज्ञानिक ढंग से कृषि की विभिन्न तकनीकों तथा आदानों का समुचित प्रयोग करना कठिन ही नहीं नामुमकिन भी हो जाता है। कृषि योग्य भूमि की इस प्रकार की रूपरेखा एक सक्षम जल–वितरण पद्धति के विकास में तो बाधा उपस्थित करती ही है अन्य अधोसंरचनात्मक सेवाओं, यथाः कृषि–फार्मों को जोड़ने वाले पथों, सिंचाई जल–प्रवाहक नलिकाएं, इत्यादि बनाने भी कठिनाई होती है। परन्तु समान रूपरेखा वाली भू–स्वामित्व प्रणाली में– दक्षिण–पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के देशों, यथाः ताइवान, दक्षिण कोरिया तथा जापान जैसे राष्ट्रों ने बेहतर ढंग से उत्पादक कृषि को विकसित किया है।

सतही तथा भूगर्भीय जल संसाधन

सतही जल तथा भूगर्भीय जल एक ही जल–तकनीकी पद्धति के भाग हैं। वे एक–दूसरे से अन्तः सम्बन्धित हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। भारत में सम्पूर्ण वैश्विक जनसंख्या का लगभग 16 प्रतिशत भाग निवास करता है, परन्तु भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों में औसत वार्षिक जल–प्रवाह का मात्र 4 प्रतिशत प्राप्त होता है। यह भारत में जल की आवश्यकता से कम उपलब्धता का द्योतक है। चीन की नदियों में यही औसत वार्षिक जल–प्रवाह 8 प्रतिशत है, जिसे भारत से 25 प्रतिशत अधिक जनसंख्या का भरण–पोषण करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में दोनों देश लगभग एक सी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

भारत में उपयोग योग्य जल–संसाधन की उपलब्धता सतही जल से 690 कि.ली.^{3} तथा भू–गर्भीय जल–संसाधन के रूप में 396 कि.ली.^{3}, अर्थात् कुल 1086 कि.ली.^{3} प्रतिवर्ष है। इसमें वर्तमान वापसी प्रवाह से प्राप्त होने वाले 90 कि.ली.^{3} जल–भंडार भी सन्निहित हैं। प्रकृति द्वारा ही

भरत को बड़ी संख्या में नदियों का वरदान प्राप्त है। केन्द्रीय जल आयोग के प्रकाशनों के अनुसार–सभी नदियों की वर्तमान में अनुमानिक औसत वार्षिक क्षमता 1953 कि.ली.[3] है, जबकि उपयोग किये जाने योग्य प्रवाह 690.32 कि.ली.[3] आंका गया है, जो औसत वार्षिक क्षमता का मात्र 35 प्रतिशत है। अतः शेष 65 प्रतिशत क्षमता के समुचित विदोहन की तकनीकी सम्भावनाएं विकसित की जानी चाहिए। उपयोग किये जा सकने वाले जल–प्रवाह की इस अनुमानित माप में मुख्य अन्तर्बेसिन स्थानान्तरण सम्मिलित नहीं है, लेकिन बेसिनों के क्षेत्रान्तर्गत आवश्यक भंडारण के प्रावधानों को सम्मिलित करने की सम्भावनाओं को सन्निहित करता है। वर्षापात की उच्च मौसमी प्रकृति तथा नदी जल–प्रवाह को ध्यान में रखते हुए जल भंडारण तो आवश्यक ही है। ग्लेशियर से परिपोषित हिमालय से निकलने वाली नदियों में लगभग 80 प्रतिशत प्रवाह तथा दूसरे जल स्रोतों में होने वाला 90 प्रतिशत प्रवाह सामान्यतः मानसून के तीन से चार महीनों की अवधि में होता हैं। सतही जल की उपयोग की जा सकने वाली कुल मात्रा का लगभग 60 प्रतिशत ही वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। अतः सतही जल की अप्रयुक्त 40 प्रतिशत मात्रा के दीर्घकालिक एवं सिर्फ आवश्यक सिंचाई, पेयजल/अन्य व्यवहारों में एक–एक बूंद का महत्व समझते हुए इस प्रकार विदोहन की सम्भावनाओं की तलाश करनी होगी, जिससे व्यवहारोपरान्त बर्बाद जल की अधिकाधिक मात्रा पृथ्वी की उपजाऊ सतहों के अन्दर जाकर भू–गर्भीय जल के भंडार को अनवरतता प्रदान करती रहे। यहां उल्लेखनीय है कि सतही जल का अधिकतम उपयोग इन्डस, कृष्णा, कावेरी, साबरमती तथा माही नदियों के बेसिनों में है, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी तथा नर्मदा में इनका उपयोग काफी कम हो पाया है। व्यवहार किये जा सकने योग्य सतही जल–संसाधन की उपलब्धता के मामले में गंगा उप–बेसिन क्षेत्र (250 कि.ली.[3] प्रतिवर्ष), गोदावरी (76.3) तथा नर्मदा (34.5) आदि काफी आगे हैं। इन तथ्यों के आलोक में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय को ऐसे तकनीकी प्रयास करने होंगे, जिससे वर्णित नदी घाटियों में उपलब्ध व्यवहार किए जा सकने वाले जल संसाधनों का समुचित तथा समयोपयोगी प्रयोग सुनिश्चित हो सके।

बेहतर उपलब्धि के उपाय

खतरनाक गति से बढ़ रही जनसंख्या के कारण लगातार कम होती जा रही प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता को रोकने के लिए जाति, धर्म, सम्प्रदाय अथवा अन्य राजनैतिक आधारों पर अंतर करने की राजनीतिक प्रवृत्तियों का परित्याग कर एक विवाहित युग्म–एक संतान के सिद्धान्त का कठोरता से पालन करना होगा। भूमि–सुधार आन्दोलन/प्रयासों तथा परिसंपत्तियों के असमान वितरण को दूर कर एक समतामूलक तथा सही अर्थों में सामाजिक न्याय वाले समाज की स्थापना के सरकारी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यदा–कदा राजनैतिक समर्थन/सहायता प्राप्ति की प्रत्याशा में हदबन्दी से अधिक भूमि रखने वाले भू–स्वामियों/पूर्व से परम्परागत या वंशानुगत क्रम से चले आ रहे जमींदारों जिन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक/राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण सीमा से अधिक कृषि योग्य भूमि रहने पर भी उससे अधिकारच्युत नहीं होना पड़ रहा है वैसे 03 प्रतिशत लोगों से अतिरेक भूमि कड़ाईपूर्वक योजनाबद्ध ढंग से सरकार द्वारा अधिग्रहीत करके भूमिहीनों, कृषकों तथा सीमान्त कृषकों के मध्य भेद–भाव रहित ढंग से ईमानदारी पूर्वक वितरित की जानी चाहिए। इसमें विलम्ब निश्चय ही आत्मघाती होगा। विश्व की कुल आबादी के 16 प्रतिशत भाग का लालन–पालन करने की महती चुनौती का सामना कर रहे भारत के हिस्से इस, उप–महाद्वीप की नदियों में कुल वैश्विक औसत वार्षिक जल प्रवाह का केवल 4 प्रतिशत ही उपलब्ध है। चूंकि कृषि में ही जल का सर्वाधिक उपयोग होता है तथा जहां वर्षा यथेष्ट नहीं होती है, वहां सिंचाई पर ही कृषि आश्रित होती है। सिंचाई पर आधारित कृषि में पानी बहुत व्यर्थ चला जाता है, विशेषकर, वाष्पीकरण और पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के कारण। इन तथ्यों के मद्देनजर फसलों की सिंचाई के क्रम में जल को भूमि में गहराई तक जाने से रोकते हुए छिड़क सिंचाई, चतपदासमतद्ध द्वारा पानी को महीन फुहार के रूप में छोड़े जाने की विधियों को प्राथमिकता के तौर पर अपनाया जाना चाहिए।

प्रतिवर्ष भारत की भू–सतह पर गिरने वाले 4,000 घन किलोलीटर जल के 50 प्रतिशत से 2/3 हिस्से के बेकार बह जाने के कड़वे तथ्य को ध्यान में रखते हुए वृक्षों/वनों की खतरनाक ढंग से हो रही कटाई को कड़ा कानून बनाकर रोकना होगा। साथ ही साथ, प्रत्येक सम्भव स्थान पर विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों में जलाच्छादन के विशेष कार्यक्रम बनाकर यूं ही बर्बाद हो जाने वाले जल की अथाह मात्रा को संग्रहित करने का प्रयास करना होगा।

अलग–अलग भौगोलिक परिस्थितियों तथा कृषि जलवायुवीय परिक्षेत्रों की विशेषताओं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जल–संरक्षण हेतु कई तकनीकें अपनायी जा सकती हैं। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण उत्तर–पूर्वी भारत के असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के व्यापक क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आ जाने वाली विध्वंसकारी बाढ़ के जल को इन राज्यों की मुख्य बाढ़ प्रभावित नदियों की तलहटियों से समय–समय पर गाद हटाकर दूसरे राज्यों की कम जल वाली या जलविहीन नदियों से जोड़कर अत्यधिक जल प्रवाह का दीर्घकालीन उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ का दंश झेलने वाली इन नदियों के दोनों ओर, अप्रयुक्त भूमि पर तकनीकी रूप से सम्मत जगहों पर बड़े–बड़े रिजरभ्वायर, परकोलेशन टैंक, परकोलेशन पिट, रिचार्ज सीट आदि बनाकर नदियों की सीमा लांघकर अरबों रूपये की खड़ी फसलों तथा जान–माल की हानि करने वाले बाढ़ के जल को संग्रहित कर रखा जा सकता है।

वर्तमान समय में विशुद्ध फसलान्तर्गत क्षेत्र तथा कुल बोये गये क्षेत्र के क्रमशः 142.5 मिलियन हेक्टेयर तथा 186 मिलियन हेक्टेयर रह जाने तथा समग्र रूप से सभी प्रकार के फसलों की उत्पादकता केवल 1.7 टन्/हेक्टेयर रह जाने के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता 200 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष या बीजों को छोड़कर 500 ग्रा.प्रतिदिन रह जाने के निराशाजनक तथ्यों के आलोक में जब कृषि क्षेत्र लोगों को न्यूनतम अनुशंसित स्तर पर आजीविका प्रदान करने में अक्षम साबित होने लगा है, तब कृषि से सम्बन्धित अन्य व्यवसायों, यथाः गो–पालन, मुर्गी–पालन, सुअर–पालन, मत्स्य–पालन, पुष्पोत्पादन, मधुमक्खी–पालन, फल–सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों आदि को विकसित कर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

ऊपर वर्णित उपायों को योजनाबद्ध ढंग से विभिन्न चरणों में अपनाये जाने पर न सिर्फ निरंतर कम पड़ती जा रही कृषि योग्य भूमि तथा जल संसाधन उपलब्धता का सर्वाधिक उत्तम वैज्ञानिक एवं न्यायोचित उपयोग सुनिश्चित होगा, बल्कि राष्ट्र के दीर्घकालिक अनवरत आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। और यही वर्तमान समय की महत्वपूर्ण मांग भी है। ✪

(लेखक कृषि अनुसंधान केन्द्र, तिलकामांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय, में रिसर्च एसोशिएट हैं)

बढ़ता जल-संकट

अनिता मोदी

जल मनुष्य,पशु, पक्षी व वनस्पति सभी के अस्तित्व व संवर्धन के लिए आधारभूत आवश्यकता है। गेटे ने जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि प्रत्येक वस्तु जल से उत्पन्न होती है व जल के द्वारा ही प्रतिपादित होती है। जल के महत्व को मद्देनजर रखते हुए ही 1977 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में वर्ष 1981 से वर्ष 1990 तक के दशक को पेयजल दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को 'अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष' के रूप में मनाया।

जल का महत्व सर्वविदित होने के बावजूद भी आश्चर्य है कि जल का पूर्ण सदुपयोग नये होकर इसका अपव्यय व बरबादी हो रही है। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1900 क्यूबिक मीटर है। ऐसा अनुमान है कि इस दशक के अन्त तक यह स्तर गिरकर 1000 क्यूबिक मीटर हो जायेगा। यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1000 क्यूबिक मीटर से कम हो जाती है तब उस देश को जल संकट से ग्रस्त देश माना जाता है। उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट है कि यदि हमने जल-संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं दिया तो भारत शीघ्र ही जल संकट से ग्रस्त देश की श्रेणी में आ जायेगा।

हाल ही में, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की ओर से 'घरेलू इस्तेमाल में पानी की खपत' विषय पर कराये गये सर्वेक्षण से यह तथ्य उजागर हुआ है कि कपड़ों की धुलाई में आवश्यकता से 82 प्रतिशत अधिक तथा स्नान करने में 52 प्रतिशत अधिक पानी का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही, बर्तनों की सफाई में भी पानी का अपव्यय होता है। इस सर्वेक्षण के आधार पर यह चेतावनी दी गई है कि यदि पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई तो आने वाले 15 वर्षों में यह पैट्रोल की तरह मंहगा हो जायेगा। यह भी संभव है कि भविष्य में पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंप दी जायेगी जिससे पानी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो जायेगी। हकीकत यह भी है कि आज पानी धन कमाने का जरिया बनता जा रहा हैं। बोतलबन्द पानी बनानेवाली कम्पनियों की संख्या 100 से अधिक हो गई है जो कि पानी को भारी कीमत पर बेचकर अत्यधिक लाभार्जन करती हैं। इन सब का दुष्परिणाम है कि पानी आम आदमी की पहुँच से बाहर होता जा रहा है।

हमारे देश में शहरों में पानी की मौजूद उपलब्धता व उपभोग के आकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 2015 तक भारतीय शहरों के औसत लोगों को हफ्ते में नगर निगम केवल एक बाल्टी पानी ही उपलब्ध करवा सकेगा। यह भयावह तस्वीर आने वाले जल संकट के प्रति आगाह कर रही है एवं जल के प्रबन्धन व जल प्रदूषण पर रोक के लिए प्रभावी नीति के क्रियान्वयन की महती आवश्यकता को प्रतिपादित कर रही है।

देश के तीव्र आर्थिक विकास, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, बढ़ी जनसंख्या व पाश्चात्य जीवन शैली के अंधानुकरण के कारण जल की मांग अनियंत्रित रूप से बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान ने भी अनुमान लगाया है कि भारत में जल की मांग वर्ष 2000 में 634 बिलियन क्यूबिक मीटर थी जो बढ़कर 2025 में 1092 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जायेगी। ऐसी सम्भावना व्यक्त की गई है कि भविष्य में जल के मुद्दे को लेकर लड़ाईयां लड़ी जायेंगी। आज गांवों, झुग्गी-झोपड़ियों व चाल के बाहर लगी हुई लम्बी कतारों को देखकर अहसास होता है कि यह भविष्यवाणी सत्यता के करीब है। मुम्बई जैसे शहर, जिसकी 60 प्रतिशत जनसंख्या झुग्गी झोपड़ियों में ही निवास करती है। जब पानी जैसी आधारभूत जरूरत पूरी नहीं होगी तो स्वभाविक है कि यह समस्या उग्र रूप धारण कर लेगी।

अनेक सर्वेक्षणों के मुताबिक पानी की बर्बादी में समाज के संभ्रान्त व धनाढ्य कहे जाने वाले वर्गों की भूमिका सर्वाधिक है। पंचसितारा होटलों व धनाढ्य वर्ग की कोठियों में 'स्विमिंग पूल' का निर्माण करवाया जाता है, हरी मखमली दूब के बगीचों से ये होटल वे कोठियां शोभायमान होती है। इसके अतिरिक्त, यदि इस धनाढ्य वर्ग को नगर-निगम का जल उपलब्ध नहीं हो तो वह बोरिंग करवाकर, मोटर लगवा कर भूमिगत जल प्राप्त कर लेता है। पानी के प्रदूषित होने पर 'फिल्टर' से पानी का शुद्धिकरण कर लेता है। प्यास लगने पर 'बोतलबंद' पानी की व्यवस्था कर लेता है। लेकिन क्या यह सब विकल्प गरीब तबके के पास मौजूद हैं? गरीब तबका तो दो जून रोटी की जुगाड़ भी मुश्किल से कर पाता है। जल संकट की मार सबसे ज्यादा गरीब वर्ग को ही झेलनी पड़ती है। पेयजल की व्यवस्था के लिए अधिकांश महिलाओं व बालिकाओं को दो, चार किलोमीटर की दूरी तक तय करनी पड़ती है जिससे उनके श्रम व समय की अनावश्यक बर्बादी होती है।

बढ़ती जल की मांग को पूरा करने के लिए भूमिगत जल की अंधाधुंध निकासी की जाती है जिससे भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे चला गया है। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में यह पाया गया है कि गुजरात के मेहसाणा व तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिलों में भू-जल स्रोत स्थाई तौर पर सूख चुके हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, व महाराष्ट्र में जल स्तर 3 से 20 फुट तक नीचे चला गया हैं जिससे इन प्रदेशों में कई भू-भाग रेगिस्तान में तब्दील होते जा रहें हैं। कुएं, तलाब व बावड़ियां सूखते जा रहे हैं, हैण्डपम्प व नलकूपों ने भी जल की कमी के कारण काम करना बन्द कर दिया है, हरित क्रांति ने जल संकट को और बढ़ा दिया है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि जो वस्तु सुलभता से मुफ्त या निम्न कीमत पर उपलब्ध हो, उसका दक्ष व पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, ऐसा ही भूमिगत जल के संदर्भ में हो रहा है।

जल संरक्षण की अनूठी मिसाल

जगदीश मालवीय

न तो कोई सरकारी आर्थिक मदद मिली और ना ही कोई तकनीकी सलाह फिर भी एक जुनून सवार हो गया। बारिश के व्यर्थ बहते पानी की हर बूंद को सहेजने का। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक किसान ने स्वयं के खर्चे से जल सरंक्षण के लिए एक तालाब बना दिया। फिर क्या था गांव के अन्य लोग भी आगे आए और देखते ही देखते एक के बाद एक 12 तालाब बन गये और गांव पानी एवं सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। यह जल संरक्षण अजूबा कर दिखाया है मनासा तहसील के गांव बरलाई के पाटीदार समाज ने। गांव के सत्यनारायण पाटीदार ने सबसे पहले दस बारह साल पूर्व बिना किसी सरकारी मदद के स्वयं के खेत में पहाड़ी के समीप दो लाख की लागत से तालाब बनवाया। इस तालाब में पाइप डालकर वाल्व लगाये और बिना बिजली या पम्प की सहायता से वे सिंचाई करने लगे। पिछले दस बारह सालों से वे बिना बिजली पम्प के 15 एकड़ में सिंचाई कर रहे हैं। उनके दस बीघा खेत में एक हजार सतंरे के पौधे लहलहा रहे हैं।

जल संरक्षण के प्रति समर्पित सत्यनारायण पाटीदार की प्रेरणा से गावं के अन्य लोग भी आगे आए परिणामस्वरूप आज बरलाई में 12 निजी तालाब हैं। जिनसे एक सिंचाई करने के पश्चात् आज भी लबालब पानी भरा है और रबी फसल में भी पर्याप्त सिंचाई हो जाएगी। शालीगराम पाटीदार ने अपनी निजी जमीन पर एक लाख की राशि व्यय कर तालाब बनवाया और बीस एकड़ सोयाबीन में एक सिंचाई कर चुके हैं। रामनारायण पाटीदार ने तीन लाख खर्च कर बीस फुट गहरा विशाल तालाब बनवाया और अपने खेत पर बने तालाब से दो वर्षों से 12 एकड़ जमीन में दोनों फसलों में सिचाई कर रहे हैं।

इसी गांव के नाथूलाल पाटीदार नें अपली डेढ़ बीघा जमीन डूबने की चिन्ता नहीं की और सवा लाख खर्च कर तालाब बनाया तो बाकी दस एकड़ में पर्याप्त सिचांई हो रही है। गांव के कमला शंकर पाटीदार ने भी डेढ बीघा निजी जमीन पर स्वयं के खर्चे से तालाब बनाया और तालाब में वाल्व लगा दिया। इससे बिना किसी डीजल पम्प विद्युत मोटर के पांच एकड़ में सिचांई कर रहे है और अच्छी फसल ले रहे हैं।

इसी गांव के शिवनारायण –परमानन्द पाटीदार ने भी डेढ़ लाख खर्च कर एक एकड़ मे तालाब बनवाया। सोयाबीन की फसल में एक सिचांई करने के पश्चात भी तालाब में पर्याप्त जल है। रामकरण मंगल पाटीदार ने भी इस वर्ष नब्बे हजार रुपये तालाब निर्माण पर खर्च किए। उसका लाभ इसी सीजन में मिल गया। परिणामस्वरूप सोयाबीन की अच्छी फसल उनके खेत में है। गांव के कन्हैयालाल पाटीदार ने मात्र अस्सी हजार की लागत से तालाब निर्माण करवाया उसमें 15 एकड़ में सिचांई तो हो ही रही है तालाब में अस्सी हजार मत्स्य बीज

भी तीन साल पहले डाले आज उनके तालाब में सिचांई के साथ मत्स्य पालन भी हो रहा है। गांव के द्वारका प्रसाद पाटीदार ने भी दो साल पहले तालाब बनाया और वाल्व लगाकर पाइप के जरिए 15 एकड़ जमीन में दोनों सिंचाई तो कर ही रहे हैं और संतरे का बगीचा भी लगाया है। दयाराम पाटीदार, खेमराज पाटीदार एवं कवंरलाल पाटीदार भी अपनी जमीन पर अपना तालाब बनवाकर सिचांई के मामले में आत्म निर्भर बन चुके हैं। इन लोगों के इस अनुकरणीय कार्य के फलस्वरूप गांव में लबालब भरे तालाबों की श्रृखंला सी बन गई है। इससे सिचांई तो हो ही रही है कुओं में जल का स्तर भी बढ़ा है। गांव के अन्य ग्रामीण भी इन से प्रेरणा लेकर इस वर्ष दस नये तालाब बनाने का संकल्प लिया है।

(प्रभारी अधिकारी, जिला जनसम्पर्क कार्यालय, नीमच)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

उपभोक्ता अपना अधिकार जानें

विभा शुक्ला

एक स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में देश का प्रत्येक नागरिक उपभोक्ता होता है, चाहे वह एक छोटा बच्चा ही क्यों न हो। यहां तक कि एक वस्तु का उत्पादक, वितरक तथा विक्रेता भी किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। व्यवसाय में उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि होता है। अर्थशास्त्र के 'उपभोक्ता सार्वभौमिकता' व 'ग्राहक जो चाहे उसे मिले' जैसे सिद्धान्त के अनुसार उपभोक्ता व्यवसाय का राजा होता है और उसी की इच्छानुसार सारे उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन एवं विपणन होता है। ये सिद्धान्त व्यवसाय का मार्गदर्शन तो करते हैं, किन्तु ये मात्र सैद्धान्तिक पक्ष है। व्यवहार में यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि अभी भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं तक में उपभोक्ता का वह स्थान नहीं है, जो उसे प्राप्त होना चाहिये। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्राहक की स्थिति तो और भी शोचनीय है। उपभोक्ता सदैव व्यवसायियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से ठगे जाते रहे हैं।

समाज में बहुधा ऐसे लोग मिल जाते हैं जो यह शिकायत करते हैं कि उन्हें अमुक व्यक्ति ने ठग लिया या अमुक व्यक्ति की धोखाधड़ी के वे शिकार हो गये, क्रय किया गया माल बतलाये गए गुणों के बिल्कुल विपरीत है। यह स्थिति क्यों आती है और समाज में धोखाधड़ी और ठगी क्यों चलती रहती है? इसका एकमात्र कारण यही है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती और उनमें शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की जागरूकता का अभाव होता है। पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभाव, विज्ञापन, नैतिकता एवं आदर्श मूल्यों के ह्रास के परिणामस्वरूप व्यापारी रातों–रात अमीर बनने की अभिलाषा के कारण अनुचित व्यापारिक व्यवहारों को अपनाते हुए उपभोक्ताओं को मिलावटी, अमानक, घटतौली, अल्पगुणवत्ता वाली वस्तुएं बेचकर उनका शोषण करते हैं। यह प्रक्रिया मात्र विकासशील देशों में ही नहीं अपितु विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी प्रायः देखने को मिलती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स युग के आगमन ने आग में घी का काम किया है। पाश्चात्य संगीत, रहन–सहन और झूठे आडंबर की वृद्धि के कारण व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताएं असीमित रूप से बढ़ने लगी और जिसके परिणामस्वरूप जन्म लिया भ्रष्टाचार और मिलावट ने। मिलावट तो हर चीज का आवश्यक भाग बन गई है। दूध, दवा, मिठाई, तेल, घी, मसाले, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कपड़ा, रंग, दालें, सब्जियां आदि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बची जिनमें कि मिलावट न हो रही हो और इस प्रकार मिलावट करते–करते इंसान भी बन गया अच्छे–बुरे सभी गुणों का मिश्रण। वर्तमान समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां उपभोक्ताओं का शोषण न हो रहा हो, जैसे शिक्षा, बैंकिग, चिकित्सा, डाक एवं कोरियर, भवन निर्माण, चिकित्सा सेवाओं आदि में त्रुटि एवं लापरवाही उपभोक्ता के लिये घातक सिद्ध हो रही है।

उपभोक्ता के जीवन में विज्ञापन का कुप्रभाव शहरों व गांवों में चिन्ता का विषय बना हुआ है। आजकल उत्पादों के साथ–साथ एक और बीमारी लग चुकी है वह है प्रलोभन देना जैसे–वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त पुरानी वस्तु के बदले में नई वस्तु, नहाने के साबुन में सोने का लॉकेट होना, चाय की पैकिंग में डायमंड का होना व अनेक वस्तुओं के साथ स्कूटर, टीवी, फ्रिज, मोबाइल आदि लाखों के इनाम का लालच विज्ञापनों में दिया जाता है। इस प्रकार आजकल के मिथ्या वर्णित, भ्रमित एवं गुमराह करते विज्ञापन उपभोक्ताओं को ठग रहे हैं। अतः उपभोक्ताओं को शोषित होने से बचाने के लिये सरकार ने उपभोक्ता अदालतें भी बनाई हैं, परंतु वर्तमान समय में शहरों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इनके प्रचार–प्रसार की अति आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिये कि घटतौली, मिलावट, भ्रष्टाचार के विरूद्ध उनके क्या अधिकार हैं और उनको कौन से कदम इनके विरूद्ध उठाना चाहिये। यदि वास्तव में हमें उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना है और उसे लाभ देना है तो उदारीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा एवं हितों के संरक्षण हेतु जागरूक बनाने के साथ–साथ समाज में ईमानदारी का वातावरण सृजित करने की भी नितान्त आवश्यकता है।

उपभोक्ता अधिकारः "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" प्रतिवर्ष अन्तरराष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन के परस्पर संबंधों को मनाने और एकता प्रदर्शित करने का दिन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी द्वारा 15 मार्च, 1962 को चार मूलभूत उपभोक्ता अधिकारों के बारे में की गई ऐतिहासिक घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

उस घोषणा के फलस्वरूप सरकारों और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्ततः इस बात पर बल दिया गया कि सभी नागरिकों के उनकी आय या सामाजिक स्थिति पर विचार किये बिना उपभोक्ता के रूप में कुछ मूलभूत अधिकार हैं। भारत सरकार ने इसी के अनुरूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया, जिसमें उपभोक्ताओं को मूलभूत अधिकार प्रदान किये गये जो कि इस प्रकार हैं:

सुरक्षा का अधिकारः उपभोक्ता का प्रथम अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। उसे ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिनसे उसके शरीर एवं संपत्ति को हानि हो सकती है। उसे किसी भी वस्तु या सेवा से चोट लगने या बीमार होने या क्षति होने या किसी भी व्यक्ति के अविवेकपूर्ण आचरण से क्षति होने के विरूद्ध सुरक्षा पाने का अधिकार है। उपभोक्ता इस अधिकार के द्वारा खराब एवं दुष्प्रभावी खाद्य वस्तुओं, नकली दवाओं, घटिया यंत्रों एवं उपकरणों तथा बाजार में उपलब्ध घटिया, नकली/जाली सभी वस्तुओं में होने वाली धन, स्वास्थ्य एवं शरीर की हानि से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।

चुनाव या पसंद का अधिकारः उपभोक्ता अपने इस अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित विभिन्न ब्राण्ड, किस्म, गुण, रूप, रंग, आकार, तथा मूल्य की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सूचना पाने का अधिकारः उपभोक्ता को वे सभी आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त करने का अधिकार है जिनके आधार पर वह वस्तु या सेवा खरीदने का निर्णय कर सके। यह सूचनाएं वस्तु की किस्म, मात्रा, शुद्धता, प्रमाण, मूल्य आदि के संबंध में हो सकती है। इन सूचनाओं को प्राप्त करके कोई भी उपभोक्ता व्यवसायी के अनुचित व्यापारिक व्यवहारों से भी सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।

सुनवाई या कहने का अधिकारः उपभोक्ता को अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। वे अपने इस अधिकार का उपयोग करके व्यवसायी एवं सरकार को अपने हितों के अनुरूप निर्णय लेने तथा नीतियां बनाने के लिये बाध्य कर सकते हैं। सुनवाई का अधिकार ही वह अधिकार है,

जिसके द्वारा वह अपनी शिकायत को व्यक्त कर सकता है तथा अपने अन्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा कर सकता है।

उपचार का अधिकार: यह अधिकार उपभोक्ता को यह आश्वासन प्रदान करता है कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उचित एवं संतोषजनक ढंग से उपयोग में नहीं लाई जा सकेगी तो उसकी उसे उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। उपभोक्ता के इस अधिकार की रक्षा के लिये सरकार कानूनी व्यवस्था करती है। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।

उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को उन सब बातों की शिक्षा या जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है जो एक उपभोक्ता के लिये आवश्यक होती है। शिक्षा उपभोक्ता की जागरूकता की आधारभूत आवश्यकता है, जबकि सूचना किसी क्रय की जाने वाली वस्तु या सेवा के संबंध वे जानकारी है।

मूल्य या प्रतिफल का अधिकार: उपभोक्ता यह अपेक्षा करने का अधिकार भी रखता है कि उसे उसके द्वारा चुकाये गये धन का पूरा मूल्य मिल सकेगा। उसे व्यवसायी द्वारा विक्रय के दौरान या विज्ञापन में किये गये वायदों तथा जगाई गई आशाओं को पूरा करवाने का अधिकार होता है।

संसद द्वारा पारित यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है इसी परिप्रेक्ष्य में "राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" मनाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया। उपभोक्ता के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना और उसकी रक्षा करना सामाजिक और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण और गरिमा का परिचायक है। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिये एवं उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिये उपभोक्ता अधिकारों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करके उपभोक्ता को जागरूक करना चाहिये। ✪

(लेखिका फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली के वाणिज्य विभाग से संबद्ध हैं)

उपभोक्ता संरक्षण : नए कदम

शांता बालाकृष्णन

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए स्कूलों में उपभोक्ता क्लब और जागृति शिविर योजना शुरू की है। इससे भारत में उपभोक्ता संरक्षण को बल मिला है। दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन भी शुरू की गई है जिसका संचालन छात्र और अध्यापक करेंगे। इसे विभाग द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए उठाए हैं।

इसके अलावा उपभोक्ता मामले तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कालेजों को भी जोड़ा है। इस कार्य के लिए तीन वर्षों तक के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनेस्ट्रेशन (आई.पी.ए) की सेवाएं ली जाएंगी।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण के मामले में उपभोक्ता संरक्षण में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 मील के पत्थर की हैसियत रखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का विचार भारत के लिए नया नहीं है। यह सदियों पुराना विचार है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में भी व्यापार और उद्योग द्वारा शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण का हवाला मिलता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा व्यक्तियों, चाहे वे निजी क्षेत्र के हों या सार्वजनिक क्षेत्र के, सभी को रखा गया है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। इसके तहत उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि उसे जो वस्तु या सेवा मिल रही है, कहीं वह खतरनाक तो नहीं है। इसके अलावा उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, परिमाण, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जान सके ताकि वह बेजा कारोबारी तौर तरीकों से अपना बचाव कर सके। उपभोक्ता को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह जब चाहे उसे प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर आधारित विभिन्न वस्तुएं और सेवायें उपलब्ध रहें।

उपभोक्ताओं को शिकायतें सुनी जाने और उनके निवारण के लिए यह सुनिश्चित करने का अधिकार भी प्राप्त है कि उचित संस्था या मंच पर उसकी शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा।

अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के सरल, तेज और सस्ते निवारण के लिए तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक मशीनरी कायम की गई है। इसे साधारण अदालत कहा जाता है, इसे राष्ट्रीय, राज्यीय और जिला स्तर पर कायम किया गया है। इसकी सर्वोच्च संस्था का नाम राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग यानी राष्ट्रीय आयोग है। यह आयोग नई दिल्ली में स्थित है।

जिस तरह अदालतों में मुकादमे दायर होते हैं, उसी तरह उनकी सुनवाई भी होती है। पहले शिकायत जिला फोरम में की जाती है। शिकायतकर्ता संतुष्ट न होने पर मामला राज्य फोरम और फिर राष्ट्रीय फोरम में ले जा सकता है। जिला फोरम में शिकायत मामूली कोर्ट फीस पर दर्ज करवाई जा सकती है। अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से भी संतुष्ट नहीं होता तो वह आदेश के 30 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।

इस समय देश में 582 जिला फोरम, 35 राज्य आयोग और एक राष्ट्रीय आयोग काम कर रहे हैं। उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसियों के कायम होने के बाद से अब तक दायर 24 लाख मामलों में 84 प्रतिशत मामलों को निपटाया जा चुका है।

वास्तव में उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन सीधे-सीधे लोगों में अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागृति से जुड़ा हुआ है। यह देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में साक्षरता का दर ऊंचा और सामाजिक जागृति ज्यादा है, वहां उपभोक्ताओं का शोषण आसानी से नहीं किया जा सकता।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूरी दुनिया में 15 मार्च को मनाया जाता है। हर वर्ष इसकी विषयवस्तु भिन्न होती है। इस वर्ष की विषयवस्तु है 'मिलावट, जाली और नकली उत्पादों के खिलाफ मुहिम'।

राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम में भी शोषणमुक्त भारत की स्थापना को स्थान दिया गया है। इसके अनुरूप केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है।

देश में अब उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए एक विशिष्ट कानून है, जिसके तहत खामी वाले सामान और असंतोष जनक सेवाओं के विरुद्ध तुरंत समाधान किया जा सकता है। स्मरण रहे कि जो उपभोक्ता अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सतर्क रहेगा, वही अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होगा। ✪

उपभोक्ता मामले

खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण

उपभोक्ता मामले विभाग की आर्थिक मदद से इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन (एनसीएच) का उद्घाटन किया गया। इस टोल फ्री टेलिफोन लाइन (1600–11–4000) से उपभोक्ताओं को सहायता, सूचना तथा सलाह मिलेगी, जिससे उनको दिन–प्रतिदिन की उपभोक्ता संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायता मिलेगी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के उपभोक्ता मामले विभाग को तीन वर्ष के लिए उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में सलाहकार नियुक्त किया गया है।

उपभोक्ताओं के अत्यन्त गरीब वर्ग का ध्यान रखते हुए अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को कोर्ट के जिला फोरम में 1 लाख रुपए तक के मामले दर्ज करने पर मुकदमे के शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

देश में उपभोक्ता आन्दोलन को और मजबूत करने की दृष्टि से एक स्थाई समिति की स्थापना की गई और इस समिति का काम होगा उपभोक्ताओं की प्रमुख चिन्ताओं का पता लगाना, उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करना, उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए विभिन्न हितधारकों की भागीदारी और उपभोक्ताओं की समस्याओं को सरकार, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सामने उजागर करना। विभाग के अन्तर्गत उपभोक्ता कार्य दल बनाया गया है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, कुछ गणमान्य व्यक्ति एवं अनुभवी हस्तियां शामिल हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग ने तीन समितियों का गठन किया है, जो उपभोक्ता क्लब की रूपरेखा तैयार करने, राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति के लिए मसौदा तैयार करने तथा उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए उपयुक्त प्रणाली अपनाने का सुझाव देंगी। इस विभाग ने कम्प्यूटरीकरण तथा कम्प्यूटर नेटवर्किंग का काम 48.64 करोड़ रुपए की लागत से पूरा कर लिया है। 10.2 करोड़ रुपए की राशि तीन राज्य समितियों को नव–निर्मित राज्य उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड को 75 लाख रुपए प्रति राज्य की दर से तथा 12 राज्यों के 53 नव–निर्मित जिला फोरमों को 15 लाख रुपए प्रत्येक की दर से आबंटित की गई है, जिससे मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जा सकेगा।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 2000 में सोने के गहनों की हालमार्किंग का काम शुरू किया तथा 31 मार्च, 2005 तक हालमार्किंग के लिए 24 ऐसे केन्द्रों को चिन्हित किया गया और 935 से ज्यादा ज्वेलरों को इसके तहत लाइसेंस दिया गया।

इस विभाग के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। अब मानक वजन तथा माप (संशोधन) विधेयक 2005 को संसद में पेश किया जायेगा जिससे मानक वजन तथा माप धारा, 1976 में संशोधन किया जा सके। मानक वजन तथा माप (प्रवर्तन) संशोधन विधेयक, 2005 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गई है।

सभी जिन्सों में संजातों का 2002–03 में व्यापार 68276 करोड़ रुपए से बढ़कर 2003–04 में 1,30,214 करोड़ रुपए हो गया जो कि 2004–05 में 5,00,00 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत में जिन्स बाजार के उदारीकरण के बाद सभी कार्यरत एक्सचेजों को ऑनलाइन ट्रेडिंग, टाइम स्टांपिंग, ट्रेड गांरटी और निपटान प्रणाली एक तिहाई बोर्ड का स्वतंत्र प्रतिनिधित्व तथा बैंक–आफिस आटोमेशन और विभिन्न सुधारों को लागू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऑन लाइन ट्रेडिंग को छोड़कर शेष सभी सुधारों को इन एक्सचेंजों द्वारा लागू किया जा चुका है। व्यापार को बढ़ाने के लिए फारवर्ड बाजार आयोग (एफएमसी) एक्सचेजों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा है, ताकि बैंच मार्क लक्ष्य तय किए जा सकें।

खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण

साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप अत्यन्त गरीबों को अनाज वितरित करने वाली अन्त्योदय अन्न योजना के तहत और 50 लाख परिवारों को इसमें जोड़ा गया है। अन्त्योदय अन्न योजना में अब गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 2 करोड़ परिवारों को शामिल कर लिया गया है।

बेहतर गुणवत्ता वाले तथा स्थानीय जरूरत के अनुसार अनाज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को विकेन्द्रीकृत उगाही योजना के तहत खाद्यान्नों की उगाही के लिए प्रेरित किया गया है। अब तक 10 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू किया है। गैर–पारम्परिक राज्यों जैसे बिहार, असम, झारखंड, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में सबसे ज्यादा उगाही हुई तथा माल ढुलाई खर्चे में भी बचत हुई।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के कामकाज में स्थाई तथा उल्लेखनीय सुधार और सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की कार्यशैली का अध्ययन एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैकिन्से से कराने का प्रस्ताव है। अध्ययन दल की अंतरिम रिपोर्ट मिल गई है तथा यह सरकार के पास विचाराधीन है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) को भारतीय खाद्य निगम में लागू कर दिया है, जो कि 8777 कर्मचारियों द्वारा स्वीकार कर लिए गया है और अब भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों की संख्या घटकर 11665 हो गई है। आर्थिक संस्थानों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण की लागत में भी कमी लाई गई है और इसके लिए 10.85 प्रतिशत की बजाय 98.15 प्रतिशत की दर पर वित्त की व्यवस्था की गई है।

भारतीय खाद्य निगम का 4,023 करोड़ रुपए मूल्य का बांड 7.14 प्रतिशत औसत की दर से बाजार में उतारा गया है। इन बृहत नीतिगत उपायों के कारण 2004–05 में खाद्य सब्सिडी 25.774 करोड़ रुपए रह गई जबकि इसके 30,579 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। एक उच्च समिति ने जुलाई 2004 में सरकार को जो दीर्घकालिक खाद्यान्न नीति पेश की थी उसमें यह अनुमान लगाया गया था। खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि तथा अन्य खर्चों में बढ़ोतरी के बावजूद

यह कमी आई है। गोदाम प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए विभाग बल्क हैंडलिंग भंडारण तथा यातायात पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने पर विचार कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग क्षेत्र के जरिए बदलाव लाने के लिए मोलभाव गोदाम रसीद प्रणाली को लागू करने हेतु एक कार्य योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

चीनी विभाग ने खुले बिक्री कोटे से और ज्यादा चीनी बाजार में जारी की है ताकि खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में उतार–चढ़ाव पर काबू रखा जा सके। चीनी मिलों को 408.6 करोड़ रुपए की बफर चीनी सब्सिडी गन्ने की ढुलाई के लिए 29 अप्रैल 2005 तक दी जा चुकी है। इसके अलावा चीनी के निर्यात पर माल ढुलाई खर्च तथा आंतरिक यातायात खर्च के लिए 78.08 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

चीनी मिलों के ऋणों को कम करने के लिए ब्याज की दर घटा कर 6.9 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दी गई है। विभाग ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य 2004–05 में निश्चित करते हुए 74.5 रुपए प्रति क्विन्टल कर दिया है जो कि 2003–04 के न्यूनतम मूल्य की तुलना में 1.5 करोड़ रुपये अधिक है। जहां तक गन्ने के बकाया राशि के भुगतान का सवाल है, पिछले तीन वर्षों की बकाया राशि 4,528.99 करोड़ रुपए के स्थान पर 3,695.7 करोड़ रुपए का भुगतान 28 फरवरी 2005 तक कर दिया गया है। इस वर्ष 2004–05 तक 9098.49 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान किया जाना है जिसमें 8,177.2 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अतः पिछले एक वर्ष में 11,872.9 करोड़ रुपए बकाया राशि के रूप में दिए जा चुके हैं। अब 1,754.57 करोड़ रुपए देना शेष है। प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो इस वर्ष 28 फरवरी 2005 तक गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान 10.12 प्रतिशत है, जबकि चीनी वर्ष 2001–02 से वर्ष 2003–04 तक यह 18.4 प्रतिशत था।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के 2 फरवरी, 2006 को औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी मौजूद थे। कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले को चुना गया है। प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ के साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पहले चरण में 2 फरवरी, 2006 से चुने गए जिलों में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही इन जिलों के परिवारों के रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों को स्थानीय ग्राम पंचायतों में पंजीकृत कराने का अधिकार प्राप्त हो गया। यह एक ऐतिहासिक तारीख है जब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस अधिनियम के तहत रोजगार पाने का कानूनी हक प्राप्त हो गया।

देश की ग्रामीण समुदाय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

देश के ग्रामीण लोगों को जीवन–यापन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को कानूनी रूप दिया गया था। इसके तहत एक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। अधिनियम 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराने तथा विकास और समानता दोनों के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है।

ग्राम पंचायतें यथोचित सत्यापन के पश्चात परिवारों को रोजगार के लिए पंजीकृत करेंगी और पंजीकृत परिवारों को रोजगार कार्ड जारी करेंगी। यह कार्य एक कानूनी दस्तावेज होगा और इसके जरिए पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के तहत रोजगार की मांग कर सकेगा और मांग के 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त करने का हकदार होगा।

यह अधिनियम पहले के सभी और मौजूदा मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के बिल्कुल हटकर है क्योंकि यह केवल स्कीम नहीं बल्कि एक कानून है। इसमें रोजगार प्राप्त करने का कानूनी प्रावधान है।

महत्वपूर्ण जलाशयों की जल संचयन क्षमता

केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) देश भर के 76 महत्वपूर्ण जलाशयों में मौजूद पानी की निगरानी कर रहा है। इनमें से 31 जलाशयों में 60 मेगावाट पन बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता है।

मानसून के शुरूआत में अर्थात पहली जून, 2005 तक इन सभी जलाशयों में इनकी क्षमता का 13 प्रतिशत तक जल मौजूद था जबकि 23 दिसंबर, 2005 तक इन जलाशयों में इनकी क्षमता का 69 प्रतिशत तक जल संचित था। इन जलाशयों में मौजूदा संचित जल पिछले वर्ष की तुलना में 141 प्रतिशत अधिक और पिछले 10 वर्षों के औसत से 124 प्रतिशत अधिक है। इन 76 जलाशयों में से 11 जलाशयों में इस वर्ष संचित जल पिछले 10 वर्षों के औसत संचयन से 80 प्रतिशत या उससे कम है। उपलब्ध पानी से अधिकाधिक फायदा उठाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग, कृषि तथा सहकारी विभाग से लगातार संपर्क में रहता है तथा फसल मौसम निगरानी दल को साप्ताहिक जल संचयन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराता रहता है ताकि फसलों के लिए तदनुसार उचित कार्यनीति बनाई जा सके।

23 दिसंबर, 2005 तक नदी थालों में जल संचयन इस प्रकार है–

सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, कच्छ की नदियां, गोदावरी, कृष्णा, महानदी तथा उसकी पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां, कावेरी और उसकी पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां तथा दक्षिण की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के थालों में पिछले 10 वर्षों के औसत से बेहतर रहा।

पिछले 10 वर्षों के औसत से 80 प्रतिशत या अधिक जल संचयन किसी भी थाले में नहीं रहा।

पिछले 10 वर्षों के औसत से 80 प्रतिशत या उससे कम पानी गंगा नदी के थाले में रहा।

बिजली निर्माण की क्षमता रखने वाले 31 जलाशयों में से 6 जलाशयों में जल संचयन पिछले 10 वर्षों की क्षमता के औसत से कम रहा।

आयकर के नये आयाम

के. सी. वर्मा

आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, जो किसी व्यक्ति की गत वर्ष की प्राप्त या अर्जित की गई आय पर चालू वर्ष में प्रचलित आयकर की दरों से आगणित किया जाता है। इससे जहां एक ओर सरकार को सार्वजनिक कल्याण पर व्यय करने हेतु आय प्राप्त होती है वहीं दूसरी ओर समाजवादी समाज की संविधान की संकल्पना का सपना भी साकार होता है।

भारत में प्रथम बार यह सन् 1860 में सन् 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण हुई हानियों की पूर्ति करने के लिए 'सर जेम्स विलसन' द्वारा लगाया गया था। सन् 1860 का आयकर अधिनियम ब्रिटिश आयकर अधिनियम पर आधारित था, जिसमें कृषि आय पर भी कर लगाने का प्रावधान था। पच्चीस वर्ष बाद 1886 में आयकर को सरकार की आय का एक प्रमुख स्रोत मानकर इसे स्थायी रूप देने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम–1886 पारित किया गया जिसमें 'कृषि आय' को कर से मुक्त कर दिया गया तथा सभी प्रकार की आय आयकर के लिए कर योग्य मानी गईं। सन् 1917 तक चलने वाले इस अधिनियम में आय श्रेणीयन तथा 50,000 रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं पर अधिकर (सुपर टैक्स) लगाने की व्यवस्था थी।

आकस्मिक प्राप्तियों पर भी कर लगाने तथा 'अधिकर' को स्थायी बनाने के लिए आयकर अधिनियम 1918 पारित किया गया। किंतु सन् 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आय को केंद्रीय सरकार का विषय माना गया, अतः एक नया आयकर अधिनियम–1922, पास किया गया जिसमें 'गत वर्ष' की आय पर चालू वर्ष में कर निर्धारण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तथा आय श्रेणीयन के स्थान पर खंड प्रणाली लागू की गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारत सरकार को हुए गंभीर वित्तीय संकट से उबारने के लिए कर की दरों में अत्यधिक वृद्धि की गईं, जिससे कर ढांचा चरमरा गया। अनेक संशोधनों के कारण यह अधिनियम भी 1960 तक अव्यावहारिक हो गया था, फलस्वरूप आयकर अधिनियम 1961 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत पर लागू है। इस अधिनियम में 298 धाराएं, 23 अध्याय एवं 12 अनुसूचियां हैं।

अनेक संशोधनों एवं परिवर्तनों के कारण वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 को अनेक विधि विशेषज्ञों तथा लेखापालकों ने विश्व का जटिलतम अधिनियम तथा कर ढांचे को 'विश्व का जटिलतम कर ढांचा' कहा है। भारत सरकार भी इस बात को अनुभव करती है, इसलिए उसने अनेक समितियों–चौकसी समिति, चेलैया समिति, केलकर समिति तथा अनेक विशेषज्ञ समूहों का समय–समय पर गठन किया तथा उनकी सिफारिशों पर सरलीकरण की अनेक योजनाएं लागू भी की गयीं। परिणामस्वरूप वर्तमान समय के आयकर कानूनों की यदि पिछले दो दशक के कानूनों से तुलना की जाय तो अनेक ऐसे प्रावधान लाये गये हैं जिन्हें आम आदमी आसानी से समझ कर स्वयं अपने कर दायित्व का निर्धारण कर सकता है।

• अब प्रत्येक करदाता एवं उसके प्रत्येक आय के स्रोत के लिए 'गत वर्ष' में एकरूपता लायी गयी है। कर निर्धारण वर्ष 1989–90 से पूर्व एक ही करदाता के आय के अलग–अलग स्रोतों हेतु अलग–अलग गत वर्ष हुआ करता था, यथा – दीवाली वर्ष, कलेंडर वर्ष, दशहरा वर्ष,

वित्तीय वर्ष; परिणामस्वरूप अवधि के अनुसार आय विवरण रखने एवं उन्हें प्रस्तुत करने की असुविधा को समाप्त किया गया। अब सभी आय विवरणों को वित्तीय वर्ष के आधार पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

• मकान किराया भत्ता कर मुक्तता के निर्धारण में 10 बड़े नगरों के अतिरिक्त 27 शहरों को विशेष दर्जा प्राप्त था जिसमें वाराणसी, इलाहाबाद, जबलपुर, हैदाराबाद जैसे शहर थे। अब केवल चार महानगरों को विशेष दर्जा प्राप्त है शेष सभी स्थानों के लिए एक प्रकार का नियम लागू होता है।

• वेतन शीर्षक के अन्तर्गत मनोरंजन भत्ते निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए करमुक्तता के प्रावधान को समाप्त कर के जटिलता को कम किया गया। इस कटौती को स्वीकार करने में कई शर्तें एवं प्रतिबंध लागू होते थे। इसी प्रकार अनुलाभों – जैसे गैस, बिजली, पानी तथा घरेलू नौकरों की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए अब केवल नियोक्ता के द्वारा इन मुद्दों पर किए गए वास्तविक भुगतान को आधार बनाया जाता है, न कि कर्मचारी के वेतन तथा उनकी विभिन्न मदों के लिए अलग–अलग प्रतिशत को। अब धारा 16 (i) 'मानक कटौती' संबंधी प्रावधान को समाप्त कर महिला, पुरुष कर्मियों के विभेद तथा विभिन्न प्रतिशत एवं अधिकतम सीमा जैसी गणनात्मक जटिलता से मुक्ति मिल गयी है। वर्तमान समय में इस कटौती का समायोजन करके कर योग्य आय की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये तक कर दिया गया है।

• मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना की विधि अब एक जैसी होगी, चाहे वे रिहायशी उद्देश्य के लिए किराए पर उठे हों या व्यावसायिक अब वार्षिक मूल्य का निर्धारण भी सरल हो गया है। गत वर्ष से पूर्व इस शीर्षक में धारा 24 के अंतर्गत नौ प्रकार की कटौतियां – (मरम्मत पर व्यय, बीमा प्रीमियम, वार्षिक भार, भूमि का किराया, ऋण का ब्याज, भूमि का लगान, किराया वसूली के व्यय, मकान खाली रहने की छूट तथा अप्राप्त किराया) घटायी जाती थीं, परंतु अब इस धारा के अंतर्गत केवल दो कटौती (मानक कटौती–वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत तथा गृह–ऋण ब्याज) ही घटायी जाती हैं, फलतः संपत्ति से आय की गणना आसानी से की जा सकती है।

• व्यवसाय एवं पेशे से आय की गणना में विगत वर्षों में धारा 32 के

अर्न्तगत ह्रास की दरों का समूहीकरण किया गया है। अमूर्त संपत्तियों को जहां अलग–अलग दर से अपलिखित करने के प्रावधान थे वहां अब सामान्य रूप में 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ह्रास घटाया जाता है। अब प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकें अपनाने, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने, शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने तथा संस्थाओं के आधुनिकीकरण हेतु आकर्षक छूटें प्रदान की जा रही हैं। पिछले वर्षों में दीर्घकालीन पूंजी–लाभ को करदाता की कुल आय से निकालकर इस राशि पर 20 प्रतिशत की दर से आयकर लगाने का प्रावधान किया गया है। पहले दीर्घ कालीन पूंजी लाभों पर धारा 48 (2) के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली कटौती एक जटिल कार्य हुआ करता था। इसके साथ ही धारा 80 (टी) के अधीन अलग–अलग पूंजी संपत्ति के रखने की अवधि के आधार पर लाभ का निर्धारण भी एक जटिल कार्य था। अब इन सम्पतियों पर ह्रास की गणना के लिए ब्लॉक या समूह पद्धति को अपनाया जाता है। अब दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों पर कर की एक ही दर लागू होती है।

● इसी क्रम में आय के छः शीर्षकों को घटाकर कर निर्धारण वर्ष 1989–90 से समस्त आयों को पांच शीर्षकों में रखा जाता है। वर्तमान समय में घरेलू कंपनियों का लाभांश गणना से मुक्त है। 'प्रतिभूति के ब्याज' का अलग शीर्षक समाप्त कर उसे आय के अन्य स्रोतों में शामिल कर लिया गया है।

● अधिनियम की धारा 88, 88–बी, 88–सी, 88–ई, 88–ए, 80–ए, 80–बी, 80–सी सी तथा 80–सी सी सी इत्यादि को समाप्त कर धारा 80–सी में मिला दिया गया है, और इसकी अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये कर दी गई है; जो सीधे आय से घटाने योग्य होती है। पहले धारा 88 के अंतर्गत किए जाने वाले निवेश पर अलग–अलग करदाताओं के लिए 20 या 15 प्रतिशत की कटौती की गणना करनी पड़ती थी।

● इसी प्रकार कुल आय की गणना भी बेहद आसान कर दी गयी है। जहां पहले व्यक्ति, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समिति, फर्म, कंपनी आदि के लिए अलग–अलग दरें लागू थीं और केवल व्यक्ति करदाता हेतु आय के नौ प्रखंड बनाकर 20 से 55 प्रतिशत तक की कर की दरें लागू थीं; वहीं अब सभी करदाताओं के लिए केवल तीन दरें 10, 20 एवं 30 प्रतिशत लागू होती हैं। अस्तु कर की न्यूनतम और उच्चतम दरों को घटाकर 20 से 10 और 55 से 30 प्रतिशत कर दिया गया है। अब कोई भी करदाता अपनी आय की गणना करके कर दायित्व का स्वयं निर्धारण कर सकता है। निश्चय ही सरकार ने विभिन्न समितियों के कर–सरलीकरण संबंधी सुझावों का पालन कर ईमानदार करदाताओं का उपकार किया है किंतु अभी सरलीकरण के क्रम में निम्न कदम उठाये जाने की अपेक्षा है :–

● करदाताओं की निवासीय स्थिति का निर्धारण करने में विदेशी पर्यटकों को छोड़कर सभी व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त शर्तें हटा दी जाएं क्योंकि पिछले 10 वर्ष की भारत में निवासीय अवधि की गणना अव्यावहारिक प्रतीत होती है।

● वेतन की गणना में ग्रेच्युटी, छंटनी की क्षतिपूर्ति, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, मकान किराया भत्ता, मकान अनुलाभ आदि के कर योग्य भाग का निर्धारण करने में वेतन की एक समान परिभाषा दी जाय। अभी तक इन मदों के निर्धारण में वेतन का आशय अलग–अलग होता है जिसके कारण गणन क्रिया जटिल हो जाती है। ग्रेच्युटी, पेंशन, अवकाश नकदीकरण आदि अनेक मदों के लिए सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं गैर–सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग–अलग तरह के प्रावधान होने से वेतन निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न होती है। यथा संभव प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक जैसे प्रावधान जटिलता को कम कर सकते हैं।

● पेंशन फंड तथा सभी प्रकार के प्रॉवीडेंट फंडों में अनिवार्य रूप से किए जाने वाले अंशदानों की राशि सकल कुल आय की गणना से पहले ही घटाने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की कटौतियां हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य होती हैं।

● संपूर्ण या आंशिक मकान सम्पत्ति का गत वर्ष की कुछ अवधि में स्वामी द्वारा प्रयोग तथा शेष अवधि के लिए किराये पर उठे होने की दशा में "वार्षिक मूल्य" के निर्धारण नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए।

● कर मुक्त पूंजी लाभ के पुनर्विनियोजन से संबंधित धारा–54, 54बी, 54डी, 54–ई सी, 54–एफ तथा 54–सी के अलग–अलग प्रावधानों के स्थान पर किसी भी पूंजी लाभ का किसी भी पूंजीगत सम्पत्ति में विनियोजन करने पर छूट का प्रावधान बनाकर विभिन्न उपधाराओं को समाप्त कर देना चाहिए।

● सरकार को स्रोतों पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) की परिधि को और अधिक बढ़ाना चाहिए तथा हर प्रकार के पारिश्रमिक, प्रोत्साहन, पुरस्कार आदि को इसके अन्तर्गत लाना चाहिए, जिससे कर वंचना की प्रवृत्ति पर अपने आप रोक लग जायेगी तथा राजस्व में भी वृद्धि होगी।

वर्तमान इलेक्ट्रानिक लेन–देन के युग में यद्यपि एक नये आयकर अधिनियम की आवश्यकता है, परंतु अल्पकाल में उपरोक्त परिवर्तन, आयकर अधिनियम–1961 को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक हो सकते हैं। ❂

(लेखक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा–सोनभद्र से संबद्ध हैं)

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग

सरकार ने बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का निर्णय लिया है। बाद में, राज्यों को भी बच्चों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए ऐसे ही राष्ट्रीय आयोग बनाने की अनुमति दी जाएगी।

यह आयोग बच्चों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों से संबंधित मामलों का अध्ययन और जांच पड़ताल करेगा। आयोग कानून द्वारा बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों की समीक्षा करेगा और बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा। यह आयोग बाल सुरक्षा के वर्तमान कानूनों का पुर्नमूल्यांकन कर अगर जरूरी हो तो इसमें संशोधन का प्रस्ताव भी करेगा। यह आयोग बच्चों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की शिकायतों पर कार्यवाही के अलावा ऐसे मामलों में स्वतः भी नोटिस ले सकता है। यह आयोग बाल अधिकार कानून के कार्यान्वन और बच्चों के विकास, कल्याण और उत्तरजीविता संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी भी करेगा।

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित महिला शिल्पी

राजीव मेहरोत्रा

भारत में हस्तशिल्प तथा हथकरघा की परम्परा सदियों पुरानी रही है। वास्तव में भारत की प्राचीनतम सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता में भी इसका उल्लेख है। पाषाण युग में ही भारतीयों ने हस्तशिल्प के प्रयोग से वस्तुएं बनाना शुरु कर दिया था। इसके बारे में महाकाव्यों, वैदिक साहित्य, पुराण, भारतीय इतिहास के ग्रीक–रोमन स्रोतों, तथा क्लासिकल तमिल संगम साहित्य में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा से बनी वस्तुएं इतनी आर्कषक होती थी कि ईसा पूर्व दूसरी सदी से ही उनका विदेशी व्यापार किया जाने लगा था। मिस्र तथा चीन ऐसे देश हैं जहां भारतीय हस्तशिल्प से बनी प्राचीनतम भारतीय वस्तुओं के निर्यात के स्पष्ट प्रमाण अभी भी मौजूद हैं। यह सिलसिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक निर्बाध चलता रहा तथा कंपनी ने इस व्यापार में अधिक रूचि लेकर भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघे से बनी वस्तुओं को विश्व के अनेक

(श्रीमती मंमागलम्बस राधामणि देवी महामहिम राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए)

देशों में निर्यात करना शुरू कर दिया। यह परम्परा स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। इस कारण से कृषि के बाद हस्तशिल्प तथा हथकरघा क्षेत्र सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र बना हुआ है। इसके बावजूद विश्व बाजार में भारतीय हिस्सा अभी भी बहुत कम है। भारत सरकार हस्तशिल्प तथा हथकरघा के कलाकारों तथा कारीगरों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए वैयक्तिक तथा ग्रुप स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। उनके लिए तरह–तरह की प्रोत्साहन स्कीमें चला रही है। भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत गठित विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय एवं विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय संयुक्त रूप से सिद्धहस्त बुनकरों एवं सिद्धहस्त शिल्पियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की एक योजना वर्ष 1965 से कार्यान्वित कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिद्धहस्त बुनकरों एवं सिद्धहस्त शिल्पियों को उनकी बुनाई एवं शिल्पकारिता में उनकी उत्कृष्टता के लिए भारतीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प में उनके अमूल्य योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार में 50,000/– रूपये नकद, एक ताम्रपत्र, एक अंगवस्त्रम व एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष 2004 के लिए भी 32 सिद्धहस्त बुनकरों एवं शिल्पियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें पांच महिला सिद्धहस्त शिल्पी तथा बुनकर भी शामिल थीं। इनमें से दो महिला शिल्पियों की कलाकृतियों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

इंफाल, मणिपुर की निवासी 50 वर्षीय श्रीमती मंमागलम्बस राधामणि देवी को हाथ से कशीदाकारी में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2004 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 'पंथित फनेक' परिधान के लिए दिया गया है। इस परिधान का ऐतिहासिक महत्व है कि यह मणिपुरी टेक्सटाइल विरासत का पवित्र परिधान है तथा इसे राजघराने की उसी ज्येष्ठ राजकुमारी के लिए आरक्षित रखा जाता था। जिसे "तमफासना" की मानक उपाधि से नवाजा गया था।

(राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती मंमागलम्बस राधामणि देवी का परिधान 'पंथित फनेक')

इस परिधान को मैतई ब्रह्मांडिकी से संबंधित उच्चतम सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का माना गया है। यह एक ऐसा परिधान था जो राज्य की प्राचीन गौरवशाली परम्पराओं तथा आधुनिक कौशल का नायाब नमूना था।

625 ग्राम के इस मूल पुरस्कृत परिधान की कुल लंबाई 67 इंच तथा चौड़ाई 44 इंच है।

सर्वप्रथम कंप्यूटर में इस परिधान का डिजाइन तैयार किया गया। एक प्रोफेशनल बुनकर की सहायता लेकर केवल सिल्क का प्रयोग करते हुए एक माह तक देशीय विधि से बुनाई का कार्य किया। फिर बार्डर पर नीडल से शहतूती सिल्क से कढ़ाई का कार्य किया। यह बहुत ही जटिल कार्य था। इसे पूरा करने में पांच माह से अधिक का समय लगा तथा कुल 35 हजार रूपए का खर्चा आया।

श्रीमती सुशीला देवी को मैसूर परम्परागत चित्रकला (हस्तशिल्प) में वर्ष 2004 के राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

(सुश्री सुशीला देवी महामहिम राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए)

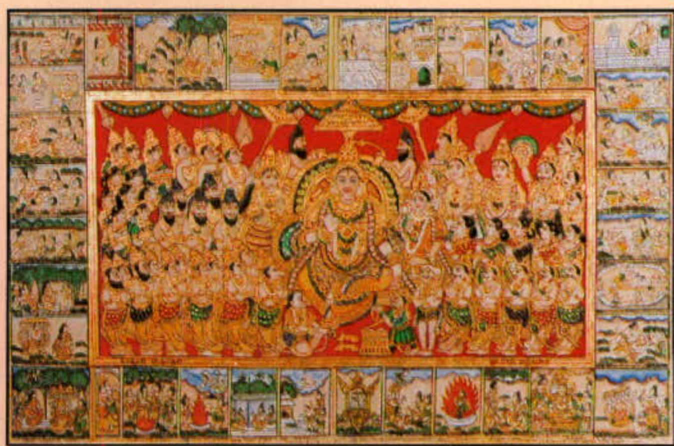

(राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सुश्री सुशीला देवी की पेंटिग 'संपूर्ण रामायण')

श्रीमती सुशीला देवी को यह पुरस्कार उनकी 'संपूर्ण रामायण' शीर्षक से बनायी गयी पेंटिग पर दिया गया है। मैसूर परम्परागत कला में यह सम्पूर्ण रामायण निचले बांये कोने से शुरु होते हुए दक्षिणावर्त की तरफ बढ़ते हुए पंक्तियों में व्यवस्थित अधिक से अधिक 104 लघुचित्रों में राम कथा दर्शाती है। चित्रकला का मध्य राम पट्टाभिषेक को दर्शाता है।

यह मूल रूप में 14 इंच चौड़ी तथा 60 इंच लंबी पेंटिग है। इसे बनाने में पांच महीने लगे।

यह पहला अवसर नहीं है जब श्रीमती सुशीला देवी को पुरस्कार से नवाजा गया हो। गत दो दशकों से भी अधिक समय से पुरस्कार उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गये हैं। इसके पीछे कला से संबंद्ध उनका परिवार तथा स्वयं जीवनभर पूर्ण रूप से कला में उनके डूबे रहना है।

बंगलौर, मैसूर, भोपाल, नई दिल्ली आदि में उनकी बहुत सी प्रदर्शनियां लग चुकी है। वर्ष 1991, 1994 तथा 1996 में मैसूर में आयोजित 'दशहरा महोत्सव' में उनके कार्य को मान्यता देते हुए राज्य सरकार द्वारा विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तथा वर्ष 1995 में बंगलौर में उनकी पेंटिग 'समुद्र मंथन' को 'अखिल भारतीय पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। उन्होंने टेक्सटाइल कॉलेज कला में कर्नाटक के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की चित्ररूपी एक सीरीज तैयार की। इंग्लैंड के मानचेस्टर शहर में वर्ष 1998 में आयोजित 'विश्व कन्नड़ सम्मेलन' में उनके कार्य को 'मैसूर दशहरा प्रोसेशन' के रूप में विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया।

वह वर्ष 1994 से बंगलौर में चित्रकला परिषद में परम्परागत चित्रकारी का प्रशिक्षण दे रही है तथा साथ ही कई बड़ी प्रतियोगिताओं में ज्यूरी का सदस्य बनने का सम्मान भी पाती रही है। अब उनका सपना नयी पीढ़ी के कलाकारों को अपने कार्य से प्रेरणा प्रदान कर राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है।

(लेखक केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में अनुवाद तथा प्रशिक्षण अधिकारी हैं)

स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के लिए विकेंद्रीकृत सहभागितापूर्ण प्रबंध व्यवस्था

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा है कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता सुनिश्चित करने की समस्या से केवल विकेंद्रीकृत सहभागितापूर्ण प्रबंध व्यवस्था से ही निपटा जा सकता है। उन्होंने आज यहां राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभागों के मंत्रियों के दो–दिवसीय सम्मेलन का उदघाटन करते हुए यह बात कही।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जलापूर्ति और स्वच्छता की समस्या से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। ये दोनों मुद्दे पर्यावरण प्रबंध और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकार के इससे जुड़े सहायक कार्यक्रम पर्याप्त रूप से लचीले हों। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि इन मुद्दों को केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के रूप में न लें बल्कि पंचायतों, शिक्षा संस्थाओं और महिला सशक्तिकरण अभियानों के लिए चुनौती के रूप में लें।

सम्मेलन में ग्रामीण विकास मंत्री, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्यों को भारत निर्माण के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करने चाहिए, ताकि सभी ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेयजल तथा साफ–सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।

सम्मेलन में विचार–विमर्श के दौरान भारत निर्माण के प्रमुख घटकों, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी), स्व–जलधारा और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता के लिए निर्मित सामुदायिक प्रबंध व्यवस्था पर भी विचार–विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्यों के इन क्षेत्रों के मंत्रियों के साथ मिल–बैठकर ग्रामीण जलापूर्ति और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना है, ताकि भारत निर्माण कार्य योजना के तहत इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भावी योजना तैयार की जा सके।

महाराष्ट्र का "अपना घर" और सूरजकुंड मेला

जिल्ले रहमान

घास के छप्पर चारपाई और चौपाल, ऊंचे नीचे मिटट्री के टीले पहली बार देखने पर किसी गांव का आभास होता है, लेकिन हम यहां भारत के किसी गांव का जिक्र नहीं कर रहे हैं बल्कि हर साल लगने वाले सूरजकुंड मेले का जिक्र कर रहे हैं। फरवरी माह में लगने वाला हस्त शिल्प मेला अपनी देशी विशिष्टता के चलते मन मोह लेता है। यहां आने वालों में देशी ही नहीं विदेशी सैलानी को तादाद खासी होती है। हस्तशिल्प और लोक कलाओं को प्रोत्साहित करने के मामले में सूरजकुंड मेला विश्व विख्यात मेलों में पांचवा स्थान रखता है।

में 1–15 2006 फरवरी तक चलने वाला 20वां सूरजकुंड मेला भी अपनी अनोखी छटा के लिए अरसे तक याद किया जायेगा। हर साल मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला आथॉरिटी, केंद्रीय पर्यटन विभाग और हरियाणा पर्यटन विभाग के साथ मिलकर करती है। हर साल मेले की थीम किसी न किसी राज्य के ग्रामीण स्वरूप पर आधारित होती है और इस बार की थीम है महाराष्ट्र। देश भर के हस्तशिल्प कारीगरों की अनमोल कला और हुनर को जनता तक पहुंचाने का साधन बन गया है सूरजकुंड मेला।

इस मेले में महाराष्ट्र के शिल्प, संस्कृति और लोक कलाओं की झलक देखने को मिली। पर्यटकों को मेले में लघु महाराष्ट्र की झलक दिखाई दी। इस मेले में दर्शक एलीफैंटा गुफाओं की विश्व प्रसिद्ध त्रिमूर्ति के दर्शन कर सकते हैं।

महाराष्ट्र की संस्कृति में रंगने के लिए जहां महाराष्ट्र के हस्तशिल्प और ग्रामीण परिवेश को प्रमुखता दी गई। वही लोकनृत्य और संगीत को भी खासा महत्व दिया गया। इसके लिए महाराष्ट्र की शिल्प कला के प्रदर्शन के लिए करीब सवा तीन सौ स्टाल लगाए गए। जिनमें महाराष्ट्र के हस्तशिल्प के कारीगरी के दर्शन हुए। मेले को महाराष्ट्र के रंग में रंगने के लिए प्राचीन एलीफैन्टा की गुफाओं से त्रिमूर्ति की प्रतिकृति बनाई गई।

महाराष्ट्र की जिन कलाओं की मेले में प्रमुख रूप से झलक देखने को मिली उनमें वरलीकला, सवंतवाड़ी का हस्तशिल्प, पैथानी साड़ियां, कोल्हापुरी चप्पलें खास रहीं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र का अपना अलग अंदाज है। लावणी और कोली नृत्य अपनी अलग छटा बिखेरता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे महाराष्ट्र को गणपति बप्पा मोरिया की गूंज से गुंजा देता है। खान पान में पाव भाजी, पूरन पोली और भेलपूरी महाराष्ट्र की खासियत रही हैं।

हस्तशिल्प में हाथों का हुनर बखूबी पूरे मेले की हर स्टाल पर बदस्तूर नजर आ रहा था। ऐसा लगा जैसे पूरे हिन्दुस्तान की कौशल के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। बात चाहे कढ़ाई–बुनाई, जरदोजी लकड़ी और धातु पर नक्काशी की हो या फिर चित्रकारी, कलमकारी ब्लॉक पेंटिग, बिदरी कामगारी चमड़े का काम, मधुबनी पेंटिंग,

सीतलपट्टी, ढोकरा, टेराकोटा, रोगन पेंटिंग, स्टोनवर्क संदल की लकड़ी का काम, नारियल और जूट की ज्वैलरी, लकड़ी और कपड़े पर तारकशी, पुलवारी, थोका पेंटिंग, तंजोर पेंटिंग या म्युजिकल इंस्ट्रूमेंट, मिनिएचर पेंटिंग, जैसी अनेक हस्तशिल्प कलाएं यहां रंग बिखेरती नजर आई। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इस मेले की शोभा में चार चांद लगा रहा था।

भारतीय लोकनृत्य के साथ–साथ पर्यटकों ने इस बार मेले में विदेशी नृत्य का भी लुत्फ उठाया। इस बार मेले में सार्क देशों के शिल्पियों को भी शामिल किया गया। श्रीलंका, पाकिस्तान, मालद्वीव भूटान और नेपाल से भी लोक कलाकारों और शिल्पियों के आने से तरह–तरह की कलाओं से रूबरू होने का मौका मिला। साथ ही साथ महाराष्ट्र से आए करीब 250 सांस्कृतिक कलाकारों ने समा बांधा और महाराष्ट्र की रूपसियों ने फैशन शो के दौरान रैंप पर जलवे बिखेरे तो दूसरी तरफ कालबेलियां नृत्य और कोली नृत्य देशी–विदेशी पर्यटकों को खूब भाया। यूं तो इस तरह के नृत्य का आनन्द लोग फिल्मों में बखूबी देख चुके हैं मगर साक्षात दर्शन पहली बार हुए।

इसके आलावा इस मेले में 'अपना घर' भी मुख्य आकर्षण रहा। दरअसल मेले में यही एक जगह थी जिसे देखे बगैर थीम स्टेट महाराष्ट्र की भली प्रकार से जानकारी नहीं हो सकती थी यानी सूरजकुंड मेले में 'अपना घर' नहीं देखे तो थीम स्टेट के बारे में आप को ठीक जानकारी नहीं मिल पाती। वास्तव में थीम स्टेट का निचोड़ ही अपना घर में देखने को मिला। इस थीम स्टेट में एक परिवार रखा गया था जिसके माध्यम से उसका रहन–सहन, खान–पान और वेशभूषा की जानकारी मिल रही थी। इसीलिये

इस मेले में अपना घर की व्यवस्था की गई। इस बार 'अपना घर' में मुंबई के विले पारले नामक स्थान का परिवार रहा। इसमें विभावरी मावे, प्रतिभा गजानन महात्रे, कैलाश महात्रे और भाग्यश्री महात्रे थे। यह परिवार महाराष्ट्र के शुद्ध खान–पान और रहन–सहन को मेले में दर्शाया। वरली पेंटिंग से सजे अपना घर में घुसते ही गांव की तरह पीतल के बर्तन देखने को मिले। खाना बनाने का इंतजाम जमीन पर किया गया। और जमीन पर ही बैठ कर खाने का भी प्रबंध था। मेले के पहले दिन यहां पर लगभग 70 लोगों ने महाराष्ट्र के व्यंजन चखे। इस परिवार ने पूरे 15 दिनों तक अपने घर में रहते हुए महाराष्ट्र के अलग–अलग व्यंजन बनाए। वेशभूषा भी महाराष्ट्र की थी ताकि लोगों को महाराष्ट्र के एक आम परिवार की जानकारी मिले। मेले के पहले दिन पूरन पोली, मोदक चाउली की सब्जी बैंगन व आलू की सब्जी, चपाती दाल, शीरा (हलवा) पापड़ व हरी मिर्च खाने में शामिल थी। महाराष्ट्र का मशहूर व्यंजन बटाटा वड़ा और पाव भाजी भी बनाई गयी। ऐसा और किसी मेले में नहीं देखा गया कि कोई एक परिवार पूरे प्रदेश के रहन–सहन, खान–पान को प्रदर्शित करे। साझी रसोई यानी परंपरागत स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ देने के लिए बने छप्पर वाले स्टाल। सरसों का साग, मक्के की रोटी और स्वादिष्ट पूरन पोली। इडली और ढोकला का स्वाद पाओ चाहे चिवड़ा–चना खाओ। हर राज्य के परंपरागत व्यंजनों को पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए यहां पर्यटन विभाग द्वारा स्टाल लगवाए गए थे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा जब मेला घूमने आयीं तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चे पश्चिमी संस्कृति की तरफ आकर्षित होने की जगह भारतीय संस्कृति को अपनाएं। भारतीय संस्कृति में अनमोल खजाने भरे हुए हैं जिसे देखने और पहचानने की जरूरत है। टीवी की वजह से नई पीढ़ी पर पश्चात्य संस्कृति का रंग चढ़ता जा रहा है, इससे बचने की जरूरत है। उन्होंने विभिन्न प्रदेशों से आए हुए कारीगरों एवं कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया। चौपाल पर कार्यक्रम देख कर कलाकारों की तारीफ की। उन्होंने कहा मेले में मानों सांस्कृतिक नदी बह रही हो। मेले के माध्यम से कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला है। सूरजकुंड मेले में महाराष्ट्र का गौरी चाकी नृत्य एवं पंजाबी गिद्धा भी देखा।

केन्द्रीय पर्यटन सचिव ए.के. मिश्रा ने सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के उद्घाटन अवसर पर स्वागत भाषण में मौजूद श्रीमती अम्बिका सोनी एवं रेणुका चौधरी, विलासराव देशमुख, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (मुख्यमंत्री) हरियाणा, किरण चौधरी, देश के विभिन्न भागों से आये हुए क्राफ्ट्समैन, आई.सी.सी.आर. के सौजन्य से आये हुए सार्क देशों के शिल्पी, आदरणीय रेणुका चौधरी के प्रयास से आए हुये अफगानिस्तान के दस्तकार एवं साथियों का 20वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में स्वागत किया। उन्होंने ने कहा कि हर साल केन्द्रीय पर्यटन, कपड़ा मंत्रालय एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा 1 से 15 फरवरी तक संयुक्त रूप से आयोजित किया जाने वाला सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन कलैण्डर में एक महत्वपूर्ण प्राप्त कर चुका है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

पंचायतों के सबलीकरण हेतु धनराशि

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजगार और केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुदान के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को राशि आवंटित की जाती है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा होता है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त जीविका के साधन उपलब्ध कराना है जैसे–टिकाऊ समुदाय के सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक आधारभूत संरचना के साथ–साथ भोजन की सुरक्षा भी है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वयन जिला, प्रखण्ड तथा ग्रामीण स्तर पर 20:30:50 के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा होता है।

केन्द्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के लिए बताये गए पूरक संसाधनों के आधार पर राज्यों की समेकित धनराशि के विकास के लिए अपनी सिफारिश करनी होती है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थानों के नाम वर्ष 2000–05 की अवधि के लिए 8000 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर राज्यों के उपयोग और फुलफिलमेंट संबंधी शर्तों को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान दिए जाते हैं। पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रारंभिक योजना के सृजन का प्रस्ताव पंचायती राज मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

चोखी धानी : राजस्थानी संस्कृति का खूबसूरत संसार

साजिया आफरीन

शहर और गांव को एक जगह महसूस करना चाहते हैं और वहां कुछ पल जीना चाहते हैं, तो राजस्थान के जयपुर के पास स्थित चोखी धानी आपकी पसंद की जगह साबित हो सकती है। इस गांव को 1989 में विकसित किया गया था। चोखी धानी अतुल्य, अद्वितीय और मानवीय प्रकृति में सात्विक विविधता प्रदान करता है और वह सब कुछ यहां मौजूद है, जो सहजता से हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता है। लोक कलाओं तथा प्राकृतिक सुंदरतायुक्त इस जगह पर स्वच्छता एवं सफाई तो है ही राज्य में ग्रामीण पर्यटन को आगे आने का संदेश भी देती है। चोखी धानी यानी राजस्थानी लोकगीत–संगीत का एक महत्वपूर्ण केन्द्र, यानी एक शहरी संस्कृति और मनोरंजन के संसार में कुछ यादगार पल बिताने की जगह और अगर आप यहां विशेष अवसर पर जाएं तो क्या कहना। गांव या छोटे शहर के विशेष मेले जैसा लुत्फ उठाने का आपके लिए एक खास अवसर होगा।

यूं तो यहां सालों पर सैलानियों का तांता लगा रहता है। मगर जनवरी–फरवरी माह की गुनगुनी सर्दी में सैलानी मौजमस्ती के ख्याल से आते हैं। यह सुंदर जगह दिल्ली–कोटा रूट पर दिल्ली से लगभग 280 किमी की दूरी पर स्थित है। गुलाबी शहर जयपुर से इसकी दूरी मात्र 18 किमी है, जो टैंक हाइवे पर है। इसे राजस्थान का जादुई गांव भी कहा जाता है। हवाई अड्डे से तो महज 6 किलोमीटर पर है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि यहां राजस्थानी संस्कृति से लेकर राजस्थानी व्यंजन के विशेष शौकीन हैं तो यह अवसर आपके लिए भी विशेष अवसर साबित हो सकता है। दिल्ली से बस से लगभग छह घंटे की दूरी तय कर यहां पहुंचा जा सकता है। इस जगह का प्राकृतिक सौंदर्य आपको इतना भाएगा कि आप इसके नाम का अर्थ जानने को मचल उठेंगे। आपको बताया जाएगा चोखी यानी सुंदर और धानी अर्थात छोटा गांव। यानी एक सुंदर–सा छोटा गांव।

चोखी धानी रिजॉर्ट्स के प्रबंधक बताते हैं कि यह गांव 18 एकड़ में फैला है जिसमें से आधा को चोखी धानी विलेज कहा जाता है और आधा को चोखी धानी रिजॉर्ट्स। विलेज में जहां राजस्थान और वहां की संस्कृति का छोटा रूप देखा जा सकता है, वहीं रिजॉर्ट्स में शहरी जीवन को महसूस किया जा सकता है। यहां की जिंदगी शाम 6.30 बजे से प्रारंभ होती है। यानी वहां शाम साढ़े छह बजे से रात के लगभग 12 बजे तक खासकर राजस्थानी लोक–नृत्य–संगीत के इस संसार में कुछ ऐसा पल बिताया जा सकता है जो जीवन का यादगार पल बन जाए।

इन दोनों छोटे लेकिन दिलचस्प संसार में प्रवेश के लिए अलग–अलग द्वार हैं और दोनों के अलग–अलग शुल्क हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर यहां विशेष तैयारियां की जाती हैं। बाहर से कलाकारों के ग्रुप आमंत्रित किए जाते हैं जो इस विशेष अवसर पर अपनी कला प्रदर्शन करते हैं। इसके लिए विलेज में प्रवेश के लिए शुल्क 600 रुपये है वहीं रिजॉर्ट्स में प्रवेश का शुल्क 1750 रुपये है। इस शुल्क में खाने–पीने का शुल्क भी शामिल है। अन्य दिनों में विलेज में प्रवेश के लिए आपको 210 रुपये देने पड़ेंगे जबकि रिजॉर्ट्स में 400 रुपये और टैक्स। यहां रहने की व्यवस्था भी है जिसके लिए www.chokhidhani.com पर लॉगिंग कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहां एक प्राइवेट मैनेजमेंट है जिस कारण राजस्थान टूरिज्म से ज्यादा जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। कुछ प्राइवेट एजेंसियां पैकेज टूर भी चला रही हैं। इसके लिए दो लोगों द्वारा शेयर किये जाने पर प्रति व्यक्ति लगभग 12 हजार रुपये लिये जाते हैं। चोखी धानी में 31 साधारण हट्स हैं साथ ही 34 प्रशासनिक हट्स भी यहां हैं। इसमें कॉटेज में ठहरने, हवाई अड्डे से लाने और वापस पहुंचाने, खाने–पीने आदि की व्यवस्था शामिल होती है। यह चार्ज और जगह की उपलब्धता टूर ऑपरेटर पर निर्भर करता है। यह जगह जयपुर के एम आई रोड से 18 किमी की दूरी पर टैंक रोड पर स्थित बारामील गांव का हिस्सा है। यहां के खास दर्शनीय स्थलों में है–

- गणेश टैंपल • बुलंद दरवाजा • कोटरी • कुंड–स्वीमिंग पुल
- पनघट • शेखावटी की हवेली

पिंक पर्ल नाम से प्रसिद्ध द फन सिटी (एम्यूजमेंट पार्क) जहां आप बिना जेब ढीली किए आप घूम सकते हैं।

साथ ही मनोरंजन व घूमने फिरने, खरीदारी करने के लिए नेशनल हाट यहां का प्रसिद्ध बाजार है। इस बाजार में देश के प्रमुख शहरों महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू–कश्मीर, केरल, गोवा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु स्टॉल हैं जहां की मिट्टी की भीनी–भीनी खुशबू समेटे हैं। शंगरीला शॉपिंग अर्किड में भी खरीदारों का तांता लगा रहता है।

पपेट शो, एलीफैंट राइड, बम्बू बैलेंसिंग, कॉलबेलिया लोक नृत्य जिसमें सपेरा बीन बजाकर सांप को नचाता है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

भूमि सुधार : दरकार और व्यवहार

कादम्बरी

भूमि सुधार अगर आज की एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है तो इसके पीछे कई प्रबल कारण हैं। गनीमत है कि इधर सत्ता के गलियारों में भूमि सुधारों को लेकर एक ठोस पहल की आशाएं जागी हैं, कुछ माहौल बना है। इस वजह से नहीं कि खेती–किसानी या जमीन के मालिकाना हक को लेकर होने वाले झगड़ों–संघर्षों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इस वजह से भी नहीं कि जमीन को अपने श्रम से हरा–भरा करने वाला कामगार बारम्बार हिंसा और शोषण का शिकार हो रहा है बल्कि इस वजह से कि भूमि सुधारों को लेकर चिंतित और जमीनी स्तर पर सक्रिय एक गांधीवादी प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों प्रधानमंत्री से मिला और उन्हें भूमिहीन तथा भूमि के असमान वितरण से आहत ग्रामीण गरीबों के हालात से वाकिफ कराया। प्रतिनिधिमंडल ने अन्य मांगों के साथ एक भू–प्राधिकरण गठित करने की भी मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में गांधी शांति प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष और एकता परिषद् के संस्थापक पी वी राजगोपाल के साथ सांसद निर्मला देशपांडे और लीड इंडिया के कार्यकारी निदेशक जिल कार–हैरिस भी शामिल थे।

पृष्ठ संख्याः 64, मूल्यः 150 रुपये
प्रकाशकः विश्व साहित्य प्रकाशन
7/219, आवास विकास कालोनी, योजना–3, झूंसी, इलाहबाद, उ.प्र.
अनुवाद
डा. राहुल सहाय विसारिया

यहां इस घटनाक्रम का हवाला इसलिए दिया जा रहा है कि इस दिशा में चिंता के साथ राजनीतिक हलचल तो हुई वरना शोषण के शिकार कामगारों की आहों का अहसास हुक्मरानों को कम ही हो पाता है। वैसे ईमानदारी के साथ भूमि सुधारों की अहमियत को दर्शाने के लिए निजी या संस्थागत स्तरों पर समय–समय पर जतन होते रहे हैं। इस क्रम में भूमि सुधार की समस्या और इसके सामाजिक–राजनीतिक समाधान पर केंद्रित एक पुस्तक पिछले दिनों आई। 'भूमि सुधार : समस्या एवं समाधान' नाम की इस पुस्तक को डा. प्रमोद कुमार अग्रवाल ने लिखा है।

डा. अग्रवाल पश्चिम बंगाल सरकार में प्रमुख सचिव हैं। अपने व्यक्तिगत प्रशासनिक अनुभवों पर आधारित इस पुस्तक में डा. अग्रवाल ने आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा के ग्रामीण अंचलों में नक्सली समस्या के हल के लिए भूमि सुधार को एक ठोस विकल्प के रूप में रेखांकित किया है। डा. अग्रवाल का मानना है कि भूमि सुधारों की अवहेलना नक्सलवादी समस्या की ही जड़ नहीं है बल्कि यह ग्रामीण विकास और इससे जुड़ी अनेकानेक समस्याओं की भी बड़ी वजह है। स्थानीय झगड़े, वारदातें, पलायन, सामाजिक असंतुलन या अमीर–गरीब किसानों के बीच लगातार बढ़ती दूरियां भूमि सुधारों की नजरअंदाजी का ही परिणाम है। पुस्तक सिलसिलेवार तरीके से इन तमाम समस्याओं पर रोशनी डालती है और साथ ही इस बारे में राजनीतिक स्तर पर ठोस पहल की वकालत भी करती है। इसे विश्व साहित्य प्रकाशन, इलाहबाद ने छापा है।

पुस्तक का अनुवाद इलाहबाद डिग्री कॉलेज के विधि विभाग में प्रवक्ता डा. राहुल सहाय बिसारिया ने किया है। भूमि सुधार की समस्या का निराकरण करने की दिशा में यह पुस्तक कितनी भूमिका निभा पाएगी या फिर डा. अग्रवाल द्वारा समस्या के निदान के लिए सुझाए गए तरीकों पर व्यावहारिक रूप से कितना अमल हो पाएगा यह कहना तो कठिन है लेकिन पुस्तक इस लिहाज से अच्छी है कि इसमें बेहद सहज तरीके से भूमि सुधारों की अवहेलना, इससे उपजी समस्याओं और समाधान को रेखांकित करने की कोशिश की गई है। डा. अग्रवाल का प्रशासनिक अनुभव बताता है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ भूमि सुधार पर ईमानदारी से काम किया जाए तो सामंती ढांचे का वाकई अंत किया जा सकता है जो गांवों में अभी भी अपनी जड़ें जमाए हुए है।

पुस्तक सात अध्यायों में विभक्त है। भूमि सुधार को परिभाषित करने वाला पहला अध्याय ही खुलासा करता है कि भारत में 7.5 प्रतिशत घराने देश की 59 प्रतिशत जमीन के स्वामी हैं। जाहिर है जमीन के इस असमान वितरण की वजह से ग्रामीण समाज में कई तरह की विसंगतियां पैदा हुई हैं। इसी अध्याय में डा. अग्रवाल बताते हैं कि राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने में भूमि सुधार स्थायी विकल्प साबित हो सकते हैं। अगला अध्याय बताता है कि भूमि सुधारों की अवहेलना के क्या–क्या परिणाम हुए हैं। पहला तो नक्सली आंदोलन ही है। लेकिन जब प. बंगाल सरकार ने भूमि सुधार लागू किए तो वह आंदोलन शांत हो गया। डा. अग्रवाल ने पंजाब के आतंकवाद को भी भूमि सुधार से जोड़ा है–सर्वेक्षण यह दिखाते हैं कि पंजाब के उग्रवाद के मूल में बेरोजगारी, शहरी नौजवानों की सरकार से बढ़ती नाराजगी के अलावा गरीब एवं अमीर किसानों के बीच बढ़ती खाई भी एक प्रमुख कारण था। नौजवान खेतों में काम करने के बजाय शहरों में नौकरी खोजते थे क्योंकि उनका मानना था कि उनकी भूमि गरीब भूमिहीन मजदूरों द्वारा जोती जाएगी और उपज पर उनका ही अधिकार होगा। यही अध्याय नक्सली आंदोलन के विभिन्न राज्यों में पांव पसारने की कहानी भी कहता है।

पुस्तक इस अवधारणा को भी निरस्त करती है कि भूमि सुधार उत्पादन के विरूद्ध हैं। एक अध्याय में डा. अग्रवाल फिर से स्पष्ट करते हैं कि उत्पादन में बढ़ोत्तरी ही भूमि सुधार का अंतिम लक्ष्य है। स्वामित्व सुरक्षा और संतोष की भावना पैदा करता है जो किसी आर्थिक पैमाने पर तोला नहीं जा सकता। यदि किसान के पास अपनी जमीन हो तो वह दुगनी मेहनत और उत्साह के साथ काम करता है। इससे उसे जो आत्मिक सुख–संतुष्टि मिलती है वह किसी आर्थिक गणित से हासिल नहीं की जा सकती।

भूमि सुधारों की परिस्थिति एवं समाधान वाला अध्याय इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विभिन्न राज्यों में भूमि सुधारों के प्रति बरती जाने वाली कोताही और उससे उपजी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है। बेशक, जब भी हम किसी समस्या के बारे में बात करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि उसके समाधान के बारे में भी न सिर्फ बात करें बल्कि कारगर उपाय भी सुझाएं। यहां डा. अग्रवाल का प्रशासनिक अनुभव सामने आता है। लेकिन इस सबसे भी जरूरी है कि किसी समस्या के हल के प्रति समाज और नीति निर्धारक कितने ईमानदार हैं। बकौल डा. अग्रवाल, 'मैं अपने केंद्र और राज्य सरकार के व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बिना संदेह कह सकता हूं कि भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू न करने के पीछे दृढ़ राजनैतिक इच्छा का अभाव है।

इसीलिए पुस्तक के अंतिम अध्याय में डा. अग्रवाल ने भूमि सुधारों के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति को बेहद अनिवार्य माना है। तभी उम्मीद की जा सकती है कि यदि इस पुस्तक जैसे अन्य प्रयास और भूमि सुधारों को लेकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठन सत्ताधारी सरकार के साथ–साथ अन्य राजनीतिक दलों पर दबाव कायम करेंगे तो ग्रामीण समाज का कुछ भला हो सकेगा। ✪

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

The RAU'S IAS experience...

...incisive, intensive & innovative.

It translates learning into winning performance.

THE VISION

Rau's IAS Study Circle was established as a top ranking institute nearly 50 years ago, solely with the aim of helping serious students achieve success in Civil Services Exam by providing the highest quality coaching. The method, content & teaching standards established by the Study Circle have become synonymous with success in the minds of civil service students.

Be Sure, we have no branches or associates any where in India. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of centres across India, but it can never be equalled.

THE PERFORMANCE

Our 2004 Exam Results: Seven positions secured by our students in first 20 and 41 in first 100 with overall 181 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS, PCS & Judicial Services Coaching.

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs.50/- favouring Rau's IAS Study Circle.

THE PROGRAMMES

Civil Services/PCS Exam - 2006/07

- Personal Guidance (English Medium) is available for - General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) - सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।
- Postal Guidance in English Medium available for - General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) - केवल सामान्य अध्ययन एवं भारतीय इतिहास में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

New batches for 2006/07 Exam, start from 2nd June, 2006

RAU'S IAS
STUDY CIRCLE

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001. Phone : 23318135-36, 23738906-07, 55391202, 39448880-81, Fax: 23317153.
Visit : www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

KH 03/06/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2006-08
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-55/2006-08

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2006-08
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक: अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : संपादक : स्नेह राय